MESSAGE FROM LOK SABHA

The Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025

THE VICE-CHAIRMAN (MS. INDU BALA GOSWAMI): Message from Lok Sabha, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Madam, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha, at its sitting held on 3rd April, 2025, has agreed, without any amendment, to the Protection of Interests in Aircraft Objects Bill, 2025, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on 1st April, 2025.

GOVERNMENT BILLS - *Contd.*

I. The Waqf (Amendment) Bill, 2025
and
II. The Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): माननीय सदस्या डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक): माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): नहीं, नहीं, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। ...(**व्यवधान**)... डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी। ...(**व्यवधान**)...

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी (महाराष्ट्र): महोदया, मैं आज यहाँ वक्फ संशोधन विधेयक पर अनुमोदन देने के लिए खड़ी हूँ। आपने मुझे इस विषय पर बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ...(**व्यवधान**)...

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): जयराम जी, मणिपुर बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कह रहे हो कि काहे को देर कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दिन देर रात तक जगो न। मणिपुर के लिए एक दिन देर रात तक जगना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): मेधा जी, कृपया आप बोलिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: उपसभाध्यक्ष महोदया, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब मैं आज यहाँ पर वक्फ जैसे महत्वपूर्ण बिल पर बात करने जा रही हूँ, तब मेरा, राज्य सभा का, एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ, क्योंकि भारत में इतने अच्छे निर्णय हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। इस वक्त मैं राज्य सभा की भी मेंबर हूँ और जेपीसी की मेंबर के रूप में भी मुझे काम करने तथा उसकी कार्यवाही में हिस्सा लेने का सौभाग्य मिला। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी और माननीय माइनॉरिटी मिनिस्टर किरेन रिजिजु जी - इनका मैं आभार प्रदर्शित करती हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, देश क्या है, सरकारें क्या हैं और सरकार की देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी क्या है - इसकी सोच जिनकी कमजोर थी, वे लगातार इस देश पर राज करते रहें, लेकिन हम गत 10-11 साल से ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं, जो देश के लिए अच्छे निर्णय ले रहे हैं और आज इस देश में देश को पुण्यभू और पितृभू मानने वाली सरकार है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस लगातार चलने वाली रफ्तार में 370 के बारे में निर्णय हुआ, अलग-अलग निर्णय हुए और आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, वह है वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ के बारे में जेपीसी गठित हुई और जेपीसी ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। उसकी 38 बैठकें हुईं और माननीय अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में हमने अलग-अलग राज्यों का प्रवास करके बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठी की। हमें चौंका देने वाली जानकारी मिली और इस जानकारी को इकट्ठा करके एक निचोड़ निकला है। मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और जेपीसी के हमारे सदस्य भाई-बहनों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अभ्यासपूर्ण पद्धति से काम किया। मैं एक डॉक्युमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ। यह रिपोर्ट कार्ड WAMSI के पोर्टल का है। हम बात करते हैं कि हम यह सुधार लेकर आए हैं कि जब भी कोई वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट हो, तो उसकी जानकारी और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आज तक इसका methodical system क्यों नहीं था? यह जानकारी इससे हासिल होगी। यह वक्फ रिपोर्ट कार्ड है। इसमें वक्फ करने वाले वाकिफ का नाम नहीं दिया गया है, डेट नहीं बताई गई है, सब ब्लैंक है। आप देख सकते हैं। मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूँगी। यह गवर्नमेंट की पोर्टल से डाउनलोड किया गया रिपोर्ड कार्ड है। इसमें वाकिफ का नाम नहीं है, यूआईडी नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं है, क्रिएशन डेट नहीं है, प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज़ नहीं हैं, प्रॉपर्टी specifications नहीं हैं, फोटो नहीं है, इंस्पेक्शन डन - नो, मतलब कुछ भी नहीं बताएँगे और बोलेंगे कि यह प्रॉपर्टी हमारी है। जब पूछा जाए, तो बताएँगे कि यह 200 साल, 300 साल पुरानी है। वह 200 साल, 300 साल पुरानी कैसे हो सकती है? जब हम उनसे पूछते हैं, हम कोलकाता गए थे और वहाँ पर एक आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, आपके पास पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप जिस घर में रहते है, वह कितने सालों पहले की प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा कि यह हमारे पास पुरखों की प्रॉपर्टी है। जब आपके पास पुरखों की प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड हो सकता है, तो 200 साल की वक्फ प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी कार्ड कैसे नहीं हो सकता?

मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर हर कोई सच्चर समिति की अहवाल बार-बार कर रहा है। मैं एक अहवाल बताती हूँ। सच्चर कमेटी ने यह बात कही, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, 2006 में यह बात कही कि इस देश में ज्यादा-से-ज्यादा मुस्लिम poverty line के नीचे हैं। जिनकी आमदनी 500 रुपए से भी कम है, यानी वे 500 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। वे ऐसे लोग हैं। क्या ऐसे लोगों ने वक्फ किया? जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, क्या वह वक्फ कर सकता है? एक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लोक सभा के चुनाव के दरमियान एक डॉक्युमेंट निकला था। उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कोई योजना के जितने लाभार्थी हैं, उनमें 19 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय के हैं।

10.00 P.M.

ज्यादा से ज्यादा समुदायों ने किसी न किसी योजना का लाभ लिया है। अगर कोई 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभार्थी है, तो वह पात्र कैसे बनता है? लाभार्थी बनने की शर्तें क्या हैं? इसका कारण यह है कि पात्रता उन्हीं को मिलती है, जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति नहीं है और जिनकी आमदनी कम है। फिर वहाँ 2,32,000 संपत्तियाँ कहाँ से आ गईं? आप 1950 और 1954 के आँकड़े देखिए। 1954 तक हमारे देश में वक्फ की केवल 37,000 संपत्तियाँ थीं, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 8,72,000 हो गई हैं। यानी संपत्तियों की संख्या दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी हो गई। सच्चर कमेटी के दौरान इनकी संख्या साढ़े चार लाख थी। यह इतनी तेजी से कैसे बढ़ी?

अगर हमारे मुस्लिम भाई-बहन गरीब हैं, तो इतनी संपत्तियाँ कैसे बनीं? फिर 200 साल पुरानी संपत्तियाँ वहां 1954 में क्यों reflect नहीं हुईं? 1954 में जो संपत्तियाँ दर्ज थीं, वे केवल 37,000 थीं, लेकिन अगर पिछले 200 वर्षों में इतनी संपत्तियाँ बनी थीं, तो वे पहले दर्ज क्यों नहीं हुईं?

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि Waqf by use - कोई नाम नहीं, कोई जानकारी रिकॉर्ड में नहीं है। महाराष्ट्र के जालना जिले की यह प्रॉपर्टी है, यह WAMSI पोर्टल और महाराष्ट्र सरकार के रिकॉर्ड में अलग-अलग दिखाई गई है। यह प्रॉपर्टी खैरात और ढवणे के नाम पर दर्ज है, यहां एक मंदिर है और यही same property WAMSI पोर्टल पर दिखाई गई है। आखिर यह संपत्ति पोर्टल पर अलग-अलग नामों से कैसे दर्ज हो गई? आज मैं अर्बन अफेयर्स की मीटिंग में गई थी, जहाँ मुझे महाराष्ट्र के सिरसाड़ा परडी वैजनाथ के देशमुख जी मिले। उन्होंने बताया कि उनके पास 16 एकड़ जमीन थी और उनके पड़ोसी मुस्लिम समुदाय के पास भी 16 एकड़ जमीन थी। अचानक दोनों संपत्तियों को मिलाकर वक्फ घोषित कर दिया गया। यह अचानक कैसे हो सकता है? देशमुख जी और उनके मुस्लिम पड़ोसी ने पैसे देकर अपनी संपत्ति वापस ली। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? मैं करप्शन के ऊपर बाद में बात करूंगी।

अभी कोई जानकारी मांग रहा था। मेरे पास एक दस्तावेज है, जहां प्रॉपर्टी ज़ीरो लिखी गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनका एरिया ज़ीरो मार्क किया गया है - ऐसी 61 परसेंट संपत्तियाँ हैं, जिनका क्षेत्रफल "ज़ीरो" लिखा गया है। उदाहरण के लिए, मुरादाबाद के कब्रिस्तान और मस्जिद का क्षेत्रफल 0.00 एकड़ दर्ज किया गया है। इसका क्या मतलब है?

वक्फ डीड कितनी हैं? हम बार-बार उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,000 संपत्तियाँ वक्फ की सूची में दर्ज हैं, लेकिन इनमें से केवल 4,345 संपत्तियों की वक्फ डीड मौजूद है। यह कैसे संभव है? अगर पिछले 54 वर्षों से संविधान के अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लागू है - अगर माता-पिता अपने बच्चों को कोई संपत्ति गिफ्ट में देते हैं, तो भी वे उसकी गिफ्ट डीड कराते हैं। फिर वक्फ संपत्तियों को मौखिक रूप से कैसे हस्तांतरित किया जा सकता है? ...(**समय की घंटी**)... मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने जेपीसी में पूरी निष्ठा से काम किया है। ...(**व्यवधान**)... जेपीसी में हमारे एक कर्नाटक के भाई साहब, अनवर मणिप्पाडी जी आए थे। उन्होंने जो भी कहा, वस्तुस्थिति बहुत भयानक थी। उन्होंने 2 लाख, 30 हज़ार करोड़ रुपये के घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी। उनको वहां बोलने न दिया जाए, इसलिए उन्होंने बोतल फेंक कर मारी। आपने किस्सा सुना होगा। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें समय नहीं देना है। एक बोतल उन्होंने अपने पास तोड़ी और एक बोतल सामने माननीय अध्यक्ष जी की ओर फेंकी। यह क्या है, यह कौन-सी गुंडागर्दी है। हमने तो सबका सुना। जो हमारी विचारधारा के थे, उनका सुना, तो यह कौन-सी गुंडागर्दी है। मुझे किसी ने बोला कि बार-बार पटर-पटर करती है, किसी ने मुझे संगी कहा। यह क्या है? आप बोलने नहीं देंगे। आप किसी को documents नहीं देने देंगे, तो ये क्या करेंगे! सर, बार-बार misconduct के आरोप होते रहे। मैं महाराष्ट्र के misconduct के बारे में बता रही हूं। महाराष्ट्र में 36,000 properties हैं। उनमें से 32,318 properties पर misconduct है। हम हिंदुओं ने और non-Muslims ने misconduct के आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि आपके ही लोगों ने लगाए हैं। आप दावा करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। कोई Amendment की जरूरत नहीं है। आप एक बार तय कर लीजिए कि यह अमेंडमेंट अलग नहीं है। ...(**समय की घंटी**)... मैं एक बात बताना चाहूंगी। यहां पसमांदा समाज का उल्लेख हो रहा था। डा. फैयाज़ अहमद फैज़ ने वहां आकर जो बात की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत struggle करके, इतनी पढ़ाई करके आया हूं, मुझे कहीं भी और कभी भी वक्फ की property का और वक्फ की योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला है। यह देश हदीस और कुरान से नहीं चलता है, बल्कि संविधान से चलता है। यह उनकी बात है, आपने सुनी होगी। यह देश हदीस और कुरान से नहीं, संविधान से चलता है। जो कायदा हिंदू लोगों के लिए है, जो कायदा क्रिस्चियन लोगों के लिए है ...(**समय की घंटी**)... जो कायदा जैन लोगों के लिए है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: वह मुसलमान properties के लिए नहीं होना चाहिए क्या? मैं last में एक बात कहना चाहूंगी। मैं अभी भी दो घंटे बात कर सकती हूं, लेकिन लास्ट में एक बात कहना चाहती हूं। एक मुद्दा बार-बार mislead, misguide किया जा रहा है। यह बात उनकी समझ में नहीं आती है, ऐसा नहीं है। [&]"मराठी में कहा जाता है कि जब तुम पागलपन का ढोंग कर के रहोगे तो क्या करोगे ? या फिर जो सोने का केवल नाटक कर रहा हो, उसे कैसे जगाओगे?" जिन्होंने यह

[&] Hindi translation of the original speech delivered in Marathi.

मान लिया है कि मैं जागृत नहीं होऊंगा और वे सोने का बहाना कर रहे हैं, उनको सब मालूम है और वे एक मंदिर के Trust और एक Waqf Board को compare कर रहे हैं। इसका comparison कैसे हो सकता है? Apple की संतरे के साथ कैसे comparison हो सकती है? मंदिर की comparison मस्जिद से होगी ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री कार्तिकेय शर्मा।

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी: मैडम, last 30 seconds. क्या मंदिर की comparison मस्जिद से होगी? मस्जिद में हिंदू समाज का कोई भी इंटरफेयरेंस नहीं है और न ही नॉन-मुस्लिम्स का। मैडम, last 30 seconds. I am concluding.

उपसभाध्यक्ष (सुश्री इंदु बाला गोस्वामी): माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। श्री कार्तिकेय शर्मा।

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक बिल पर बोलने का मौका दिया। यह बिल माननीय प्रधान मंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास के मिशन को आगे बढ़ाता है। यह बिल देश के उन वंचित मुसलमान भाइयों, बहनों के लिए लाया जा रहा है, जिनके हकों को Waqf Board की mismanagement या corrupt practices द्वारा पिछले 75 साल से अनदेखी की गई है, उनके हक को मारा गया है। वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है कि किसी जमीन या संपत्ति को हमेशा के लिए दान देना, ताकि उसका इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक, सामाजिक या charity के कामों के लिए हो सके।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*.)

Waqf Board issue is a purely administrative issue. Some colleagues in the Opposition are trying to create misunderstanding in the country by giving a religious colour to an administrative issue. Yesterday, during the discussion in the other House as well and today during the discussion over here, a number of Members, especially from the Opposition, tried to do the same. They repeatedly described Waqf as a religious issue. However, from the Sachar Committee Report to the numerous Supreme Court and High Court judgments, the Waqf Board has been described as an administrative body. जहां तक कानून के unconstitutional होने की बात रही या जो आरोप लगाए गए हैं कि Article 25 या 26 के विरुद्ध है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब Waqf Board religious नहीं, बल्कि administrative body है, तब यहाँ पर आर्टिकल 25 या आर्टिकल 26 की बात तो खड़ी ही नहीं होती है। Sir, the various courts of the country have clearly stated that the management of waqf and temple property is not a religious but a secular function. In the Syed Fazal case of Karela High Court, it has been said that the Waqf Board is a

legal entity, not a representative of the Muslim community. In the Zafar Ahmad Case of Allahabad High Court, the hon. Court has ruled that the 'Mutawallis', the managers of Waqf, do not have ownership rights over the property and that their work is not religious, but secular. The Rajasthan High Court has also said that the management of temple property is entirely a secular function. Therefore, objecting to the inclusion of a non-Muslim in the Waqf-related institutions is neither legal nor non-constitutional. On the contrary, the current law has several provisions that are unconstitutional such as the 'Waqf by User' or the absence of a provision for appeal against tribunal's decisions. Both these clauses inserted after 1995 are against Article 300A, the Right to Property. Why are our colleagues in the Opposition, who always talk about accountability, finding fault with this Bill, which has been brought with the intention of implementing management property registration and financial transparency in the Waqf board? Sir, this is hypocritical. Out of the approximately 39,999 cases pending in the Waqf Tribunal, more than 10,000 cases, which amounts to more than 33 per cent, have been filed by the Muslims themselves against these institutions. This is a criticism from within the very community these Boards claim to serve. सर, वक्फ बोर्ड और अपोजिशन की कुनीतियों ने मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। पिछड़े मुसलमान भाइयों, बहनों को उनके ही समाज के लोगों ने आगे बढ़ने से रोका है। सर, अख्तर निज़्मी का एक शेर मौजू होता है,

'वो ज़हर देता
तो सबकी निगाहों में आ जाता
सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं न दीं'

सर, यह विषय सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 9.4 लाख एकड़ की संपत्ति के efficient management का है, Waqf Board की functionaries की accountability का है और वक्फ बोर्ड की arbitrary powers को regulate करने का है, उसको नियमों के अंतर्गत लाने का है। महोदय, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए।

महोदय, 1913 में, जब The Mussalman Wakf Validating Act लगाया गया था, जिसमें वक्फ की accounting, finance आदि तय हुए थे ...(**समय की घंटी**)... Sir, As I am an Independent Member and I am a minority in the House, I will request you to kindly grant me some time to speak and, Sir, please hear my voice. *...(Interruptions)...* दिल में भी यही है, आपके दिल में नहीं है। क्या कोई भी यह कह सकता है और मैं यह बात पूरे सदन से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आज यह सदन एक ऐतिहासिक पल पर है, क्या कोई भी यह कह सकता है कि वक्फ के प्रावधानों का पालन उसके original principles के हिसाब से हो रहा है, क्या वक्फ बोर्ड ने समाज में अपनी credibility खोई नहीं है, क्या वक्फ की जमीन के records और accounting पूरी तरह से पारदर्शी हैं, क्या वक्फ अपनी जमीनों का पूरा इस्तेमाल अपने समाज के पिछड़े मुसलमान भाइयों और बहनों की education, healthcare and livelihoods इत्यादि के

लिए उपयोग कर रहा है, क्या वक्फ अपनी जमीनों की, जितनी revenue generate कर सकता है, उसका सिर्फ 2 परसेंट ही जनरेट कर रहा है, क्या वक्फ ने जमीनों पर ग़ैरकानूनी कब्ज़ा नहीं किया है या क्या वक्फ की खुद की जमीनों पर कब्ज़ा नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है? सर, इन सभी सवालों का जवाब है – 'उम्मीद बिल'। क्योंकि यह 'उम्मीद बिल', यह क्लियर करता है कि हमें किस तरीके से काम करना है। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं सिर्फ एक या दो मिनट लूंगा।

सर, मैं हरियाणा से आता हूं और आपके सामने हरियाणा के ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। महोदय, यमुनानगर का एक जठलाना गुरुद्वारा, 1947 में, जब विभाजन हुआ था, उस विभाजन के वक्त वह गुरुद्वारा मस्तान चंद को एलॉट किया गया था। 1967 में उस गुरुद्वारे पर वक्फ ने claim किया और 1967 से लेकर आज तक वह गुरुद्वारा वहीं पर अटका हुआ है, उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, क्योंकि यह मामला कोर्ट के अधीन है। महोदय, ऐसे बहुत सारे उदारहण हैं, जिन्हें मैं quote कर सकता हूं, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से मैं quote नहीं करूंगा, परंतु कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं।

श्री उपसभापतिः कृपया conclude कीजिए।

श्री कार्तिकेय शर्माः क्योंकि ये बातें सदन में इतिहास बनाने वाली बातें हैं और कुछ बड़े लोगों ने ये बातें कही हैं। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं सरदार वल्लभभाई पटेल जी की बात कहना चाहता हूं, जो Constituent Assembly की debate के दौरान कही थी, 'The Government must ensure that religious properties serve public good, not private interests.' The Waqf (Amendment) Bill, 2025 exactly do that. Dr. Rajendra Prasad warned on the mismanagement of the Waqf Act, "If religious trusts are not regulated properly, they become dens of corruption and exploitation."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kartikeya*ji*, please conclude.

श्री कार्तिकेय शर्माः सर, मैं अपनी बात conclude कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि historically ऐसे बहुत सारे examples हैं, जहां पर यह तय किया गया है कि regulation की जरूरत है और इसको मुख्य धारा में लाने की जरूरत है।

सर, मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर राजनीति न हो और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब एकमत से इस बिल का सपोर्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTYCHAIRMAN: Shrimati Jebi Mather Hisham.

SHRIMATI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I wish to start by sharing the concerns of the people of Munambam, from my State Kerala, where about 600 families are caught up in the legal imbroglio regarding their land and homes where they have been staying since 1950s and they are in the fight for justice and their rights.

Let me categorically say, I, my party Indian National Congress, the UDF, unconditionally support and stand with the people of Munambam in their quest for justice. That land belongs to them and it cannot be bulldozed by anyone. The fact is, Munambam land was purchased for consideration by them with their hard earned life savings during the years 1989 to 1993. The fact is, they have valid title deeds since then. The fact is, they purchased it from Farooq College Trust. It is also a fact that Farooq College validates that the land is sold by them. It is also a fact that taking responsibility, Farooq College has approached the Waqf Tribunal and filed appeal challenging 2019 Waqf Board decision which was made under the pressure of contempt order notifying Munambam land as waqf and it is pending before the tribunal. It is clear that the seller stands with the purchasers. It is a sad fact that revenue rights have been denied to them since 2022. Those who are living in Munambam are the sons and daughters of the soil of Munambam. [&] "Sisters and brothers who live in Munambam, sons and daughters of that very soil. They are the children of the sea. They should get justice." And in their fight for justice, I reiterate, we sincerely stand with the people of Munambam unconditionally and no one can evict them and no one will be evicted. The political parties, the churches, the KCBC, the CBCI, the Muslim organisations and several other organisations, all of us stand with the people of Munambam. That being so, unfortunately, in the backdrop of this situation, one party is trying to create a clear divide among minorities in Kerala. The same party closes its eyes against the attacks on Christians in Manipur, Jabalpur and elsewhere in the country. Let me assertively say, those who are trying to spread the venomous cocktail mix in Kerala of communal polarization will not succeed.

This is the land where on Friday afternoon, when the temple gate of Thali Temple in Angadippuram, Malappuram was burnt by some social miscreants and there was total panic, Panakkad Muhammed Ali Shihab Thangal after his jumma prayers, when he came to know through frantic calls, he and Kunjalikutty*ji* went straight to the temple, met pujari and extended solidarity with temple and said that he stands with them to bring culprits to book and, thereafter, sent the money through Sadikkali Thangal to the Temple for the reconstruction of temple gate. This is Kerala and India! Sir, it is a land where the Hindu reformers NSS, SNDP, christian missionaries, churches, various congregation, Roman Catholics, Latin Catholics, Orthodox, Jacobites, Marthoma, CSI, MES- Muslim Education Society and others have greatest contribution in creating a social secular fabric. The contribution of Christian congregations in health and education front is countless. None of them,

[&] English translation of the original speech delivered in Malayalam.

while doing this immense service has ever looked at the name, the caste, the religion. This is Kerala and India. Sir, it is a land where three days back in Kozhikode, to celebrate Eid, the school ground which was given to Palliyarakkal Durga Bhagavathy Temple for their festival and only after festival started, Moon was seen but. immediately, the Durga Bhagavathy Temple Committee made all arrangements for Eidgah. Sir, this is Kerala and India, that we celebrated. Even if BJP makes an attempt to spread the venomous cocktail mix of communal polarization, Munambam will not act as a catalyst.

Now, let me move on to the Bill. This Bill is not just a threat to India's secular fabric, but an attack on the very heart of our Constitution, especially Article 26, which guarantees Right to Freedom of Religion. It is a matter of principles, of religious freedom, of fairness and of constitutional integrity. This is a Bill intended to take away the rights of a minority community. So, today, this Government is targeting the rights of Muslims. Tomorrow, it could be against the rights of Christians, Sikhs, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Minorities. In 2018, Sri P.S. Sreedharan Pillai, then President of BJP in the State of Kerala, had filed a writ petition in Kerala High Court questioning the possible appointment of a non-Hindu as a Commissioner in the Devaswom Board in Kerala. I now quote paragraph 24, the operative part of the judgment, "The above being our deeply contemplated opinion, it is felicitous that the Government also shares this view wherein they explicitly concede that the Devaswom Commissioner is an intrinsic part and component of the Devaswom Department and, therefore, even if a Joint Secretary to the Government is appointed on deputation, he will, certainly, have to be a Hindu. Therefore, it does not require any further explanation that such an officer will have to be a Hindu by religion." Sir, I want to ask this Government, how can BJP stand for having only Hindus to be a part of the Devaswom Boards while legislating a Waqf Bill which permits non-Muslims to be a part of Waqf board? While asking this question, I want to clarify we are totally with the Hindu Community that they should have full rights to manage their affairs. It is the right and correct stand. Likewise, we also believe that it should be same for all religions and, therefore, there should not be double standards. Each religion should be left to manage their own affairs. Sir, I conclude by saying that this Bill is cloaked in the guise of transparency. But, in reality, it serves the darker political agenda of the ruling dispensation. It is not for transparency, but to control. It is not to reform but to coerce. So, I oppose this unconstitutional Bill. Jai Hind!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, on behalf of the AIADMK Party, I rise to participate in the Waqf Board Bill discussion. The Government has brought forward this Bill to change the composition of the Waqf Boards and Waqf Board Council. Sir, the AIADMK Party is committed to the welfare of the minorities. Former Chief Minister, Puratchi Thalaivar, MGR, Puratchi Thalaivi, Amma Jayalalithaa, followed by our General Secretary, Edappadi K. Palaniswami, they hae given a lot of welfare programs and schemes for the minorities. In India, particularly, in Tamil Nadu and Pondicherry, we have huge population of Muslims and Muslim leaders. The AIADMK Party is keen that Muslim-cum-Minority communities' interests should be protected and safeguarded. So, I request the present Government to see that the Ayanar party's plea is considered.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Sudhanshu Trivedi. ...*(Interruptions)*... Please, you have finished your speech. ...*(Interruptions)*... Please, no crosstalk. ...*(Interruptions)*... आप already ...*(Interruptions)*... Please, no crosstalk. Dr. Thambidurai, please no cross-talk. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*...

SHRI R. GIRIRAJAN: *

DR. M. THAMBIDURAI: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please take your seats. ...*(Interruptions)*... Dr. Thambidurai, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Both of you please take your seats. ...*(Interruptions)*... Do not speak like this. डा. सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज़ आप बोलें। ...(**व्यवधान**)...

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आज इस पुराने वक्फ की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्फ के आगाज की नई सुबह के दिन, मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजु जी का बहुत इस्तकबाल करता हूं।

महोदय, जब हम वक्फ के ऊपर बात कर रहे हैं, पुराने वक्फ की रुखसती का वक्त आ गया है और नए वक्फ की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पर बात करनी है, तो मुझे चार दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान, जिन पर बहुत सारे

* Not recorded.

लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं, दूसरी है - वक्फ की अवधारणा, तीसरी है - वक्फ की राजनीति और चौथी है - वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति।

सबसे पहले हमारे सदन के नेता, माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ संबंधी कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया और चाहे वक्फ संबंधी कमेटी, जेपीसी के चेयरमैन उस सदन के सदस्य, हमारे जगदंबिका पाल जी रहे हों, हमारे मंत्री जी रहे हों, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, उनके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि -

"इबादतों की तरह मैं यह काम करता हूं,
अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं।"

फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं, तो –

"तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी,
मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं।"

तो इस एहतराम के साथ, मैं अब आगे का पयाम शुरू करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। उन्होंने दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए - इस्लाम की धर्म स्थली - सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश - इंडोनेशिया, जहां खिलाफत रही - टर्की और जहां आईएसआईएस का इलाका है, वहां इराक और सीरिया में कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है ऐसा? तो सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी में एक कहावत है कि "नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है," परंतु यहां तो गैर-मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे, गरीब मुसलमानों के भी और देश के भी। इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसे छोड़ दीजिए, भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है - नहीं है। इसे छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इसमें इतना भाईचारा है, तो यह सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग-अलग क्यों हैं, मेरे भाई? जमीन पर एक दूसरे पर ऐतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। यह भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियत में भी अकलियतें हैं, जैसे - आगा खानी हैं, बोहरा हैं और बाकी हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए, एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है। मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, the Mohamedan Education Society, Kolhapur का केस है; ईदगाह मैदान, हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ हुबली-धारवाड़ म्युनिसिपल कार्पोरेशन को वापस कर दिया; Anees Ayasha Vs. Tamil Nadu वक्फ बोर्ड का केस है; Telangana State Vs. Mohammed Muzaffar का केस है, Himachal Pradesh Waqf Board Vs. Khwaza Khalilullah का केस है। इसके अलावा महोदय, ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई, शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेकर आइए, तब हम मानेंगे कि इस पर कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर यह वक्फ का कानून इसी ढंग से चल रहा होता, तो क्या होता? अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थीं। उन्होंने एक 'प्यास' की बात बोली थी। उन्होंने ओडिशा के ग्राहम स्टेंस का जिक्र किया था। उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी संस्तुत भी नहीं कर पाई थी, मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है, सभापति महोदय, तो एक 'प्यास' मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था। उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते हैं, उसने मना कर दिया। तब दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा – "ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, ब पिदरे जिंदा आब तरसानी, आफरीन हिंदवान सद बार, मैं देहदं पिदरे मुर्दारावा दायम आब।" मतलब, तू कैसा मुसलमान है, जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है, जो पितृ पक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान, जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुआ है और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं, जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके जमींदार बनना चाहते हैं। ऐसे में यह मुकाबला किसके बीच में है? यह शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबो-गुरबत वाले गुरबत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का मामला है। महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि गरीब और पसमांदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हाँ, मगर जब इसकी बात आती है, अभी माननीय खरगे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब, आपके यहाँ कितने पुजारी हैं और किस वर्ग के कितने पुजारी हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 एससी-एसटी लोगों को महामंडलेश्वर बनाया है। आप हमारे इस सदन में बैठे हुए बालयोगी उमेशनाथ जी को नहीं देखते। वैसे तो कहा जाता है, जात न पूछो साधु की, पर मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के 50 हजार से अधिक पुजारी ट्राइबल्स इलाके में हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद-ए-अदब से पूछना

चाहता हूँ, बताइए, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, हाफ़िज़ में से कितने पासमंदा हैं? उनमें कितने जुलाहा, अंसारी, घोसी, मिरासी हैं? बाकी छोड़िए, पर्सनल लॉ बोर्ड में है क्या? वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ, *'खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत'*। अगर ईमानदारी से बात करनी है, तो उस पर आगे.... मगर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने इसको 'उम्मीद' नाम दिया है। यह उम्मीद किसके लिए है? यह उम्मीद उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास-ओ-आम के लिए है।

सभापति महोदय, मगर कुछ लोग वे हैं, जो 'उम्मा' का ख्वाब पाले हुए थे। 'उम्मा' शायद हमारे बहुत से लोग समझते हों, न समझते हों। पूरी एक entire जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है, उसको 'उम्मा' कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है और 'उम्मा' वालों की उम्मीद पर पानी फिर रहा है। इसलिए यह 'उम्मीद' और 'उम्मा' के बीच का भी मामला है, परंतु मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर, जिस पर बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग कहे हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। भोपाल का विषय है, हैदराबाद का विषय है, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है। ये बहुत प्रकार से हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय, जो बताया गया था, उस पर हमारे मनोज झा जी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। सबने वह वीडियो देखा है। मैं बस एक लाइन उनके लिए कहना चाहूँगा, वे कुछ भी बोल लें। जिसे कहते हैं:

'बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
रहिमन बिगड़े दूध को, मथे ना माखन होय।'

अब जो बोलना था, वे बोल चुके और वह सबके सामने आ चुका है। अब एक बात और है। दूसरे धर्म स्थलों के बारे में विषय आता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ केरल के कैथोलिक चर्च ने 31 मार्च, 2025 को जो लिखा, उसकी लास्ट की सिर्फ दो लाइन बोलना चाहता हूँ। "We request the Central Government to get the Amendment Bill passed as early as possible so that the tears of thousands of suffering people in a place like Munambam can be wiped out only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from Opposition parties to support the Bill so that the historic legislation can become unanimous." मगर, सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले, जब अल्पसंख्यक की बात आती है, तो तराजू पर तौलते हैं कि किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि किस माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। तमिलनाडु के तिरुचेन्देरी मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग Places of Worship Act की बात करते हैं, तो as per Places of Worship Act तमिलनाडु के मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता। 15 अगस्त,1947 के बाद किसी प्लेस ऑफ़ वरशिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को claim forfeit कर देना चाहिए,

because it is in contrast to the Places of Worship Act. परंतु यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर, सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे Places of Worship Act हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं: खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, आखिर में कटना 'भगवे' रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है :

'मिटे नामियों के निशां कैसे-कैसे।
और ये जमीं खा गई आसमान कैसे-कैसे।'

इस ज़मीन ने कैसे-कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊँगा, तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा। परंतु मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि जब इतना ज्यादा बढ़ गया, फिर कोर्ट ने आगे intervention करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अभी कार्तिकेय शर्मा जी और बहुतों ने बोला और उन्होंने सैयद फज़ल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस के बारे में कहा। मगर, Bashir Vs. State of West Bengal केस में उन्होंने बहुत clear cut कहा है कि "Waqf is not a religious denomination in accordance with Article 26 of the Constitution. So, the matter relating to restricting the economic, financial, political or other secular activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a)of the Constitution, can be regulated by the State." मुझे लगता है कि इसके बाद कोई किंतु-परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। सभापति महोदय, जो उसके बाद भी कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे और जो यह कहे कि साहब, अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में एक बादशाही आ गई है। सभापति महोदय, इसके लिए मुझे वो पुरानी वाली फिल्म, अगर लोगों को याद हो, तो मुगले आज़म का वह सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया, तो सलीम कहता है:

" जब्त मैं करूँ, जिसकी कि ज़मीन वीरान हो गई है,
जब्त वो न करें, जिनके सिर्फ शौक-ए-बादशाहत को ठेस पहुंची है?
यह जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं, बल्कि खुदाई है।"

मैं कहना चाहता हूँ, जो संविधान को न माने, कानून को न माने, इसका मतलब वह अपनी खुदाई में जी रहा है, तो ये वो लोग हैं। सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां-जहां खुदा है, वहां-वहां भगवान है। जहां जहां खुदा है, वहां-वहां भगवान है, बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। वैसे, आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी, दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूँ कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है, तो उन चंद लोगों ने, जिनके दिमाग आज भी उन विचारों से भरे हुए हैं कि कोई समझता है, हम तो किसी जमाने में हुक्मराने वक्त थे, कोई कहता है, हुजूरे नवाब थे, कोई कहता है, बादशाहे आलमगीर थे, कोई कहता है, बादशाहे गाज़ी जिंदा पीर थे। नदीमउल हक साहब ने जो बोला था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, तो मैं बिल्कुल

कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया, उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है, पर जो यह कहते हैं कि आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चारमीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो सभापति महोदय, मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूँः

"तेरी तमन्ना है, पर हम खार न बोने देंगे.."

खार कांटों को कहते हैं,

"तेरी तमन्ना है, पर हम खार न बोने देंगे,
तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे,
तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे,
हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे।"

इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है।

सर, मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूँ कि हमारे डीएमके के तिरुची शिवा जी ने अनायास, अकारण यह बात बोली थी। उस समय उन्होंने जिन्ना का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टीशन के समय - तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूँ। 1946 की कांस्टिटुएंट असेंबली में, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो 29 आउट ऑफ 29 सीट्स थीं, वे मुस्लिम लीग ने जीती थीं with 95 per cent of vote और लगभग कोई भी मुस्लिम वहाँ से पाकिस्तान नहीं गया, इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, फैक्ट को समझिए। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, बी. पोकर साहब बहादुर और मुहम्मद इस्माइल थे, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और उन्होंने 28 अगस्त, 1947 को separate electorate मांगे। आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाकर कांस्टिटुएंट असेंबली की डिबेट के पेज नंबर 270 पर पढ़ लीजिएगा, सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा - अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। खैर, मैं अम्बेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे भाषणों को यहां क्वोट कर सकता हूँ, लेकिन इन सारी बातों को छोड़िए। मगर, अफसोस की बात यह है कि अभी मनोज झा जी ने बोला था कि हममें से कोई शक है, कोई हूण है और यह कीजिए। भैया, वे जमाने चले गए, अब genetic sequencing का जमाना आ गया है और genetic sequencing ने क्या प्रूव किया है? दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने राष्ट्रपति भवन में डिनर के दौरान कहा कि "Few weeks back, I got my genetic sequencing done and I was told that I have Indian DNA." साहब, आप कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं! सभापति महोदय, यहां लोगों के दिमागों में गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि इसी सदन के एक सदस्य, जो यहां विराजमान हैं, उन्होंने एक समय महाराणा सांगा का आपत्तिजनक उल्लेख कर दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के

सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन्होंने गुलाम बनाया, उनके सोर्सेज़ पर यकीन मत कीजिए। वैसे थोड़ा-सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, तो मैं यह भी बोल दूँ कि हमारे सदन के बहुत-से सदस्यों को यह नहीं पता होगा कि अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है। पोरस नामक किसी राजा का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता, यह केवल और केवल ग्रीक सोर्स में पाया जाता है। इसलिए, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तभी आप इन चीज़ों को सही ढंग से समझने में सफल होंगे।

वक्फ की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि यह originally कहां से आया, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले वक्फ का उल्लेख आता है, जब Sassanid Empire को खलीफा उमर ने capture किया था, तो आज का जो southern Iraq है, उसके इलाके को उन्होंने "वक़्फ़" declare किया और वह स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। माननीय नड्डा जी ने स्टेट के बारे में अभी बताया कि बड़े-बड़े देशों में यह व्यवस्था कैसे थी। सर सैयद अहमद खान ने भी वक़्फ़ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसे मोज़रए (किरायेदारी) के अंतर्गत रखा और इसके समर्थन में "फ़तावा आलमगिरी" को क्वोट किया था। इसी कारण 1894 का जो Privy Council का जजमेंट आया था, वह Waqf-al-Aulad के खिलाफ आया था। मगर 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है और इसे बदला जाना चाहिए, क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस में शामिल हो चुके थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1913 में वह निर्णय बदला गया। हमारे सदन के कई सदस्यों ने इस सदन में और दूसरे सदन में अपने विचार रखे हैं। मैं अगर एक वाक्य बोल दूँ, तो ऐसा लगेगा जैसे वही लोग फिर से बोल रहे हैं, "Since the Bill was introduced to administer the Muslim law for Musalmans, the question of public policy does not arise." लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य ने बोला हो। सर, यह मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल, 1913 में he used this word while moving the Report of the Select Committee for the Imperial Legislative Council.

सर, 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि उस समय यूपी और बंगाल ने इसका विरोध किया था। आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरह से एक साथ हैं, यह पूरी तरह से स्पष्ट दिखता है। इसलिए, हम यह कहना चाहते हैं...

एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता है? ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ - ऐसा नहीं है कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम-फाज़िल या जानकार हूँ, मगर इस्लाम में बहुत स्पष्ट मान्यता है कि जो ग़ैर-मुस्लिम है, उसकी इबादत अल्लाह क़बूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ क़बूल नहीं होगी, तो दान कैसे क़बूल होगा? साहब, हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं।

हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे, तो वे मदीना में एक definite level तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाज़त नहीं है, तो जायदाद की इजाज़त कैसे हो सकती है? मुस्लिम भावना का सम्मान है और अगर ऐसा नहीं है, तो कोई मौलाना, मुफ़्ती या मुकर्रम आकर बता दे कि गैर-मुस्लिम की दुआ क़बूल हो सकती है, तो हम दान भी क़बूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और, जब आप कहते हैं कि हर चीज़ हलाल होनी चाहिए, तो हलाल

करने की प्रक्रिया ही नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तभी वह हलाल होता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, काटने के लिए हलाल होने के लिए मुस्लिम ज़रूरी है और बाँटने के लिए बिना मुस्लिम के भी हलाल होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता!

जो हमारी सरकार ने किया है, वह मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। जहाँ तक हिंदू समाज की बात है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि हज पर कोई गैर-मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे कुम्भ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से यह नहीं कहा गया कि कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म की धारणा और बाकी धारणाओं की तुलना करना उचित नहीं है।

मगर, सभापति महोदय, इस वक्फ ने कई अद्भुत नज़ारे दिखाए हैं। इस्लाम में काफ़िर से ज़्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया है - यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहाँ देखिए, वे लेफ्ट के लोग, जो कहते थे कि धर्म एक अफ़ीम है, वे आज ख़ुदाई खिदमतगार बनकर खड़े हो गए हैं! सोचिए, कैसा बदलाव आया है!

सर, मुझे एक और चीज़ याद आती है - एक पुराना गीत था, "वक़्त ने किया क्या हसीं सितम..." तो आज मैं कहना चाहता हूँ, "वक़्फ़ ने किया क्या हसीं सितम, कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलकर हो गए हम!" मैं कहना चाहता हूँ, यह वही मुस्लिम लीग है, जिसने separate electorate की माँग की थी और इस शिवसेना के UBT के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। सर, हमारे साथ बैठे मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया कि एक ज़माने में उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, "वक़्फ़ ने किया क्या हसीं सितम, ये दोनों मिलकर हो गए हम! "

सर, इसके बाद मैं एक टेक्निकल बात करना चाहता हूँ, जब इन्होंने time duration हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई, तो उसने तो मुग़लों से सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक़ कैसे हुआ?

सर, 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से लगभग ख़त्म हो गई थी। आख़िरी मुग़ल बादशाह शाह आलम के बारे में कहा जाता था, "सल्तनत ए शाह आलम, दे लाल किले ते पालम"- यानी आज का आईजीआई एयरपोर्ट। तो इसके बाद यह गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक़ कहाँ से आ गया?

जब दिल्ली को अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया था, तब सारी ज़मीन अंग्रेज़ों की थी! मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में Power Deed transfer की गई थी, तो क्या उन्होंने उसे पढ़ा नहीं था या खोखले कागज़ पर साइन कर लिए थे? अगर कागज सही था, तो अब खोखला करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 250 साल तक हुकूमत ही नहीं रही, तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है? यह मैं कानूनविदों के लिए भी food for thought रखने की बात करता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं? अगर सूरत नगर निगम पर मुगल के जमाने का दावा है और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, तो ये वे हुकूमतें थीं, जो जज़िया लगाती थीं। ये वे हुकूमतें थीं, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थीं, ये वे हुकूमतें थीं, जो गाज़ी की बात करती थीं। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को मान्यता देना सही है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की

कोशिश करते हैं, तो this is fraud on the Constitution. हमारी सरकार ने अगर उसको बंद किया है, तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया। मगर बाद में ये जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हम लोगों के जन्म से पहले की बात है। विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों को दी जाती थी, लेकिन कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन, जमींदारों को मिल जाए! 2013 के बोर्ड ने वह व्यवस्था की थी। यानी गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का वह भूदान आंदोलन था, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भूहड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वह भूदान आंदोलन था, तो यह भूहड़प आंदोलन है। इसलिए मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है। यह फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले। जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद हुए, उन्होंने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ा है। That is the foreign rule. It is on record. कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरा गौर से देखेंगे, तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। कभी किसी ने कल्पना की कि क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेट वे ऑफ इंडिया हमारा है और चर्च नहीं, फिर भी चर्च गेट हमारा है। फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आता है? हमने Evacuee Property Act के तहत पाकिस्तान के गए लोगों को दे दिया था, तो जो हमारे हिंदू और सिख भाई आए थे, क्या उनकी जमीनें मिलीं। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक राज था, तो क्या उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारों को जमीनें दान नहीं दी होंगी, वे मिलीं। वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि हम लोगों ने कोई नेगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब में अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं, जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति से ऊपर कहा जाता है।

सर, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली, उसके बाद क्या किसी ने यह डिमांड की थी कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए, नहीं किया था, तो फिर 1954 में क्यों दिया गया। किसी मुस्लिम ने डिमांड की थी क्या कि मदरसा चाहिए, फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्यधारा में आने को तैयार था। इसलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महज़बी बानो को मीना कुमारी के नाम पर आने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बनकर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका इस बात को सोच रहा था और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज़ के वकील रहे हैं, उन्हें पता होगा कि Sunni Central Waqf Board, राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है। लगभग 12 साल के बाद, क्योंकि के.के. मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था, जो यह मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस वही leftist and secularist को समझा-समझा कर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया? मगर उसके बाद इंदिरा जी के जमाने में Muslim Personal Law Board आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया। नरसिम्हा राव जी

के जमाने में 1995 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। इसे एक शेर में कहूंगा कि

"मरीजे सेकुलर इश्क पर लानक खुदा की
मर्ज बढ़ता गया, ज्यों- ज्यों- दवा की।"

अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली, तो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्ला खां, उस्ताद बहाउद्दीन मोहिउद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद ज़ाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई। बड़े-बड़े नगमा-निगार, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, जोश मलिहाबादी और जिगर मुरादाबादी थे। अब क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहगारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व अपने को किन लोगों के साथ जोड़ता है - इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा जाता है। यह कौन जोड़ रहा है? जब से यह देश 1976 से सेकुलर हो गया और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसमें ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है ...(**व्यवधान**)...महोदय, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है और यह भी कहा गया कि इनको बड़ी मुहब्बत है। महोदय, जब यह देश आज़ाद हुआ - मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8 परसेंट रेट ऑफ लिट्रेसी थी, सैयद मुसलमानों में 24 परसेंट थी। वे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20 परसेंट थे, लेकिन आज सब कहाँ चले गए? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि,

'यह अदावत और मुहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे
कि किसी को किसी की मुहब्बत ने मारा
किसी को किसी की अदावत ने मारा
मगर इस शराफत अली को सेक्युलर सियासत ने मारा।'

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. Yes, Dr. Fauzia Khan. ...*(Interruptions)*... Yes, please. Mike is there.

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र): महोदय, ये बोल रहे हैं कि आज का मुस्लिम समाज, ये इशरत जहां और दूसरे फलानाँ-फलानाँ terrorists के साथ नाम जोड़ रहे हैं, सर, यह बिल्कुल एक आरोप है और इसको expunge करना चाहिए। यह बात समाज के साथ एक अन्याय है। सर, आपको यह बात एक्सपंज करनी होगी।

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, if you carefully go through what Dr. Sudhanshu has said, I am sure, you will appreciate his spirit. Just think for a moment. ...(Interruptions)... He has not cast any aspersions. ...(Interruptions)... Dr. Sudhanshu, go ahead.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं उसका जवाब दूंगा और उसके बाद हमारा सदन यह माने या न माने, लेकिन जो देख रहे होंगे, उनके लिए कहना चाहता हूं। सर, डा. एपीजे अब्दुल कलाम ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute. Vaiko ji, ...(Interruptions)... Hon. Member, Vaiko ji ...(Interruptions)... Hon. Home Minister. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: How can he stigmatize a community like this? ...(Interruptions)...

श्री अमित शाह: महोदय, वाइको जी हिंदी समझ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: One minute, Fauzia Khan ji. ...(Interruptions)...

DR. FAUZIA KHAN: Sir, a community cannot be stigmatized. ...(Interruptions)... An entire community cannot be stigmatized.

MR. CHAIRMAN: I will come to you, Fauzia Khan *ji*. I will give you the opportunity. Hon. Finance Minister.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, he said one line. ...*(Interruptions)*... He might be very emotional, Sir. But that one line he said is objectionable, and I will seek your indulgence to remove it. He said [&] "You put your foot in Tamil Nadu. I will stop you." He says, 'You enter Tamil Nadu, I will see you'. It is not good. This is atrocious. ...*(Interruptions)*... Please wait for a minute. Mr.Vaiko says, Sir, 'You set foot in Tamil Nadu, I will take care'. What is that language? it is a highly objectionable comment. He should not speak like that. Any Indian can set his foot anywhere in India. No one can stop him.

[&] English translation of the original speech delivered in Tamil.

MR. CHAIRMAN: We have a Home Minister, after a long time, who has brought about changes unthinkable. What he said, you can be fully assured.. ...(Interruptions)... Yes, Jairam ji.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, if the hon. Finance Minister has found a statement objectionable, ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Jairam ji, address the Chair.

SHRI JAIRAM RAMESH: The statement of the hon. Member stigmatizing a whole community is objectionable. ...(Interruptions)... And what is worse is the Chairman lending respectability to that view. That is even worse.

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister.

श्री अमित शाहः मान्यवर, सुधांशु जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, इंडी एलायंस के लिए किया है। मैं एक-एक करके बता देता हूं। ...(**व्यवधान**)... आप सुनिए। आप सुनिए तो सही। ...(**व्यवधान**)... दिग्विजय सिंह जी, आप सुनिए, तो सही, मैं खड़ा हूं न अपने पैर पर। मान्यवर, सुधांशु जी ने इशरत जहां कहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसी एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको सही भी बताया था। उन्होंने अतीक अहमद के बारे में कहा। ...(**व्यवधान**)... वे किस पार्टी से थे – इंडी एलायंस। उन्होंने अंसारी का भी नाम लिया। वे किस पार्टी से थे – कांग्रेस और इंडी एलायंस। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं। ...(**व्यवधान**)... उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से ढेर सारे शायरों का नाम लिया, जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः सुधांशु त्रिवेदी जी। ...(**व्यवधान**)... He is not yielding now.

डा. सुधांशु त्रिवेदीः सबसे पहले मैं तमिलनाडु का जवाब देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, तमिलनाडु से ही डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम थे। मैं सारे सदन से कहना चाहूंगा कि डा. कलाम का नमाज-ए-जनाजा और याकूब मेमन का नमाज-ए-जनाजा एक ही दिन हुआ। कितने लोग याकूब मेमन के नमाज-ए-जनाजा में गए और कितने लोग डा. कलाम के नमाज-ए-जनाजा में गए? डा. कलाम मैमोरियल पर कितने लोगों की फोटोज़ हैं, यह मुझे दिखाएं, जो कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की हों। मगर अफजल हालात का मारा था, यह आपके एक मंत्री का ऑफिशियल ट्वीट है। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। याकूब मेमन की judicial killing हुई, आपके एक नेता का, मिनिस्टर का ऑफिशियल ट्वीट है। वे सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। सर, 26/11 आरएसएस ने करवाया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिस साहब और ...(**व्यवधान**)... सुनिए, ज़ाकिर नायक शांति का मसीहा है, सदन में सदस्य

बैठे हुए हैं। सर, किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं कि जोड़ा, हमने किससे जोड़ा यह मैं बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? ...(**व्यवधान**)... सर, मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिमों के बारे में हमारी सोच और इनकी सोच में क्या अंतर है। ...(**व्यवधान**)... देखिए, जिन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...सभापति महोदय, मैं उन लोगों को थोड़ा इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में भी बताना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Digvijaya Singh *ji*. ...*(Interruptions)*... I will give you a chance.

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात कही है और मैं डा. त्रिवेदी साहब की बात भी सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे-ऐसे मुसलमान हम लोगों के साथ हैं और वैसे-वैसे मुसलमान इन लोगों के साथ हैं। ...(**व्यवधान**)... बात यह है कि आपने जिस तरह से यह पूरी बात कहा है, यह घोर आपत्तिजनक है, अपमानित करती है और माननीय सदस्य ने जो मेरे बारे में भी कहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Home Minister. ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, मुझे यह सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गुजरात में दंगे और फसाद हुए, उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे, यह आप बताइए ...(**व्यवधान**)...

श्री अमित शाह: मान्यवर, मैं ध्यान से, बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं लिया। अब वे खड़े होकर कहें कि मेरे बारे में कहा है, इससे यह साबित हो गया है। ...(**व्यवधान**)... अभी भी मौका है और अगर आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो मान्यवर, अभी खड़े होकर माइक चालू करवाकर बुलावा दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: यह घोर आपत्तिजनक बात है। मैंने यह बात कभी नहीं कही है। यह आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात से थी कि माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि हमारी तरफ ऐसे-ऐसे मुसलमान थे और वैसे-वैसे मुसलमान हम लोगों की तरफ थे। यह पूरे समाज के साथ, पूरे अल्पसंख्यक समाज के साथ अपमानजनक बात है। ...(**व्यवधान**)... माननीय गृह मंत्री जी, आप जब वहां पर गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, यह जग जाहिर है।

श्री अमित शाह: मान्यवर, इनको मेरा हौवा ऐसा है कि मैं ही दिखाई देता हूं। ...(**व्यवधान**)... दिग्विजय सिंह जी, सुनिए। एक मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद, 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। जब दंगा हुआ, तब मैं गृह मंत्री नहीं था।

श्री सभापतिः डा. सुधांशु त्रिवेदी।

11.00 **P.M.**

डा. सुधांशु त्रिवेदीः सर, मैंने इस संदर्भ में किसी का नाम नहीं लिया। ...(**व्यवधान**)... अजीज बर्नी की किताब थी - 26/11: An RSS Conspiracy. कोई जाकर चेक कर ले, उसमें कौन-कौन, कहाँ-कहाँ बैठा था।

सर, अब मैं मुसलमानों के बारे में कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के लिए कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको मुस्लिम समाज की history नहीं पता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले भारत से numeric system गया, तो सबसे पहले अल-फजारी थे, जिन्होंने 773 में जो सूर्य सिद्धांत था, उसका अरबी में translation किया - Sindh-Hind. हम बता रहे हैं कि हम किस तरह के मुस्लिम को साथ रखते हैं। डॉक्टर कलाम से बड़ा आलम-ए-इस्लाम में साइंसदाँ नहीं हुआ और आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे बड़ा आलिम, फाजिल मुसलमान आज सियासी जमात में तो नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी। 10th Century के एक Muslim Writer थे, जिन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम था - the Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing according to Hindu calculation, जिसको short में अल-जब्र कहा गया और वहाँ से Algebra निकला। सर, उसके बाद अल ख्वारिज्म आया। आज मेरे ख्याल से सदन के बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यह जो algorithm word है, यह Al Khwarizm से आया हुआ है। एक जमाने में इस्लाम में बैत-उल-हिकमत था, यानी वह सबसे बड़ा हिकमत ज्ञान का केंद्र था, जब एक से एक लोग होते थे। बहुतों को नहीं पता होगा कि कोलंबस ने जिस नक्शे के through दुनिया travel किया था, उसे बनाने वाला भी एक मुस्लिम था - अल इदरीसी। सर, मगर algorithm आज ऐसा बदला कि AI की age में दलगत भावना से ऊपर उठ कर औरंगजेब के साथ खड़े हो गए! सर, यह algorithm किसने बदल दिया, यह मैं बताना चाहता हूँ। इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि muslim politics की सोच क्या थी, हमने किन मुसलमानों का साथ दिया है। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगाँठ 2015 में हुई। प्रधान मंत्री, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को और उनकी पत्नी को बुला कर सम्मानित किया और इन लोगों ने उस यासीन मलिक को, जिसके ऊपर एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या करने का आरोप था, वह प्रधान मंत्री आवास में साफ दिखाई पड़ता है! ...(**व्यवधान**)... कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, कौन किस तरह के मुसलमान के साथ खड़ा हुआ है! ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। ...(**व्यवधान**)... आप अपनी-अपनी टर्न पर बोलिए। ...(**व्यवधान**)... सर, पिछले 30-35 सालों से हौवा खड़ा किया जा रहा है। 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, तो कहा गया बीजेपी आएगी, उत्तर प्रदेश में खा जाएगी। सर, बीजेपी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं क्या हुआ? 22 साल से शिया-सुन्नी के बीच में जो दंगे चलते थे, उसकी वजह से मदहे सहाबा का जुलूस नहीं निकलता था। शिया समुदाय का मदहे सहाबा का जुलूस लखनऊ में हमारी सरकार में निकलना शुरू हुआ। उसके बाद कहा गया कि केंद्र में भाजपा

आएगी, तो खा जाएगी। सर, अटल जी की सरकार आई, इतनी शानदार स्थिति रही। उसके बाद कहा गया कि गुजरात में आएगी, तो भाजपा खा जाएगी। सर, गुजरात का मुसलमान आज सबसे समृद्ध मुसलमान है, सबसे ज्यादा जकात वहाँ से आता है। उसके बाद कहा गया कि मोदी जी की सरकार आएगी, तो क्या होगा! सर, मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारे साथियों ने बताया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 70 प्रतिशत लोग हैं, जिनको किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला है। सर, फिर कहा गया कि CAA आएगा, तो नागरिकता छिन जाएगी। उसके बाद भी आपने सब देखा। सर, हम बचपन में सुनते थे कि राम मंदिर बनने लगेगा, तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। सर, राम मंदिर भी बन रहा है, भारत-मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है, अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है और चार-चार मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को दिया हुआ है। सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मर्ज हो, तो उसका इलाज किया जा सकता है, वहम का नहीं। जैसे हमारे यहाँ वैद्य धन्वंतरि माने गए हैं, इस्लामी अकीदे में हकीम लुकमान माने गए हैं। उनके लिए कहा गया है कि

"इसमें क्या रखा है ,देखे है जो तू आन के पास,
बदगुमा वहम की दारू नहीं ,लुकमान के पास।"

यानी मर्ज का इलाज है, पर वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते, जो आपने पाल कर रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम किन मुसलमानों की बात करते हैं। आप गंगा-जमुनी तहजीब की बात करते हैं। सर, दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था। उसने उपनिषदों का संस्कृत में अध्ययन किया, फारसी में अनुवाद कराया और नाम रखा सिर्र-ए-अकबर, यानी Words of God. मैंने किसी को दारा शिकोह की जयंती मनाते हुए नहीं देखा। मैं पूछना चाहता हूँ कि बेगम ताज बीबी, उनके घर पर जाते किसी ने सुना! सर, यह बताइए, आलम शेख, इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं ये कवि, किसी ने सुना उनके स्थान पर जाते हुए! मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उनके घर पर कोई गया! यह बताइए, आजमगढ़ में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पर कौन गया! वे गाजीपुर के रहने वाले थे। आज तक जाने वालों में नहीं दिखे। सर, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। सर, एक सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं, बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि मेरा अगला जन्म हो, तो भी मैं कृष्ण भक्त ही बनना चाहूँगा। मनुष्य बनूँ, तो ग्वाल वाले के रूप में और पशु बनूँ, तो नंद बाबा की गाय के रूप में। उन्होंने कहा,

"मानुस हौं तो वही रसखान ,बसौं मिली गोकुल गाँव के ग्वारन।
जो पसु हौं तो कहा बस मेरो ,चरौं नित नंद की धेनु मँझारन।।"

सर, उन्होंने कहा, गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूँगा। मगर आज इस देश में एक ऐसे नेता आए हैं, जिनको गायों से बदबू आने लगी है। तो सर, उनके लिए मेरे मन में यह भाव आता है कि –

"श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा,
गोपालक श्री यदुवर कुल में, एक ऐसा नेता आएगा,
जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा।
रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा।"

सर, अब मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। हम किनको मानते हैं? आप नजीर अकबराबादी को सुनिए, कृष्ण भक्त के लिए क्या कहा? मैं यह बोलना चाहता हूं कि बुल्लेशाह ने क्या कहा? बुल्ले शाह ने कहा, अभी होली गुजरी है..उसने कहा था – "आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह।" उन्होंने आगे कहा –

"अलस्तु बिरब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले,
नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह-अल्लाह,
आज होली खेलूंगी मैं, कर बिस्मिल्लाह।"

तो मैं भी कहता हूं कि अब बिस्मिल्लाह करिए और उसके बाद हमारे इस सकारात्मक बिल का सहयोग करिए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो गरीब मुसलमानों के लिए और देश के लिए करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी।

सर, अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यहां पर तमाम प्रकार की बातें हुईं - सकारात्मक और नकारात्मक, मगर अफसोस की बात यह है कि 1913 के वक्फ-अलल-औलाद से लेकर 2013 के वक्फ-अलल-औलाद तक, इनकी फितरत नहीं बदली, क्योंकि सर, यह तो पार्टियां ही अल-औलाद हैं, तो उससे तो इनको बहुत ज्यादा वह होगी ही होगी। परन्तु मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अपनी सोच बदलिए। आप जिस कश्ती पर सवार होकर इस दरिया को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 75 सालों से नहीं कर पा रहे हैं, 10-12 सालों में बहुत हिचकोले खा रहे हैं, तो कश्ती और रास्ता बदलिए। इनके लिए अंत में एक पंक्ति कहते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि –

"इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला,
पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला,
पर है शौक-ए-सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने,
मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला।"

अब अगर नई मंजिल पानी है, नई मंजिल की नई सुबह देखनी है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आइए, सबको साथ लेकर चलिए। यह एक ऐसा ऐसा वक्त आया है, जब.. हमारे किरेन रिजिजु जी ने जो कहा था कि – "मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ.." तो मैं प्रधान मंत्री मोदी जी की तरफ से कहता हूं कि –

"हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है,
बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेकर आए हैं

और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से,
आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं।"

धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Javed Ali Khan. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu) : Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Do you have a point of order? ...*(Interruptions)*...

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, आपका धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب جاوید علی خان** :سبھاپتی جی، آپ کا دھنیواد۔

MR. CHAIRMAN: One minute. Hon. Member, Tiruchi*ji*, under which rule?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, Rule 261.

MR. CHAIRMAN: Yes, I am at Rule 261.

SHRI TIRUCHI SIVA: "If the Chairman is of opinion that a word or words has or have been used in debate which is or are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may in his discretion, order that such word or words be expunged..."

MR. CHAIRMAN: I know the rule. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I was hearing the translation and he was telling about good intention Muslims and evil-intentioned Muslims. Evil is an unparliamentary word, kindly expunge it.

MR. CHAIRMAN: While the hon. Member of Parliament, Dr. Sudhanshu Trivedi has said enough on it, I reserve my order and you will have it tomorrow in detail on this point. ...*(Interruptions)*... No, no. I have reserved my order. I will go through every word. ...*(Interruptions)*... I will do it quietly. ...*(Interruptions)*... Tomorrow itself! Jairam*ji*, tomorrow itself.

† Transliteration in Urdu script.

SHRI JAIRAM RAMESH: No, no. Will tomorrow come?

MR. CHAIRMAN: I am surprised that Chairman becomes the easy punching bag. आपने दो बार पिछले 20 minutes में कहा है। I am lending strength to this narrative. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you supported him.

MR. CHAIRMAN: Yes. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, you supported him.

MR. CHAIRMAN: I support.....*(Interruptions)*... One minute. I support everything which is good, everything which is constitutional, everything which we need to follow as decorum. ...*(Interruptions)*... And I have said so on a number of occasions. ...*(Interruptions)*... There were occasions when I have supported you. ...*(Interruptions)*... Do not forget that I have supported you. "You are one of those Members who regularly attend parliamentary proceedings, and you are very well prepared on occasions." I appreciated your contribution when the Disaster Management Bill was introduced in 2011. Shri Javed Ali Khan.

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सभापति जी, चूँकि मेरा समय कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी, बहुत संक्षेप में चंद बातें कहूँगा। माननीय मंत्री जी ने बताया कि करीब एक करोड़ लोगों ने इस बिल पर अपनी राय से, उन्हें या जेपीसी को अवगत कराया था।

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि करीब ढाई करोड़ लोगों ने इस बिल पर मंत्रालय को और जेपीसी को अपनी राय दी थी और दूसरी जगह उन्होंने अपने प्रतिवेदन भेजे थे। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि जब वे जवाब दें, तो कृपया यह आँकड़ा भी बताएँ। भले ही वे उसको एक करोड़ मानें, लेकिन यह बताएँ कि उनमें से कितने लोगों ने बिल के समर्थन में अपनी राय दी थी और कितने लोगों ने इस बिल के प्रावधानों पर ऐतराज किया था। दूसरी बात यह है कि हमारे सभापति जी का बहुत आग्रह रहता है और रोजाना नहीं, तो हर दूसरे, तीसरे दिन तो सभापति जी कहते ही हैं कि free fall of information नहीं होना चाहिए। जो मन में आए, वही लोग कह देते हैं, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं कई दिन से सुन रहा हूँ। कल लोक सभा के अंदर भी और आज राज्य सभा में भी अल्पसंख्यक विभाग के माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनती, तो संसद भवन भी वक्फ के कब्जे में आने वाला था। एक और साहब बोल रहे थे,

उन्होंने तो कहा कि बद्रीनाथ के मंदिर पर भी वक्फ का कब्जा होने वाला था। मैं यह चाहूँगा कि free fall of information नहीं होना चाहिए। यह नियम मंत्री जी पर भी लागू होना चाहिए और मंत्री जी को इस संबंध में कोई-न-कोई दस्तावेज देना चाहिए और इसको authentication करना चाहिए कि संसद भवन कैसे वक्फ बोर्ड के कब्जे में आने वाला था। कल लोक सभा में बिल पास हो गया है, तो वे इतना जोश में हैं। वे कहने लगे कि हमने 31 मेंबर की कमेटी बनाई और 2011 में जो कमेटी बनी थी, उसमें 13 ही मेंबर थे। मंत्री जी, आप बहुत जिम्मेदार मंत्री हैं, आपको थोड़ा-सा फैक्ट बताना चाहिए। वह जेपीसी नहीं थी, बल्कि वह राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी थी और राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी में इतने ही मेंबर होते हैं। आप ऐसे करके दिखा रहे हैं कि हमने 31 मेंबर की कमेटी बनी और इन्होंने 13 मेंबर की बनाई थी। आपकी पार्टी के तीन लोग उस कमेटी के अंदर थे। एक ने भी Note of Dissent नहीं दिया था। मेरे पास पूरी रिपोर्ट रखी है। अगर दिया हो, तो बताइए।

सर, इस नए वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय का विकास होगा, यानी कि आज का जो वक्फ बोर्ड है, वह मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है। उसे यह समाप्त करने जा रहे हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं मुसलमानों के विकास में बस इनकी चिंता बता देता हूँ। एक Pre-Matric Scholarship होती थी, वह बंद हो गई। मौलाना आजाद फेलोशिप होती थी, वह बंद हो गई। The National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI), जो अल्पसंख्यक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया करता था, वह 4 साल से आज तक defunct पड़ा है। National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) किस हाल में है, माननीय मंत्री जी बताएँगे। Maulana Azad Education Foundation कहाँ विलुप्त हो गया? वह आज मंत्री जी बताएंगे। The National Council for Promotion of Urdu Language (NCPUL) उर्दू के विकास की एक संस्था है। हालाँकि वह मुसलमानों का अकेले सवाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों को उससे जोड़ा जाता है। 4 साल से उसका गठन नहीं हुआ है। National Commission for Religious and Linguistic Minorities कहां है? उसका कुछ पता नहीं है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसकी क्या स्थिति है? आप बताइए। आपके मंत्रालय की वेबसाइट के पेज दो-दो साल, तीन-तीन साल से अपडेट नहीं हुए हैं। आप समझ रहे हैं कि इस वक्फ बोर्ड बिल को लाने से आप मुसलमानों का भला कर देंगे! यह कहा गया कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है या जिस पर विवाद चल रहा है, वह वक्फ में शामिल नहीं होगी और छः महीने के अंदर नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सर, छः महीने का समय बहुत कम है। इतनी बड़ी वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र किया गया, मेरे ख्याल से छः महीने में वे रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। फिर, बाद में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। ...(**समय की घंटी**)... हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ की जो संपत्तियां हैं, उनमें से 78% सरकारी जमीन पर हैं। जेपीसी के सामने उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना यह पक्ष रखा था। यानी, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 78% वक्फ की संपत्तियों को डिस्प्यूटेड बना देगी, तो उत्तर प्रदेश में कितनी वक्फ की संपत्तियाँ बचेंगी? ये उसको संरक्षण देने की बात कह रहे हैं!

सर, आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बात पर बहुत ही जोर दिया जाता है कि वक्फ की जो संपत्ति है, वह बहुत ज्यादा है और उससे आमदनी बहुत कम है। वक्फ की संपत्तियों

का ज़रा कैरेक्टर तो देखिए! वक्फ की जितनी जमीनें हैं, उनमें से 60% तो लगभग कब्रिस्तान ही हैं। अब कब्रिस्तान से कौन-सी आमदनी होनी चाहिए थी, जिसे आप अल्पसंख्यकों के कल्याण पर खर्च करेंगे? ...(**समय की घंटी**)... वहां तो सिर्फ कब्र खोदने का एक कारोबार होता है, उस काम में भी आप माहिर हैं। मुसलमान उस काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते।

[†]**جناب جاوید علی خان(اتر پردیش)** :سبھاپتی جی چونکہ میرا وقت کم ہے اس لیے میں بہت جلدی جلدی، بہت مختصر چند باتیں کہوں گا۔ مائنی منتری جی نے بتایا کہ قریب ایک کروڑ لوگوں نے اس بل پر اپنی رائے سے، انہیں یا جے پی سی کو اوگت کرایا تھا۔

(شری اُپ سبھا پتی صدر نشین ہوئے)

میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ قریب ڈھائی کروڑ لوگوں نے اس بل پر منترالے کو اور جے پی سی کو اپنی رائے دی تھی اور دوسری جگہ انہوں نے اپنے پرتی ودن بھیجے تھے۔ میں منتری جی سے یہ نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جب وہ جواب دیں تو کرپیہ یہ آنکڑا بھی بتائیں۔ بھلے ہی وہ اس کو ایک کروڑ مانے لیکن یہ بتائیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے بل کے سمرتھن میں اپنی رائے دی تھی اور کتنے لوگوں نے اس بل کے پراؤدھانوں پر اعتراض کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سبھاپتی جی کا بہت آگریہہ رہتا ہے اور روزانہ نہیں تو ہر دوسرے، تیسرے دن تو سبھا پتی جی کہتے ہیں کہ فری فال آف انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو کچھ ان کے ذہن میں آئے کہتے ہیں، ایسی صورت حال نہیں ہونی چاہیے۔ میں کئی دنوں سے یہ سن رہا ہوں۔ کل لوک سبھا میں بھی آج راجیہ سبھا میں بھی محکمہ اقلیتی امور کے وزیر نے کہا کہ سنسد بھون بھی وقف کے قبضہ میں آنے والا تھا، اگر مودی جی کی سرکار نہ بنتی تو۔ ایک اور صاحب بول رہے تھے، بدری ناتھ مندر پر بھی وقف کا قبضہ ہونے والا تھا۔ میں چاہوں گا کہ free fall of information نہیں ہونا چاہئے۔ یہ قاعدہ منتری جی پر بھی لاگو ہونا چاہئے اور منتری جی کو چاہئے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی دستاویز فراہم کریں اور اس بات کی تصدیق کرنی چاہیئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس وقف بورڈ کے قبضے میں کیسے آنے والا ہے۔ کل لوک سبھا میں بل پاس ہوا، اس لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے 31 ممبران کی کمیٹی بنائی اور 2011 میں بننے والی کمیٹی میں صرف 13 ممبران تھے۔ منتری جی، آپ بہت ذمہ دار وزیر ہیں، آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہیے۔ یہ جے پی سی نہیں تھی، بلکہ یہ راجیہ سبھا کی سلیکٹ کمیٹی تھی اور راجیہ سبھا کی سلیکٹ کمیٹی میں اتنے ہی ممبر ہوتے ہیں۔ آپ یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم نے 31 ممبران کی کمیٹی بنائی اور انہوں نے 13 ممبران کی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں آپ کی پارٹی کے تین لوگ تھے، ایک شخص نےبھی اختلاف کا نوٹ نہیں دیا۔ میرے پاس مکمل رپورٹ ہے۔ اگر دیا ہو تو بتائیے۔

جناب، یہ نیا وقف بل مسلم کمیونٹی کی ترقی کا باعث بنے گا، یعنی موجودہ وقف بورڈ مسلمانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ اسے ختم کرنے جا رہے ہیں)....**وقت کی گھنٹی**...(جناب، میں آپ کو مسلمانوں کی ترقی کے لیے ان کی فکر کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ پہلے پری میٹرک اسکالرشپ ہوا کرتی تھی، بند ہوگئی۔ پہلے مولانا آزاد فیلو شپ تھی، بند ہوگئی ۔ اقلیتی تعلیمی اداروں کا قومی کمیشن(NCMEI) ، جو اقلیتی اداروں کو اقلیتی درجہ دیتا تھا، 4 سال سے غیر فعال ہے۔ عزت مآب وزیر آپ کو قومی اقلیتی ترقی اور مالیاتی کارپوریشن (NMDFC)کی حالت بتائیں گے۔ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہاں غائب؟ منتری جی آج بتایں گے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان (NCPUL) اردو کی ترقی کے لیے ایک تنظیم ہے۔ اگرچہ یہ اکیلے مسلمانوں کا سوال نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اسے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے۔ 4 سال سے اس کی تشکیل نہیں ہوئی۔ کہاں ہے مذہبی اور لسانی اقلیتوں کا قومی کمیشن؟ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے نیا

[†] Transliteration in Urdu script.

15 نکاتی پروگرام ہے، اس کی کیا استھتی ہے؟ آپ بتائیے۔ آپ کی وزارت کی ویب سائٹ کے صفحات دو تین سال سے اپ ڈیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقف بورڈ بل لا کر آپ مسلمانوں کا بھلا کریں گے!

یہ کہا گیا کہ جو جائیداد متنازعہ ہے یا جس پر تنازعہ چل رہا ہے وہ وقف میں شامل نہیں ہوگی اور نئے پورٹل پر چھ ماہ کے اندر اندراج کرانا ہوگا۔ جناب چھ مہینے بہت کم وقت ہے۔ ایسی بڑی وقف کی ججائیدادیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ میرے خیال میں وہ چھ ماہ کے اندر اندر رجسٹر نہیں ہو سکیں گی۔ بعد میں متنازعہ جائیداد تو بالکل نہیں ہوپائیں گی۔...(**وقت کی گھنٹی**)...ہماری اتر پردیش حکومت کا کہنا ہے کہ اتر پردیش میں 78فیصد وقف املاک سرکاری زمین پر ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے جے پی سی کے سامنے یہ رخ پیش کیا تھا۔ یعنی اگر اتر پردیش کی حکومت اتر پردیش میں78 فیصد وقف املاک کو متنازعہ بنا دیگی تو اتر پردیش میں کتنی وقف جائیدادیں بچیں گے؟ وہ اسے تحفظ دینے کی بات کر رہے ہیں!

سر، میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بات پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ وقف جائیداد بہت زیادہ ہے اور اس سے آمدنی بہت کم ہے۔ وقف املاک کا ذرا ان کا کریکٹر تو دیکھیئے !تمام وقف اراضی میں سے تقریباً 60فیصد قبرستان ہیں۔ اب قبرستان سے کیا آمدنی ہونی چاہیے تھی، جو آپ اقلیتوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے)... وقت کی گھنٹی ...(وہاں تو صرف قبریں کھودنے کا کام ہے، اس کام میں بھی اُپ ماہر ہیں۔ مسلمان یہ کام اچھی طرح نہیں کر سکتے۔

श्री उपसभापति: धन्यवाद। Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्री जावेद अली खान: सर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी इस वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करती है और हम इसके बारे में कोई भी सकारात्मक राय नहीं रखते। ...(**व्यवधान**)...

† **جناب جاوید علی خان:** جناب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری پارٹی اس وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرتی ہے اور ہم اس کے بارے میں کوئی بھی سکاراتمک رائے نہیں ہے۔ ...(مداخلت)...

श्री उपसभापति: धन्यवाद। श्री रामदास अठावले।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Mr. Deputy Chairman, Sir,

"इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूँ वक्फ बिल पर बात,
मैं दे रहा हूँ मोदी जी का साथ,
इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूँ हाथ।
मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं,
लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं।
मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं।"

† Transliteration in Urdu Script.

नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। उपसभापति महोदय, यह सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। यह बिल असंवैधानिक नहीं है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूँ। मेरी पार्टी Republican Party of India (RPI) है और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी divide and rule की पॉलिसी पर चलने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिला। आज जो यह बिल आया है, इसको हमारे किरेन रिजिजु जी लेकर आए हैं, जो tribal community के Buddhist हैं, minority के हैं। मैं बताना चाहता हूँ:

"हम किसी की भी नहीं जाएंगे शरण,
क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं रिजिजु किरेन।
वक्फ बिल का हम करते हैं स्मरण,
लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण।
नरेन्द्र मोदी जी हैं मुसलमानों के सबसे वाली,
खरगे साहब, बजाओ जोरदार ताली।
मत दो रोज मोदी साहब को गाली,
नहीं तो कुर्सी करो खाली।
विरोधी दलों की रात हो रही है काली,
नड्डा साहब, बजाओ तुम भी ताली। "

यह जो बिल है, यह बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। यह बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध समाज के लोगों को जोड़ने वाला बिल है। यह जो बिल है, यह असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे हैं, खरगे साहब। संविधान बाबा साहेब ने लिखा है, आप भी बाबा साहेब के अनुयायी हैं, मैं भी अनुयायी हूं।

खरगे साहब, आप जिस कांग्रेस पार्टी में हैं, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तब इन्होंने नहीं बनाया था। मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, लेकिन आपने मुझे मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। ...(**समय की घंटी**)... मैं आया, लेकिन आप नहीं आए। यहां मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, लेकिन केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोगों ने मुसलमानों के विरोधी होने का प्रचार करके लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। यह बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएंगे। आपके साथ तो कोई नहीं रहेगा। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, दलित समाज आएगा, सिख समाज आएगा, क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा - सब समाज आएगा।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उनके पास क्या रहेगा?

श्री रामदास अठावले: उनके पास कुछ नहीं रहेगा। मतलब, उनके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। विपक्ष की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन अधिकतम वोट हमें मिलेगा और यह बिल पास होने के बाद नरेन्द्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधान मंत्री बनेंगे। नरेन्द्र मोदी जी बनेंगे, तो मैं भी बनूंगा। कहने का अर्थ यह है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। ...(**समय की घंटी**)... मेरी पार्टी छोटी है, लेकिन यह आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। अभी मैं अकेला मेम्बर हूं, लेकिन मेरी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। यह बिल लोक सभा में पास हुआ है, यह राज्य सभा में भी पास हो जाएगा। हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही कहना था। नमस्कार, प्रणाम।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री रामदास अठावले: लेकिन जाते-जाते किरेन रिजिजु जी को मेरा कहना है कि बोधगया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वह बौद्ध समाज का है। वहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहां लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है। वहां का जो ट्रस्ट है, वह 1949 के कानून के तहत चार हिंदू और चार बौद्ध सदस्यों का है। बौद्ध समाज की मांग है कि सभी सदस्य बौद्ध समुदाय से होने चाहिए। इतना ही मैं बताना चाहता हूं, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, श्री गुलाम अली जी।

श्री गुलाम अली (नामनिर्देशित): शुक्रिया, डिप्टी चेयरमैन सर। मैं आज इस मोअज़्ज़ज़ एवाने-बाला में वक्फ (अमेंडमेंट) बिल, 2025 की हिमायत में खड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इस बिल की हिमायत नहीं कर रहा, बल्कि एक कदीम अमानत को उसकी असल रूह के साथ दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ।

वक़्फ़ इस्लाम में सिर्फ एक कानूनी रिफॉर्म नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल मुहायदा है अल्लाह से - उसके बंदों की भलाई के लिए। कुरान के चौथे पारे में कहा गया है, "लन तनालुलबिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून" (तुम नेकी के बुलंद दर्जे को तब तक नहीं पा सकते, जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ों में से खर्च न करो।) यही वह रूह है जिस पर वक़्फ़ क़ायम होता है। लेकिन जब यह रूह ज़वाल का शिकार हो जाए, जब वक्फ अल्लाह के लिए किया जाए, लेकिन फायदा किसी सियासी ख़ानदान को पहुंचे, जब कम्युनिटी की अमानत किसी पार्टी की नज़र हो जाएं, तब वक़्फ़ बिल में रिफॉर्म एक फर्ज़ बन जाता है।

हज़रत उमर (रज़ि.अल्लाहु अन्हु) के दौर से वक़्फ़ की शुरुआत हुई है। सभी लोगों ने इस बारे में बहुत कुछ डेटा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहां मदीना में रूमक, which was bought and dedicated by Usman Ibn Affan for public use. प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं और फ़ेमस हदीस हैं, "When a man dies, his deeds come to an end except for three things, charity मतलब तालाब बनवाना, सराय, कुआं आदि, दूसरा; बैनिफिशियिल नॉलेज, जिस इल्म से यूनिवर्स को पढ़ा जाए और कुदरत की

नियामतों को अंडरस्टैंड करके इन्सान के लिए, जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाए, उस बैनिफिशियल नॉलेज को हासिल करना और अच्छे बच्चे अगर हों, who pray for him, यह सही मुस्लिम की हदीस है। अगर हमारा दौर देखा जाए, हमने इसको कहां ले लिया, बहुत सारे बिल मार्डन इंडिया में सल्तनत-ए-उस्मानिया में बहुत सारे reform आए। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो वक्फ है, वक्फ एक बीमार जानवर की तरह है, वह बीमार जानवर, जिसकी जेब में litigation लड़ने के लिए पैसा नहीं है, जिस वक्फ में मुलाजिमों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं असम में गया, वहां कहते हैं कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा population है। वहां कौन सत्ता में रहा हैं? वहां 11 मुलाजिम हैं, वे तनख्वाह किससे लेते हैं, वे सरकार से पैसा लेते हैं। दफ्तर किसका है, वक्फ औकाफ का है और वह रेंटिड बिल्डिंग पर चलता है। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हम वक्फ के लिए इतने बिल लाए, हम बढ़िया वाले बिल लेकर आए, हम वह लाये, हम फलाना बिल लाये, लेकिन ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं खुश-किस्मती से जेपीसी का मेम्बर था। वहां पर मैंने अपोजिशन को सुना, सत्ता पक्ष के मेम्बर्स को सुना, स्टेक होल्डर्स को सुना। बहुत सारे ऑनरेबल मेम्बर्स बोले कि फलां को नहीं सुना, वहां जजेज को सुना, वहां उलेमाओं को सुना, जमियत ए उलेमा को सुना, स्टेट बोड्र्स को सुना, मौलवी को सुना, तमाम ऑर्गनाइजेशन्स को सुना, साउथ में चक्कर लगाया, नॉर्थ-ईस्ट में लगाया, हर जगह चक्कर लगाया। कश्मीर से भी हुर्रियत जमीयत-ए-उलेमा की जो कि एक तंजीम है, उन्होंने भी आकर कहा कि हम Constitution of India पर बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों की बात नहीं की। उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी सियासी भाषण करा। हमने बोला कि 44 अमेंडमेंट्स हैं, अरे, clause-by-clause discuss करिए, लेकिन कोई बात नहीं करी। हमारे मेम्बर इधर बड़ा गुस्सा कर रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे, क्यों गुस्सा कर रहे थे भाई, आप JPC में चेयरमैन साहब को कितनी बार जाकर appeal की कि जनाब हमें जाना है, जनाब, कमेटी के चेयरमैन ज्यादा देर लगाते हैं। आपने वहां पर हल्ला-गुल्ला करा, आपने unparliamentary language यूज करी, आपने वहां पर बिल्कुल मुसलमान की बात नहीं रखी। आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। क्यों बनते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्या आपको खतरा है कि मुसलमान हमें वोट देना छोड़ देगा।

मैं देश के वजीर-ए-आजम को, देश के वजीर-ए-दाखिला को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने एक बीमार जानवर - 1995 का बिल, जो 1995 का एक्ट है, उसको सुधारने का काम किया है। यह वही कानून था, 'जहां बाड़ ही खेत को खा रही थी।' डिप्टी चेयरमैन सर, बाड़ ने ही खेत को खाया — यह बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं देश के वजीरे आज़म से कहूंगा कि 70 सालों में इन्होंने जो वक्फ अमलात तो लूटा है, उस पर एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो पाक बात का पता चलेगा कि मुसलमान के हित में कौन है? उनके हित में असल में कौन है और नकल में कौन है? ऐसा करने से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब बारी यहाँ तक आ गई है कि आप मुसलमानों को डराते हैं। आप उन्हें मेनस्ट्रीम से जुड़ने दीजिए। अभी हमारे एक ऑनरेबल मेम्बर कह रहे थे, वे बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे जब भी मिलते हैं, मैं हमेशा उन्हें इज्जत की नज़र से सलाम करता हूं। अभी हमारे एक फाजिल दोस्त बोल रहे थे कि मुसलमानों को माफिया से जोड़ा, मुसलमानों को डॉन से जोड़ा, मुसलमानों को बेकवर्डनेस से

जोड़ा, मुसलमानों को अनपढ़ता से जोड़ा और अब 90 के बाद मुसलमानों को टेररिस्ट से जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 70 सालों से सत्ता में कौन था? ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुनिए, आपने भारत को तोड़ा, आपने भारत को इसलिए तोड़ा, क्योंकि आपके ज़ेहन में, आपके डीएनए में मुसलमान के लिए मुहब्बत कहाँ से आ गई? अगर मुहब्बत होती, तो आप उस वक्त मुल्क को नहीं बाँटते। आपने बाद में उन्हें स्टीरियोटाइप बताया, उन्हें डराया, उन्हें मेनस्ट्रीम से डिरेल किया।

महोदय, देश की आज़ादी के लिए उनके सेक्रेफाइसेस थे, लेकिन आपने चौक-चौराहे में उनके डिस्कशन को बंद किया। यह सब कुछ आपने किया, इसलिए आप ही इसका हिसाब देंगे। आज दुनिया 'हम' में है, भारतीय जनता पार्टी 'हम' में आ चुकी है। महोदय, 'मैं' और 'हम' में फर्क है, 1,000 साल लगते हैं, आप सब्र कीजिएगा।

मैं कल लोक सभा की डिबेट सुन रहा था। एक बहुत सीनियर मेम्बर हैं, उन्हें मुसलमानों ने बहुत वोट दिए हैं और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजा है। वहाँ भी भेजा है, यहाँ भी भेजा है, लेकिन आप यह देखिए कि उन्होंने अपनी स्पीच में 80-90 परसेंट मुसलमान की वक्फ में तरमीम की कोई बात नहीं की। वे हँसे, उन्होंने नोटबंदी की बात की, किसान की इधर-उधर की बात की, लेकिन उनके पास मुसलमान की बात कहने का टाइम नहीं था। महोदय, इससे उनकी नीयत जाहिर होती है कि उन्होंने वोट ले लिए, मुसलमानों ने उन्हें यहाँ भेज दिया, लेकिन उनकी बात नहीं की।

महोदय, एक और बड़ी रीजनल पार्टी है, वह कांग्रेस से निकली है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जो हिंदू हैं, वे इंग्लिश कानून को मानते हैं और मुस्लिम प्रोफेट्स सेलुलो को। भारत के मुसलमान के लिए आप इतनी [£] रच रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? मुसलमान जिस देश में रहता है, उसमें हिब्बुल वतनी, निस्फुल ईमान को मानता है, वह उस देश से मुहब्बत करता है, मुसलमान कभी [£] नहीं करता।

महोदय, मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखना चाहूंगा। आज हम मुसलमान का वोट लेते हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी में हम मुसलमानों के वेलफेयर के डिस्कशन को एफोर्ड नहीं कर सकते। कांग्रेस क्यों नहीं एफोर्ड कर सकती? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नरेन्द्र मोदी जी से सीखिए। वे हैदराबाद में अपनी वर्किंग कमेटी में बोलते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आपको क्या तकलीफ है? अगर मुसलमान स्टार्ट-अप, स्टैंड-अप के ज़रिये विकसित भारत में मोदी जी का साथ देना चाहता है, दुनिया की सबसे अज़ीम ताकत बनना चाहता है, तो आप उसे क्यों बैकवर्ड रखना चाहते हैं? मुझे मालूम नहीं है कि आप उस पर यह जुल्म क्यों करते हैं? मुझे मालूम है कि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि आप 'मैं' में रहते हैं, लेकिन यदि 'हम' में आएंगे, तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मेरे एक दोस्त सुबह बोल रहे थे, आप कांग्रेस से हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन सुनिए कि क्या बोलते हैं? परसेप्शन में कहां है, परसेप्शन नेरेटिव में कहां है, पर्सनल लॉ के साथ प्रैक्टिस में कहां है? प्रैक्टिस में कहां है - बीएनएस के साथ और बोर्ड के लिए क्या बोलते हैं कि हम यूसीसी के लिए तैयार हैं। कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका

[£] Expunged as ordered by the Chair.

मेम्बर कहता है कि सभी बोर्ड्स को बराबर कर दो। इसका मतलब यूसीसी! आप नेरेटिव कहते हैं कि हम मुसलमानों का पर्सनल लॉ है और आप वहां भी खड़े हैं। प्रैक्टिस में आप बीएनएस को एन्जॉय करते हैं। चोरी करने पर हाथ नहीं कटते हैं। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ लगाएंगे, तो चोरी करने पर हाथ कटेंगे। एडल्टरी पर 100 कोड़े बरसाए जाएंगे। आप एन्जॉय करते हो बीएनएस और बात करते हो कि पर्सनल लॉ होना चाहिए! अगर कोई शादीशुदा एडल्टरी करेगा, तो चौक में पत्थर से मारते हैं। ...(**व्यवधान**)... आपने तीनों बातें कही हैं, यह रिकॉर्ड में है। मैं कोई अपने आप नहीं कह रहा हूं। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।

अभी केरल की बात हुई। केरल के लिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों कह रहे हैं कि जो जिनके पास वह प्रॉपर्टी है, हम दे देंगे। क्या यह आप 1995 एक्ट के तहत देंगे या 2025 एक्ट के तहत देंगे? यह आप सदन को बताइए कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हैं? एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह एंटी फेडरल है। 1995 का एक्ट आपने बनाया है। क्या वह एंटी फेडरल नहीं है? आपने नेशनल काउंसिल बनाई, वक्फ बनाया, वह सब ठीक है। डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रैक्टिसिंग मुसलमान पर बहुत बात हुई। इस्लाम को समझने के लिए एक बातिन और एक जाहिरी इबादत होती है। आप एक साइड बोलते हैं कि वक्फ में इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए। आपका दबाव हमारे ऊपर है कि इस्लाम को समझने वाला होना चाहिए। जब हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर लेजिस्लेशन लेकर आते हैं कि उसको प्रैक्टिसिंग ...(**व्यवधान**)... एक साइड आप बोलते हैं कि उसको इस्लाम की नॉलेज होनी चाहिए और दूसरी साइड हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान रखते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप कहते हैं कि पाकी को वह कैसे समझेगा? वह वक्फ की पवित्रता को कैसे समझेगा? चेयरमैन साहब, इनकी समझ में कैसे आएगा?...(**व्यवधान**)... यह 'मैं' की दुनिया में रहते हैं, तो ये कैसे समझेंगे? ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام علی(نامزد)** :شکریہ ڈپٹی چیئرمین سر۔ میں آج یہاں اس معزز ایوان میں وقف(ترمیمی) بل 2025 کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نہ صرف ایک بل کی حمایت میں نہیں بلکہ ایک قدیم امانت کو دوبارہ اس کی اصل روح کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔

وقف اسلام میں صرف ایک قانونی ریفارم نہیں، بلکہ ایک اپریچول معاہدہ ہے اللہ سے اس کے بندوں کی بھلائی کے لیے۔ قرآن کے چوتھے پارے میں کہا گیا ہے " لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون) " تم نیکی کے بلند درجے کو تب تک نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ (یہی وہ روح ہے جس پر وقف قائم ہوتا ہے۔ جب یہ روح زوال کا شکار ہوجائے، جب وقف اللہ کے لیے کیا جائے لیکن فائدہ کسی سیاسی خاندان کو پہنچے، جب کمیونٹی کی امانتیں کسی سیاسی جماعت کی نظر ہوجائیں، تو وقف بل میں اصلاح ضروری ہو جاتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے وقف کی شروعات ہوئی۔ سب لوگوں نے اس بارے میں ڈیٹا دیا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

which was bought and dedicated by Usman Ibn Affan for ،یہاں مدینہ میں رومک

"When a man dies, ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور مشہور احادیث ہیں public use.

his deeds come to an end except for three things, charity ،مطلب تالاب، سرائے، کنواں وغیرہ کی تعمیر، فائدہ مند نالج، جس علم سے یونیورس کو پڑھا جائےاور قدرت کی نعمتوں انڈراسٹینڈ کرکے انسان کے لیے، اور جانوروں کے لیے استعمال کیا جائے، اس فائدہ مند نالج کو حاصل کرنا اور اچھے بچے اگر ہوں، جو اس کے لیے دعا کریں، یہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ لیکن ہمارا اگر دور دیکھا جائے تو ہم نے اسے کہاں لے

† Transliteration in Urdu script.

لیا، جدید ہندوستان میں بہت سارے بل، بہت سی اصلاحات سلطنت عثمانیہ میں آئیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وقف ایک بیمار جانور کی طرح ہے، وہ بیمار جانور جس کی جیب میں litigation لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، جس وقف کے پاس ملازمین کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں۔

ڈپٹی چیئرمین سر، میں آسام گیا، وہاں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کون اقتدار میں رہا ہے؟ وہاں 11 ملازمین ہیں، وہ کس سے تنخواہ لیتے ہیں، حکومت سے۔ دفتر کس کا ہے؟ وقف اوقاف کا ہے اور یہ کرائے کی عمارت میں چلتا ہے۔ بڑی بڑی باتیں کریں۔ ہم وقف کے اتنے بل لائے، اچھے بل لائے، ہم وہ لائے، فلاں فلاں بل لائے، لیکن یہ سب باتیں بے کار ہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ میں خوش قسمتی سے جے پی سی کا ممبر تھا۔ وہاں جب میں نے اپوزیشن کی بات سنی، حکمران جماعت کے ارکان کی بات سنی اور اسٹیک ہولڈرز کی بات سنی۔ بہت سے معزز ممبران نے کہا کہ انہوں نے فلاں فلاں کو نہیں سنا، انہوں نے وہاں کے ججوں کو سنا، وہاں علماء کو سنا، انہوں نے جمعیت علماء کو سنا، انہوں نے ریاستی بورڈ کو سنا، انہوں نے مولویوں کو سنا، انہوں نے اماموں کی تنظیموں کو سنا، انہوں نے جنوب، شمال مشرق کا دورہ کیا، انہوں نے ہر جگہ کا دورہ کیا۔ کشمیر کی ایک تنظیم حریت جمعیت علمائے نے بھی آکر کہا کہ وہ ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بات نہیں کی۔ انہوں نے بھی کیا کہا، سیاسی تقریر کی۔ ہم نے کہا کہ 44 ترامیم ہیں، شق بہ شق بحث کریں، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ہمارے ممبران یہاں بہت غصہ کر رہے تھے ادھر، بہت غصے میں تھے، کیوں غصہ کر رہے تھے بھائی، آپ جے پی سی میں کتنی بار چیئرمین کے پاس گئے اور اپیل کی کہ جناب ہمیں جانا ہے، جناب، کمیٹی کے چیئرمین زیادہ دیر لگاتے ہیں۔ آپ نے وہاں ہنگامہ برپا کیا، آپ نے غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، آپ نے وہاں مسلمانوں کی بات بالکل نہیں رکھی۔ آپ مسلمانوں کے مسیحا بنتے ہیں۔ کیواں بنتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، کیا آپ کو خطرہ ہے کہ مسلمان ہمیں ووٹ دینا چھوڑ دیں گے؟

میں ملک کے وزیر اعظم، ملک کے وزیر داخلہ کو مبارکباد دونگا، جنہوں نے ایک بیمار جانور 1995 - کا بل جو کہ 1995 کا ایکٹ ہے اس کو سدھارنے کا کام کیا ہے۔ یہ وہی قانون تھا،' جہاں باڑ ہی کھیت کو کھا رہی تھی۔'

ڈپٹی چیئرمین سر، باڑ نے ہی کھیت کو کھایا -یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ میں ملک کے وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 70 سالوں میں جو وقف اثاثے لوٹے ہیں ان کی سی بی آئی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر سی بی آئی انکوائری ہوتی ہے تو حقیقت سامنے آجائے گی کہ مسلمانوں کے مفاد میں کون ہے اصل میں کون ہے اور نقل میں کون ہے؟ ایسا کرنے سے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ اب باری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں۔ آپ انہیں مین اسٹریم سے جڑنے دیجئے۔ ابھی ہمارے ایک معزز ممبر کہہ رہے تھے، وہ بہت سینئر ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ جب بھی ملتے ہیں، میں ہمیشہ انہیں عزت کی نظر سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن ہمارے ایک فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مافیا سے جوڑا، مسلمان کو ڈان سےجوڑا، مسلمانوں کو پسماندگی سے جوڑا، مسلمان کو ناخواندگی سے جوڑا اور اب 90 کے بعد مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں، 70 سال سے کس کی حکومت تھی؟ **...(مداخلت)...** میری بات سنیے، آپ نے بھارت کو توڑا، آپ نے بھارت کو اس لیئے توڑا کیونکہ آپ کے ذہن میں، آپ کے ڈی این اے میں مسلمانوں کے لیے محبت کہاں سے آگئی؟ اگر محبت ہوتی تو آپ اس وقت ملک کو تقسیم نہ کرتے۔ آپ نے بعد میں انہیں اسٹیریوٹائپ بتایا، انہیں ڈرایا، انہیں قومی دھارے سے ڈریل کیا۔

مہودے، ملک کی آزادی کے لیے ان کے سیکری فائسیز تھے۔ لیکن ان کو آپ نے چوک چوراہے میں ان کے ڈسکشن کو بند کیا۔ آپ نے یہ سب کیا، اس لیے آپ ہی اس کا حساب دیں گے۔ آج دنیاُ ہم ٗمیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹیُ ہم ٗمیں آچکی ہے۔ مہودے،' میں 'اور' ہم 'میں فرق ہے، ایک ہزار سال لگتے ہیں، آپ صبر کیجیئے گا۔

میں کل لوک سبھا کی بحث سن رہا تھا۔ ایک بہت سینئر رکن ہیں، مسلمانوں نے انہیں بہت زیادہ ووٹ دے کر ممبر پارلیمنٹ بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے وہاں بھی بھیجا ہے اور یہاں بھی، لیکن آپ نے دیکھیئے انہوں نے اپنی تقریر میں 90-80 فیصد مسلمانوں کے وقف میں ترمیم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہنسے، اس نے نوٹ بندی کی بات کی، کسان اور ادھر ادھر کی بات کی، لیکن اس کے پاس مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ مہودے، اس سے ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے ووٹ لیے، مسلمانوں نے انہیں یہاں بھیجا، لیکن ان کی بات نہیں کی۔

مہودے، ایک اور بڑی علاقائی پارٹی ہے، کانگریس سے نکلی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ہندو ہیں، وہ انگریزی قانون کو مانتے ہیں اور مسلمان نبیؐ کو۔ بھارت کے مسلمانوں کے خلاف آپ سازشکر رچ

رہے ہیں۔ انہوں نے کیا بولا؟ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس میں حب الوطنی اور نصف الایمان کو مانتا ہے۔ وہ اس ملک سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کبھی غداری نہیں کرتا۔

مہودے، میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں کے ووٹ تو لیتے ہیں لیکن ورکنگ کمیٹی میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر بحث کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کانگریس اس کی متحمل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نریندر مودی جی سے سیکھیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں اپنی ورکنگ کمیٹی میں کہا کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر مسلمان سٹارٹ اپ اور اسٹینڈ اپ کے ذریعے وکست بھارت میں مودی جی کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور دنیا کی سب سے عظیم طاقت بننا چاہتا ہے تو آپ اسے پسماندہ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ پتا نہیں آپ اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری بات پسند نہیں آئے گی، میں یہ جانتا ہوں کیونکہ آپ' میں 'میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ' ہم 'کی طرف آئیں گے تو آپ میری بات سمجھ جائیں گے۔ صبح میرے ایک دوست بول رہے تھے، آپ کانگریس سے ہیں، آپ بڑے دانشور ہیں، غصہ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کہتے ہیں سنیں؟

پرسیپشن میں کہاں ہے، پرسیپشن نیریٹیو میں کہاں ہے، پرسنل لاء کے ساتھ پریکٹس میں کہاں ہے؟ پریکٹس میں کہاں ہے — بی این ایس کے ساتھ اور بورڈ کے لیے کیا بولتے ہیں کہ ہم یو سی سی کے لیے تیار ہیں۔ کانگریس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کا ممبر کہتا ہے کہ تمام بورڈز کو برابر کردو۔ اس کا مطلب ہے یوسی سی ! آپ بیانیہ میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا پرسنل لاء ہے اور آپ وہاں بھی کھڑے ہیں۔ پریکٹس میں آپ بی این ایس کو انجوائے کرتے ہیں۔ چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں۔ اگر مسلم پرسنل لا لگاتے ہیں تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایڈلٹری پر 100کوڑے برسائے جائیں گے۔ آپ بی این ایس کو اینجوائے کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پرسنل لاء ہونا چاہیے ! اگر کوئی شادی شدہ ایڈلٹری کرے گا تو اسے چوک میں سنگسار کیا جاتا ہے**---(مداخلت)---** آپ نے تینوں باتیں کہی ہیں، یہ ریکارڈ پر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ ریکارڈ چیک کرکرلیجئے۔

ابھی کیرالہ کی بات ہوئی۔ کیرالہ کے لیے، کانگریس اور ٹی ایم سی دونوں کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس پراپرٹی کا مالک ہے ہم اسے دے دیں گے۔ کیا آپ اسے 1995 کے ایکٹ کے تحت دیں گے یا 2025 کے ایکٹ کے تحت دیں گے؟ آپ اس ایوان کو بتائیں، آپ کیسے اس پراپرٹی کو دے سکتے ہیں؟ ایک معزز رکن بول رہے تھے کہ یہ اینٹی فیڈرل ہے۔ آپ نے 1995 کا ایکٹ بنایا ہے۔ کیا یہ اینٹی فیڈرل نہیں ہے؟ آپ نے نیشنل کونسل بنائی، آپ نے وقف بنایا، وہ سب ٹھیک ہے۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب، باعمل مسلمانوں کے بارے میں کافی بحث ہوئی۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک باطنی اور ظاہری عبادت ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وقف میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کو سمجھے۔ آپ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے والا کوئی ہو۔ جب ہمارے اقلیتی وزیر لیجسلیشن لے کر آتے ہیں کہ اس کو پریکٹسنگ **---(مداخلت)---** ایک سائیڈ آپ بولتے ہیں کہ اس کو اسلام کی نالج ہونی چاہئیے اور دوسری سائیڈ ہم پریکٹسنگ مسلمان رکھتے ہیں **---(مداخلت)---** آپ کہتے ہیں کہ پاکی کو وہ کیسے سمجھے گا؟ وہ وقف کی حرمت کو کیسے سمجھے گا؟ چیئرمین صاحب، ان کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟**---(مداخلت)---** یہ' میں 'کی دنیا میں رہتے ہیں تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ **---(مداخلت)---**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. John Brittas, please take your seat. ...(Interruptions)... Nothing is going on record. ...(Interruptions)...

DR. JOHN BRITTAS: *

श्री गुलाम अली: ये कलेक्टर की बात करते हैं। ...(**व्यवधान**)... ये इतना क्लेक्टर-क्लेक्टर करते हैं। ...(**व्यवधान**)... जो सीनियर अफसर होगा, क्या वह सरकारी अफसर नहीं होगा? ...(**व्यवधान**)... आपकी बात कोई नहीं मानने वाला है और अब आपके चंगुल से माइनॉरिटी निकल जाएगी।

* Not recorded.

† جناب غلام علی : یہ کلکٹر کی بات کر تے ہیں۔ ...(**مداخلت)...** یہ اتنا کلکٹر-کلکٹر کرتے ہیں۔ ...(**مداخلت)...** جو سینئر افسر ہوگا، کیا وہ سرکاری افسر نہیں ہوگا؟ ...(**مداخلت)...** کوئی آپ کی بات نہیں ماننے والا ہے اور اب اقلیتیں آپ کے چنگل سے نکل جائیں گی۔

श्री उपसभापतिः आप चेयर को देखकर बोलिए। **...(व्यवधान)...** Dr. John Brittas, please take your seat. ...(Interruptions)... आप चेयर को देखकर बोलिए। **...(व्यवधान)...**

श्री गुलाम अलीः आप एक £ के तहत ऐसे सेक्शन्स लाए, जिनके लिए वक्फ बदनाम हो, जिसके लिए मुसलमान बदनाम हो, जिसके लिए वक्फ की पवित्रता खत्म हो। हम क्यों बड़े भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे? क्या हम नापाक हैं? **...(समय की घंटी)**... हम मुसलमान हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करें, लेकिन हम नहीं करेंगे। आपने ऐसा सेक्शन † के तहत डाला। हम किसी की प्रॉपर्टी पर क्यों वक्फ का झंडा गाड़ेंगे? हम अपनी डोनेशन वाली प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देखेंगे। **...(व्यवधान)...** आप सुनिए, थोड़ा सब्र से सुनिए। अब आपके पास मुसलमान नहीं रहने वाला है। वह वक्त चला गया है। ...(**समय की घंटी**)...

† **شری غلام علی**: آپ نے ایک سازش کے تحت ایسے سیکشن لائے جس کے لیے وقف بدنام ہو، جس سے مسلمان بدنام ہو، جس سے وقف کا تقدس پامال ہوگا۔ ہم کیوں بڑے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کریں گے؟ کیا ہم ناپاک ہیں؟ ...(وقت کی گھنٹی)... ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس کی جائیداد پر قبضہ نہیں کریں گے۔ آپ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ آپ نے سازش کے تحت ایسی دفعہ ڈالی ہے۔ ہم کسی کی جائیداد پر وقف کا جھنڈا کیوں لہرائیں؟ ہم اپنی عطیہ کردہ جائیداد کا ریکارڈ چیک کریں گے۔ ...(مداخلت)... آپ سنئیے، ذرا صبر سے سنئیے۔ اب آپ کے پاس مسلمان نہیں رہنے والا ہے ۔ وہ وقت چلا گیا۔ ...(وقت کی گھنٹی)...

श्री उपसभापतिः आप चेयर को देखकर संबोधित कीजिए और अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री गुलाम अलीः यूनिफाइड वक्फ, नाउम्मीदी **...(व्यवधान)...**

† شری غلام علی: یونیفائیڈ وقف، ناامیدی ...(مداخلت)...

श्री उपसभापतिः आप कन्क्लूड कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री गुलाम अलीः डिप्टी चेयरमैन सर, हम नॉर्थ-ईस्ट में गए। वहां ट्राइबल्स ने अपनी जमीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट दी है। ये क्या बोलते हैं कि मुसलमानों आप ट्राइबल्स की जमीन पर भी जाओ। ट्राइबल्स ने पहले ही हमें नॉर्थ-ईस्ट में गिफ्ट दिया है। **...(व्यवधान)...** आप सुनिए, आपको मालूम नहीं है ...(**समय की घंटी**)...

---

† Transliteration in Urdu script.

£ Expunged as ordered by the Chair.

†جناب غلام علی: ڈپٹی چیئرمین سر، ہم نارتھ ایسٹ میں گئے۔ وہاں قبائلیوں نے اپنی زمین مسلمانوں کو قبرستان کے لیے تحفے میں دی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں، آپ قبائلیوں کی زمین پر جاؤ۔ قبائلی پہلے ہی ہمیں شمال مشرق میں تحفہ دے چکے ہیں۔ **...(مداخلت)...** آپ سنیں، آپ کو معلوم نہیں**...(وقت کی گھنٹی)...**

श्री उपसभापतिः गुलाम अली जी, आपका समय खत्म हो चुका है। आप कन्क्लूड कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री गुलाम अलीः डिप्टी चेयरमैन सर, वाकिफ की मंशा ...(**व्यवधान**)... वाकिफ की मंशा से वक्फ चलता है। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने हजारों properties का title change किया। वाकिफ की मंशा को change करने वाले आप कौन होते हैं? ...(**समय की घंटी**)...

† **جناب غلام علی:** ڈپٹی چیئرمین سر، واقف کی منشا **...(مداخلت)...** واقف کی منشا سے وقف چلتا ہے۔ **...(مداخلت)...** انہوں نے ہزاروں جائیدادوں کا ٹائٹل چینج کیا۔ واقف کی منشا کو چینج کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ...(وقت کی گھنٹی)...

श्री उपसभापतिः आपका समय खत्म हुआ।

श्री गुलाम अलीः आपने 'other religion' की बात की।

† **جناب غلام علی:** آپ نے 'other religion' کی بات کی۔

श्री उपसभापतिः आप conclude करिए।

SHRI GULAM ALI: Sir, I am concluding. सर, अमरनाथ में इन other मुसलमानों के अलावा और कौन आ गया! ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... Section 4(3) does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily...(Interruptions)... सुनिए, श्री अमरनाथ में ...(**व्यवधान**)... और सुनिए। ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... बोध गया में ...(**व्यवधान**)... सुनिए। ...(**व्यवधान**)... This Act provides for the formation of...(Interruptions)... मेरी बात सुनिए। क्या बोध गया में बाकी लोग नहीं हैं? ...(**व्यवधान**)... क्या बाकी लोग नहीं हैं?

† جناب غلام علی: سر، آئی ایم کنکلوڈنگ۔ سر امرناتھ میں ان other مسلمانوں کے علاوہ اور کون آگیا **...(مداخلت)...** سنئیے۔ ...(مداخلت)... Section 4(3) does not mention that distinguished person in the field of administration, legal affair or financial matter have to be necessarily...(Interruptions)... سنئیے، شری امرناتھ میں **...(مداخلت)...**اور سنئیے۔ **...(مداخلت)...** This Act provides for the formation بودھ گیا میں**...(مداخلت)...-** سنئیے**...(مداخلت)...**

† Transliteration in Urdu script.

...(of...(Interruptions)... میری بات سنیئے۔ کیا بودھ گیا میں باقی لوگ نہیں ہیں؟**...(مداخلت)...** کیا باقی لوگ نہیں ہیں؟

श्री उपसभापतिः गुलाम अली जी, आप conclude करिए। ...(**समय की घंटी**)...

SHRI GULAM ALIः Sir, I am concluding. ...(Interruptions)... जब हमने वैष्णो देवी में reform लाया, तो वहाँ के साधु समाज ने बहुत resistance किया। डिप्टी चेयरमैन सर, जब वहाँ Shrine Board बना, तो आज वहाँ यूनिवर्सिटी बनी, आज वहाँ सुविधा है, आज वहाँ कैंसर अस्पताल बना। लेकिन 70 साल में आपका हिसाब हम सीबीआई के जरिए लेंगे। हम हिसाब लेंगे।

सर, ये मुसलमानों के मसीहा बनते हैं! पिछले 30 सालों में 40 हजार से ज्यादा मासूम ...(**समय की घंटी**)... आज इनको ...

† **جناب غلام علی:** سر، آئی ایم کنکلوڈنگ**...(مداخلت)...** جب ہم نے ویشنو دیوی میں ریفارم لایا، تو وہاں کے سادھو سماج نے بہت ریزیسٹینس کیا۔ ڈپٹی چئیرمین سر، جب وہاں شرائن بورڈ بنا، تو آج وہاں یونیورسٹی بنی، آج وہاں سُویدھا ہے، آج وہاں کینسر اسپتال بنا۔ لیکن ستر سال میں آپ کا حساب ہم سی بی آئی کے ذریعہ لیں گے۔ ہم حساب لیں گے۔

سر، یہ مسلمانوں کے مسیحا بنتے ہیں۔ پچھلے تیس سالوں میں چالیس ہزار سے زیادہ معصوم **...(وقت کی گھنٹی)...** آج ان کو---

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। आप conclude करिए। गुलाम अली जी, आप conclude करिए।

SHRI GULAM ALIः Sir, I am concluding. ...(Interruptions)... हमारे लिए बोलते हैं कि बीजेपी ने एमपी नहीं बनाया, बीजेपी एमएलए को टिकट नहीं देती। आप 70 साल सत्ता में रहे, आप State-wise बताइए कि आपने चपरासी कितने मुसलमान बनाए? आपने स्टेट कैडर के कितने मुसलमान बनाए? आपने कितने IAS Officer मुसलमान बनाए? ...(**समय की घंटी**)... आप मेरी बात सुनिए। आप fellowship की बात करते हैं। बजट कम हो गया, इसकी बात करते हैं। आप मुसलमान के विरोधी हैं। ...(**समय की घंटी**)... सर, मैं conclude करूँगा।

आज जरूरत है कि हम इस बिल की हिमायत करें, ताकि वक्फ दोबारा कम्युनिटी की रूहानी और मआशी ताकत बने, ताकि वो मसाजिद, वो मदारिस, वो कब्रिस्तान, वो खस्ताहाल जो properties हैं, उन्हें दोबारा सँवारा जा सके। ...(**समय की घंटी**)...

सर, last में मैं एक शेर से conclude कर रहा हूँ।

"परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है,
जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है।"

शुक्रिया। जय हिन्द!

† Transliteration in Urdu script.

†**جناب غلام علی:** سر، آئی ایم کنکلوڈنگ...(مداخلت)... ہمارے لیے بولتے ہیں کہ بی جے پی نے ایم پی نہیں بنایا، بی جے پی ایم ایل اے کو ٹکٹ نہیں دیتی۔ آپ ستر سال ستّہ میں رہے، آپ اسٹیٹ وائیز بتائیے کہ آپ نے چپراسی کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے اسٹیٹ کیڈر کے کتنے مسلمان بنائے؟ آپ نے کتنے آئی اے ایس آفیسر مسلمان بنائے؟...(وقت کی گھنٹی)... آپ میری بات سنئے۔ آپ فیلوشپ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ کم ہوگیا، اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ مسلمان کے ورودھی ہیں۔...(وقت کی گھنٹی)... سر میں کنکلوڈ کرونگا۔

آج ضرورت ہے کہہ ہم اس بل کی حمایت کریں، تاکہ وقف دوبارہ کمیونٹی کی روحانی اور معاشی طاقت بنے، تاکہ وہ مساجد، وہ مدارس، وہ قبرستان، وہ خستہ حال جو پراپرٹیز ہیں، انہیں دوبارہ سنوارا جاسکتے۔...(وقت کی گھنٹی)... سر آخر میں میں ایک شعر سے کنکلوڈ کررہا ہوں۔

پروں کو کھول، زمانہ اڑان دیکھتا ہے،
زمین پر بیٹھ کے کیا آسماں دیکھتا ہے۔

شکریہ۔ جے ہند!

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। माननीय जी, आप किस रूल के तहत बोलना चाहते हैं?

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान)**:** डिप्टी चेयरमैन सर, रूल 37. "समय के आवंटन के आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक कि सभापति ऐसा न करे, जो राज्य सभा का अभिप्राय मालूम करके यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसे परिवर्तन के लिए सामान्य सहमति है, तो वह ऐसा परिवर्तन कर सकेगा"। मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, पर एक अनियमितता हो रही है, मैं उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप इसे समझने के बाद सहमत हो जाएँगे।

श्रीमन्, सामान्यतः सदन 6 बजे तक चलता है। इस समय 11.44 हो गए। 6 बजे के बाद अगर समय बढ़ाना है, तो सबका अभिप्राय, सबकी राय ली जाएगी। दूसरा, जो BAC थी, जिसमें आप भी थे, हम भी थे, सभी लोग थे, इसमें हमने 8 घंटे आवंटित किए थे। इसलिए एक बजे से 8 घंटे जोड़ लीजिए, 9 बज गए, तो यह दो घंटे 44 मिनट से जो सदन चल रहा है, इसके लिए sanction किसकी है? ...(**व्यवधान**)... आम सहमति होनी चाहिए, करा लीजिए, अन्यथा जितना कुछ आप कर रहे हैं ...

श्री उपसभापतिः माननीय प्रमोद जी, हम आपकी बात समझ गए।

श्री प्रमोद तिवारीः मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ कि जितनी कार्यवाही 6 बजे के बाद हो रही है, आप इसको बहुत स्ट्रेच करें, तो 1 बजे से लेकर 9 बजे के बाद हो रही है। ...(**व्यवधान**)... आप बैठे रहिए। आप मंत्री हैं, आपको खुद इस बात को उठाना चाहिए था। अगर मैं सदन को एक अनियमितता से बचाना चाहता हूँ, तो आप बिना सोचे-समझे मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यह राज्य सभा है, Council of States है, आप उच्च सदन समझे जाते हैं और आप अनियमितता ...(**व्यवधान**)...

† Transliteration in Urdu script.

श्री उपसभापतिः माननीय प्रमोद जी, मैंने आपकी बात सुनी।

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, Rule 37 has been... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sukhendu ji, please take your seat. ...*(Interruptions)*...

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, Rule 37 has been blatantly violated. ...*(Interruptions)*... No sense of the House was taken by the Chair. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it is as per recommendation of BAC and the hon. Chairman has approved it as required under Rule 37 and it has been made... ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: It was only for eight hours. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have already clarified it. Now, Shri Ram Nath Thakur. ...*(Interruptions)*... मैंने बता दिया। I have already said, Pramod ji. For the benefit of hon. Members, again, I will repeat. It is as per recommendation of BAC and the hon. Chairman has approved it as required under Rule 37. ...*(Interruptions)*...

SHRI PRAMOD TIWARI: It was for eight hours. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ram Nath Thakur ji, please speak. ...*(Interruptions)*... Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... आज ये बिजनेस कम्प्लीट होने हैं। ...(**व्यवधान**)... Nothing else is going on record.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): धन्यवाद, उपसभापति महोदय, मैं सबसे पहले ...(**व्यवधान**)... सबसे पहले, किरेन रिजिजु जी ने ...(**व्यवधान**)... अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, श्री किरेन रिजिजु जी ने जो प्रस्ताव रखा है, जो बिल पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, हमारे दल के नेता, श्री संजय झा जी ने पूरी बात बताई है। 20 वर्षों में बिहार में नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है, उसके लिए किसी के सिखाने की बात नहीं आती है। मैं अपने दल की तरफ से और बिहार की तरफ से, भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

उपसभापति महोदय, आज मुझे डा. राम मनोहर लोहिया की बात याद आती है। उन्होंने कहा था - छेड़ो तो छोड़ो नहीं और छोड़ो तो छेड़ो नहीं। यह काम छिड़ गया है और जब यह छिड़ गया है, तो अब इसे छोड़ना नहीं है। ...(**व्यवधान**)... इसे छोड़ना नहीं है। अभी 31 मार्च को ईद का त्यौहार हुआ है। मैं और बहुत सारे लोग, जो पॉलिटिकल आदमी हैं, वो ईदगाह में जाते हैं। ...(**व्यवधान**)... वे ईदगाह में जाते हैं, तो ईद के बाद गले से गले मिलते हैं, लेकिन उनके बगल में जो भिखारी लोग खड़े रहते हैं, जो गरीब मुसलमान लोग खड़े रहते हैं, ईदी के लिए, वह देखने लायक सीन होता है। लोगों ने उसे देखा भी होगा। आप लोग जरा ईद के रोज ईदगाह में जाकर, मुसलमानों, गरीब मुसलमानों की क्या स्थिति है, उनके के बारे में सोचने का काम करें, शोध करें और तब बोलने का काम करें। डा. राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में यह कहा था कि – "संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ें पावें सौ में साठ।" उन पिछड़ों के लिए, आज भारत सरकार के मंत्री ने, नीतीश कुमार जी की सहमति से जो प्रस्ताव पेश किया है, उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों का है। इस प्रस्ताव में क्या है? गरीब मुसलमानों को जो हक नहीं मिलता था, वह हक दिलाने के लिए भारत सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है, उस पर आप तर्क-वितर्क कर रह हैं, कोई इसको काट रहे हैं, कोई इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन स्थिति को जाँच नहीं रहे हैं। स्थिति को देखना चाहिए और हम सबों को इस पर ध्यान देकर इस प्रस्ताव को पास कराना चाहिए, इस बिल को पास कराना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। जब आरक्षण आया था, तब इसी तरह तर्क-वितर्क होते थे और जब आरक्षण आया, तो सब लोग शांत हो गए, सबने उसकी विशेषता बताने का काम किया। अब तो भागलपुर का दंगा को याद कीजिए। ...(**व्यवधान**)... ईमानदारीपूर्वक न्याय किसने दिया? नीतीश कुमार ने दिया। जब नीतीश कुमार ने न्याय दिया, तो हम लोग न्याय के साथ चल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... हम 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं और जो अगले महाभारत होने वाले हैं, उसमें आप सीखने का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मुझे जो समय दिया गया है, उस समय के अनुसार मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जय हिंद, जय भारत।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, डा. फौजिया खान जी।

डा. फौजिया खान (महाराष्ट्र)**:** सर, यह बिल दावा कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थापन को रिफॉर्म, empower और डेवलप कर रहा है। यह बात ऊपर से तो बहुत सही लगती है, परंतु काश! यह सही होता, ऐसा ही होता, क्योंकि यह हम नहीं कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र में औक़ाफ़ की मंत्री भी रह चुकी हूँ और वक्फ बोर्ड के मेंबर के तौर भी चार वर्षों से काम कर रही हूँ, इसलिए मैं अपने अनुभव से कहती हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। लेकिन इन सुधारों के लिए, जिनके लिए मैं चार वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, वक्फ बोर्ड को जिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, उसका भी अनुभव मुझे है। वक्फ बोर्ड के सामने जो सबसे बड़े तीन प्रश्न हैं, उनमें एक है encroachment, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है गैर-कानूनी कब्जे। सर, इनसे निपटने के लिए वक्फ बोड्र्स को सरकार की सहायता की आवश्यकता थी, और है, परंतु बात नीयत की है। अगर सरकार की रिफॉर्म्स की नियत होती, तो इस बिल में वक्फ बोड्र्स को empower करने का प्रयास होता। वक्फ बोड्र्स को

गवर्नमेंट के patronization की आवश्यकता थी और है। मजबूतीकरण की आवश्यकता थी और है। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो encroachment हटाने में मदद की बात होती। इसके लिए इस बिल में कठोर-से-कठोर प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो सर्वेज़ में सर्वे कमिश्नर्स की मदद की बात होती। रिफॉर्म का एजेंडा होता, तो भ्रष्टाचार पर कठोर-से-कठोर कार्रवाइयों के प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। जमीनों को गैर-कानूनी तरीकों से बेचने या खरीदने या कब्जा करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान लाए होते। यहाँ तो पहले जिसको एक सीरियस क्राइम माना जाता था, उसे भी आप non-cognizable और bailable बना कर प्रावधान लाए हैं।

सर, मुतवल्लियों से वक्फ बोर्ड्स को जो शेयर मिलता है, उससे कब्रिस्तानों, मस्जिदों के काम होते हैं, उस शेयरर को भी आपने कम कर दिया है। उसको 7 परसेंट से 5 परसेंट पर ला दिया है। वक्फ बोर्ड की और तो कोई इनकम नहीं होती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। वह इनकम तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ से ही होगी। वक्फ बोर्ड तो मस्जिद चलाते हैं, कब्रिस्तान चलाते हैं, आशूरखाने चलाते हैं, दरगाह चलाते हैं, वहां इनकम कहां से होगी? सर, अगर वक्फ बोर्ड्स को आप सशक्त करना चाहते थे, तो ऑफिसेज़ की बात होती, institutional support देने की बात होती, स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना, उनकी autonomy अबाधित रखते हुए अगर आप करते, तो कोई बात थी। अगर आप उनकी autonomy छीनकर कर रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर, अगर मुझे मेरा घर चलाने में कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप यह नहीं कह सकते कि मदद के तौर पर हम आकर आपके घर के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आपको अपने घर चलाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन इस तरह की बात यहां हो रही है। सर, सवाल यह है कि क्या बोर्ड्स में non-community members लाए जाने से बोर्ड्स empower हो जाएंगे? इस बात का क्या लॉजिक है? सर, आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था ही नहीं है। आपने कहा कि वह धार्मिक संस्था ही नहीं है। क्या मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों और आशूरखानों का व्यवस्थापन करने वाले धार्मिक संस्था नहीं हैं? लोगों ने जो वक्फ बोर्ड को जमीनें religious purpose के लिए डोनेट की हैं, वह व्यवस्थापन धार्मिक नहीं है, यह सोच भी कमाल की है। ...(**समय की घंटी**)... सर, आप मुझे बोलने दें। एक तो आपने आखिर में मेरा नाम पुकारा और आप घंटी बजा रहे हैं! प्लीज़, मुझे बोलने दीजिए, सर। यह बात अन्यायकारक है। Please consider it.

†**ڈاکٹر فوزیہ خان (مہاراشٹر)**: سر، یہ بل دعوی کررہا ہے کہ وقف املاک کے ویوستھاپن کو ریفارم، ایمپاور اور ڈیولپ کررہا ہے۔ یہ بات اوپر سے تو بہت صحیح لگتی ہے لیکن کاش یہ صحیح ہوتا ایسا ہی ہوتا کیونکہ یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ سدھار کی ضرورت نہیں ہے۔ سدھار کی ضرورت ہے بے حد ضرورت ہے میں مہاراشٹر میں اوقاف کی منتری بھی رہ چکی ہوں اور وقف بورڈ کے ممبر کے طور پر بھی چار سالوں سے کام کر رہی ہوں اس لیے میں اپنے تجربے سے کہتی ہوں کہ سدھار کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سدھاروں کے لیے جن کے لیے میں چار سالوں سے پریتن شیل ہوں وقت بورڈ کو جن سوالوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے اس کا بھی تجربہ مجھے ہے۔وقف بورڈ کے سامنے جو سب سے بڑے تین سوال ہیں ان میں ایک ہے انکروچمنٹ دوسرا ہے بھرشٹا چار اور تیسرا ہے غیر قانونی قبضے۔ سر ان سے نپٹنے کے لیے وقف بورڈ کو سرکار کی مدد کی ضرورت تھی اور ہے لیکن بات نیت کی ہے۔ اگر سرکار کی ریفارمنس کی نیت ہوتی تو اس بل میں وقف بورڈ کو ایمپاور کرنے کا پریاس ہوتا۔وقف بورڈ کو

† Transliteration in Urdu script.

سرکار کے پیٹرونیزیشن کی ضرورت تھی اور ہے۔ مضبوطی کرنےکی ضرورت تھی اور ہےریفارم کا ایجنڈا ہوتا تو انکروچمنٹ ہٹانے میں مدد کی بات ہوتی اس کے لیے اس بل میں کٹھور سے کٹھور پراؤ دھان لائے جاتے جو نہیں ہے۔ ریفارم کا ایجنڈا ہوتا تو سرویز میں سروے کمشنرز کی مدد کی بات ہوتی۔ ریفارم کا ایجنڈا ہوتا تو بھرشٹا چار پر کٹھور سے کٹھور کاروائیوں کے پراودھان لائے جاتے جو نہیں ہیں۔ زمینوں کو غیر قانونی طریقوں سے بیچنے یا خریدنے یا قبضہ کرنے والوں کے خلاف اور کٹھور پراؤدھان لائے ہوتے۔ یہاں تو پہلے جس کو ایک سیریس کرائم مانا جاتا تھا اسے بھی اپ نان کوگنیزیبل اور بیلیبل بنا کر پراؤ دھان لائے ہیں۔

سر متولیوں سے وقت بورڈز کو جو شیئر ملتا ہے اس سے قبرستان و مسجدوں کے کام ہوتے ہیں اس شیئر کو بھی آپ نے کم کر دیا ہے۔ اس کو سات پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ پر لا دیا ہے وقت بورڈ کی اور تو کوئی انکم نہیں ہوتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انکم تو کمرشل ایکٹیوٹیز سے ہی ہوگی۔ وقت بورڈ تو مسجد چلاتے ہیں، قبرستان چلاتے ہیں، عاشور خانے چلاتے ہیں، درگاہ چلاتے ہیں، وہاں انکم کہاں سے ہوگی؟ سر اگر وقت بورڈ کو اپ سشکت کرنا چاہتے تھے تو افسز کی بات ہوتی، انسٹیٹیوشنل سپورٹ دینے کی بات ہوتی، اسٹاف دینے کی بات ہوتی، لیکن ان کی سوایتہ چھینے بنا ان کی اٹونومی ابادھیت رکھتے ہوئے اگر اپ کرتے تو کوئی بات تھی۔ اگر اپ ان کی اٹونومی چھین کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سر اگر مجھے میرا گھر چلانے میں کچھ دشواری ارہی ہے تو اپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مدد کے طور پر ہم ا کر اپ کے گھر کے مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ اپ کو اپنے گھر چلانے میں دشواری ہو رہی ہے لیکن اس طرح کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ سر سوال یہ ہے کہ کیا بورڈز میں نان کمیونٹی ممبرز لائے جانے سے بورڈ اپپاور ہو جائیں گے۔ اس بات کا کیا لوجک ہے؟ سر اپ کہتے ہیں کہ بورڈ دھارمک سنستھا ہی نہیں ہے۔ اپ نے کہا کہ یہ وہ دھارمک سنستھا ہی نہیں ہے۔ کیا مسجدوں درگاہوں قبرستانوں اور عاشور خانوں کا ویوستھاپن کرنے والے دھارمک سنستھا نہیں ہیں؟ لوگوں نے جو وقف بورڈ کو زمین ریلیجس پرپز کے لیے ڈونیٹ کی ہیں وہ ویوستھاپن دھارمک نہیں ہے یہ سوچ بھی کمال کی ہے۔ ---(وقت کی گھنٹی)--- سر آپ مجھے بولنے دیں ایک تو آپ نے آخر میں میرا نام پکارا اور آپ گھنٹی بجا رہے ہیں۔ پلیز مجھے بولنے دیجئے سر۔ یہ بات انیائےکارک ہے۔ پلیز کنسیڈر اِٹ۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One minute, please. मैडम, सूची में आपका नाम जहाँ पर है, मैं वहीं पुकार सकता हूँ और जो समय लिखा है, उसका मैं पालन करता हूँ।

डा. फौजिया खान: सर, मेरा नाम नीचे-नीचे आता गया।

† **ڈاکٹر فوزیہ خان:** سر میرا نام نیچے -نیچے آتا گیا-

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. *...(Interruptions)...* मैडम, प्लीज़ सीट पर बैठकर न बोलें। सूची में जहाँ पर नाम है, वहीं मैं बुला रहा हूँ। आप conclude करें।

डा. फौजिया खान: सर, आप मुझे बोलने दीजिए, प्लीज़।

† **ڈاکٹر فوزیہ خان:** سر آپ مجھے بولنے دیجیے پلیز۔

श्री उपसभापति: हाँ, आप बोलिए, लेकिन अब conclude कीजिए।

डा. फौजिया खान: सर, मैं पूछती हूँ कि वक्फ जमीनों का सबसे बड़ा encroacher कौन है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा encroacher स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है और आपने encroacher को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे धार्मिक संस्थाओं को न्याय मिल जाएगा? क्या धार्मिक संस्थाएं empower हो जाएंगी? यह मेरा सवाल है।

---

† Transliteration in Urdu script.

Survey Commissioners को मजबूत बनाने के लिए उनको और रिसोर्सेज़ दिए जाने चाहिए थे, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने का सीधा अधिकार आप सरकार को दे दे रहे हैं! ...(**व्यवधान**)... सर, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक भेड़िया बकरे की खाल ओढ़कर शिकार करता था। मुझे आज वह कहानी याद आ रही है। ...(**समय की घंटी**)...

† **ڈاکٹر فوزیہ خان:** سر، میں پوچھتی ہوں کہ زمینوں کا سب سے بڑا انکروچر کون ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وقت بورڈ کا سب سے بڑا انکروچر اسٹیٹ گورنمنٹ خود ہے اور آپ نے انکروچر کو ہی فیصلہ کرنے کا ادھیکار دے دیا ہے۔ کیا اس سے دھارمک سنستھاؤں کو نیائے مل جائے گا؟ کیا دھارمک سستھائیں ایمپاور ہو جائیں گی؟ یہ میرا سوال ہے۔ سروے کمیشن کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو اور ریسورسز دیے جانے چاہیے تھے لیکن وقف پراپرٹیز کو کنٹرول کرنے کا سیدھا ادھیکار آپ سرکار کو دے رہے ہیں! ...(**مداخلت**)... سر، میں نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ ایک بھیڑیا بکرے کی کھال اوڑھ کر شکار کرتا تھا مجھے آج وہ کہانی یاد آرہی ہے ---(**وقت کی گھنٹی**)---

श्री उपसभापतिः अब आप conclude कीजिए।

डा. फौजिया खानः सर, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए।

† **ڈاکٹر فوزیہ خان :** سر، پلیز مجھے بولنے دیجیے۔

श्री उपसभापतिः मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन unending time नहीं दे सकता।

डा. फौजिया खानः सर, आप घंटियाँ बजा रहे हैं।

† **ڈاکٹر فوزیہ خان :** سر، آپ گھنٹیاں بجارہے ہیں۔

श्री उपसभापतिः हाँ, बजाएंगे।

डा. फौजिया खानः सर, यह बिल सुधार नहीं, बल्कि माइनॉरिटीज़ के अधिकारों पर, माइनॉरिटीज़ के संवैधानिक अधिकारों पर खुद एक तरीके का encroachment है। इस बिल में आर्टिकल 14 से 30 तक के हर आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। माइनॉरिटीज़ में केवल मुस्लिम्स नहीं हैं, बल्कि उनमें क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट्स हैं, पारसीज़ हैं। आज मुस्लिम्स की बारी है, कल क्रिश्चियंस की आएगी, परसों बुद्धिस्ट्स की आएगी। सर, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि आप गरीब मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं, यह चर्चा हो रही है। आप यह किस तरह से करेंगे? ...(**समय की घंटी**)... £ क्या आप उसी तरह गरीब मुसलमानों का भला करेंगे? आप इसको किस तरह से करेंगे? आप मुसलमानों को इसमें से क्या देंगे? क्या आप इन जमीनों को बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देकर उसमें से इनकम निकालेंगे? आज आपके पास बजट है, आप उस बजट में से मुसलमानों का भला कीजिए। यह मेरी आपसे विनती है। ...(**समय की घंटी**)...

---

† Transliteration in Urdu script.

£ Expunged as ordered by the Chair.

†**ڈاکٹر فوزیہ خان :**سر، یہ بل سدھار نہیں بلکہ اقلیتوں کے حقوق پر اقلیتوں کے آئینی حقوق پر خود ایک طریقے کاانکروچمنٹ ہے۔ اس بل میں آرٹیکل 14 سے 30 تک کے ہر آرٹیکل کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اقلیتوں میں صرف
مسلم نہیں ہیں بلکہ ان میں کرسچنز ہیں، سکھ ہیں، بدھشٹ ہیں، پارسیز ہیں۔ آج مسلم کی باری ہے کل کرسچنز کی آئے یہ چرچا ہو رہی ہے آپ یہ کس طرح سے کریں گے ---**(وقت کی گھنٹی)**--- £ کیا آپ اسی طرح غریب مسلمانوں کا گی، پرسوں بدھشت کی آئے گی۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ غریب مسلمانوں کے فائدے کی بات کر رہے ہیں بھلا کریں گے؟ آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ آپ مسلمانوں کو اس میں سے کیا دیں گے؟ کہ آپ ان زمینوں کو بڑے بڑے پونجی پتیوں کو دے کر اس میں سے انکم نکالیں گے؟ آج آپ کے پاس بجٹ ہے آپ اس بجٹ میں سے مسلمانوں کا بھلا کیجئے یہ میری آپ سے گزارش ہے ---**(وقت کی گھنٹی)**---

श्री उपसभापतिः मैडम, अब आप conclude कीजिए।

डा. फौजिया खानः सर, यहां एक मुद्दा सुधांशु त्रिवेदी जी ने उपस्थित किया कि एक कम्युनिटी आज माफिया के साथ है, गुनहगारों के साथ है। ...(**व्यवधान**)...

†**ڈاکٹر فوزیہ خان**: سر، یہاں ایک مدعہ سدھانشو تریویدی جی نے اُپستھت کیا کہ ایک کمیونٹی آج مافیا کے ساتھ ہے گناہگاروں کے ساتھ ہے---(مداخلت)---

श्री उपसभापतिः उस पर आप कह चुकी हैं। अब आप conclude कीजिए।

डा. फौजिया खानः सर, मेरा सवाल यह है कि बिलकिस बानो के बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है? आपके लिए क्या वे फरिश्ते हैं? यह मेरा सवाल है।

आखिर में, मैं एक ही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी किः

"बहरों की अदालत में, गूंगे की गुहार है,
सजा मिली है उसे, तीर जिसके जिगर के आर-पार है।"

धन्यवाद, सर।

† **ڈاکٹر فوزیہ خان:** سر، میرا سوال یہ ہے کہ بلقیس بانو کے بلاتکاریوں کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ آپ کے لیے کیا وہ فرشتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔

آخر میں میں ایک ہی بات کہتے ہوئے اپنی وانی کو وِرام دونگی کہ

بہروں کی عدالت میں، گونگے کی گہار ہے،
سزا ملی ہے اسے، تیر جس کے جگر کے آر پار ہے۔

شکریہ،

† Transliteration in Urdu script.

£ Expunged as ordered by the Chair.

12.00 **MID NIGHT**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri George Kurian. ...(Interruptions)... Yes, Shri Sukhendu Sekhar Ray!

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, my point of order is under Rule 29(1). It says that a List of Business for the day shall be prepared by the Secretary-General, etc. Now, the List of Business for 3rd April was prepared by the Secretary-General; then, a Revised List of Business; thereafter, a Supplementary List of Business. All were dated 3rd April. We are now on 4th April; there is no List of Business for 4th April.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Shri Sukhendu Sekhar Ray. माननीय सदस्यगण, hon. Chairman ने जो निर्देश दिया था, बीएसी में जो पढ़ा गया था, वह मैं already बता चुका हूं। Again, I will refer to a different thing. This is 'Rajya Sabha At Work'. It is very clearly mentioned, as already stated, a sitting of the House concludes at such time as the Chairman may direct. Without going into detail, again, I will read a quote. It says, "Sitting of the Council shall conclude at such hour as the Chairman may direct". I have conducted the proceedings and the proceedings are continuing uninterrupted till this Bill is concluded. It has been made clear. Thank you. Now, Shri George Kurian. मैं दो बार स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (SHRI GEORGE KURIAN): Mr. Deputy Chairman, Sir, I express my gratitude towards Modiji and Kirenji for giving me this opportunity. Yesterday, after the Bill was passed in the Lok Sabha, at 12.38 a.m., people of Munambam in Kerala started their procession in support of this Bill and burst crackers. They expressed their gratitude to Prime Minister Modiji and said that only Modiji can save their land and livelihood. Yesterday, it happened. As you know, in Munambam, CPM and Congress wanted to evict these people from there in Kerala. ...(Interruptions)... They were opposing. ...(Interruptions)... They were opposing BJP because BJP supported them. A church is located in that land of 404 acres. That is Our Lady of Velankanni Church. They are crying about churches in other States. There is one cemetery and convent. These people were vociferously against and they were speaking against these Christians. That is why, the Bishop Council of India, Kerala Catholic Bishop Council, the Kerala Council of Churches, etc. passed resolutions. I will read one of the resolutions. Our hon. Member, Dr.

Sudhanshu Trivedi, read some portions; I will read rest of it. It says that over the past three years, this issue has escalated into a complex legal dispute. The fact remains that only legal amendments can provide a permanent solution and this must be recognised by the people's representatives and MPs from Kerala.

As Waqf Amendment Bill was to be introduced in Parliament, CBCI urged political parties and the legislators to adopt an unbiased and constructive approach on this issue. The rightful ownership of land must be fully bestowed to the people of Munambam. Any provision of law, which contradicts the principle of the Indian Constitution, must be amended. At the same time, the rights of the religious minorities, as guaranteed by the Constitution, must be safeguarded. I want to point out one thing. What is this "three years"? It is because three years back, the PFI was banned by Modi*ji* and Amit Shah*ji*. After that, these people are unnecessarily moving here and there. They are telling something and they want that the ban should be taken out. That is why it was withdrawn. That is why these people are telling that. And you know that yesterday in Lok Sabha, one of the most popular leaders of Kerala, Shri Suresh Gopi, stated that resolution of the Kerala Assembly would be thrown into the Arabian Sea. What was the slogan of the people of Munambam yesterday? "We would throw the Resolution of the Assembly into the Arabian Sea." What was Kerala Assembly's Resolution? They were against this Munambam thing. They passed the resolution that the Waqf Amendment Bill should be withdrawn. That was their demand. You see, how many [%]resolutions ...*(Interruptions)*... I withdraw that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes. Will examine and all unparliamentary words will be removed.

SHRI GEORGE KURIAN: Meaningless, I would say. I withdraw that. ...*(Interruptions)*... They have passed meaningless resolutions, you see. They have passed one resolution in 2006. What was the resolution? You may be knowing about Abdul Nasser Madani, the terrorist who tried to kill Advani*ji* in 1998 Coimbatore bomb blasts. These people have passed one resolution.What was the resolution? They demanded the court to release him. They demanded the court of law to release him. Who was he? He tried to kill Advani*ji* in Coimbatore in 1998 during the bomb explosion. ...*(Interruptions)*... Sir, out of five or ten minutes of their speech, the MPs from Kerala spoke about the religious freedom and secularism etc. in India, and

[%] Withdrawn by hon. Member.

especially about secularism of Kerala. I want to explain in which way they are maintaining secularism. In 2018, one church was there in Kottayam. That is St. Paul Church, an Anglican Church. During Christmas, the DYFI and SFI workers attacked that Church. They attacked the carol singers and they were compelled to stay in the Church. ...*(Interruptions)*...

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... I will authenticate it. ...*(Interruptions)*... I was Vice-Chairman, National Minority Commission, at that time. I will read that. The Communists should understand that secularism. What is happening in Kerala? It has gone from State Police Chief to the Under Secretary to the Government of India, National Minority Commission. And, it is written by Shri Sukumaran Pillai, IPS, Assistant Inspector General. It is written here 'Report in connection with the attack on Christian Carol team by DYFI in Kottayam District, Kerala.' This Report is here and I will authenticate that. 15 days! ...*(Interruptions)*... I will place on the Table of the House. For 15 days, they suffered without food and they were attacked. ...*(Interruptions)*... These communists are telling that in North India, something is happening. What is happening in Kerala? ...*(Interruptions)*... Do you know that in 2014, Idduki Bishop's house was attacked? ...*(Interruptions)*... I have the records. Idduki Bishop's house was attacked by Youth Congress. ...*(Interruptions)*... They attacked the Bishop's house. ...*(Interruptions)*... What was the reason? On 16/5/2014...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: To both sides, I am requesting to please speak on the Bill. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*... Hon. LoP, I am requesting all the Members to speak on the Bill. ...*(Interruptions)*... For or against the Bill. ...*(Interruptions)*... This is for all the Members. ...*(Interruptions)*... It is for all the Members, as you are telling. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: They were telling in Malayalam about all India level attacks on Christians. ...*(Interruptions)*... That is why, the hon. Members did not understand that. That is my right and, with the authentication, I will do that because it is needed here, and see the date, on 16/5/2014 in Idduki Bishop's house... ...*(Interruptions)*... What was the reason? The Congress candidate was defeated. Defeated! That is why

they attacked. I have this court's prediction, which is here. The names of Congress leaders are there. Now, they are telling that it is happening in UP; it is happening in North-East; it is happening in North India and it is happening in Kerala. That is why, I am telling this one. And, Sir, I will speak in Malayalam. Father, Joseph Attuchalil, he lives near Pala, that is, Poonjar. He is a priest of a church. They wanted to read in Malayalam because other hon. Members should not understand. They were speaking in Malayalam. That is why Father Joseph Attuchalil of St. Mary's Forane Church, Poonjar was attacked by Muslim extremists. And what happened? A case was registered against the priest. The case was against the priest! He was hit by a car and his backbone was broken. It happened recently. And, I am telling that on September 10, 2021, Bishop's house of Pala was attacked by PFI. Then, what happens? The Chief Minister and the Opposition leader together decided that case should be taken against the Bishop, not against the PFI because they were supporting PFI.

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: Now also, they are supporting PFI. That is why I am telling, in Kerala, Muslims are very gentle and pious. But these people want to mislead them. You know what they were telling about Manipur. They were telling, 'It is a Hindu-Christian issue' -- they visited all the Christian and Hindu houses — 'Hindus and Christians are fighting with each other and why you are sitting idle.' In which way Mr. Suresh Gopi was selected? Do you know? It is because of Christian votes. They are educated. Christians are educated. They study. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I have a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, he is on a point of order. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I do not want to take much of the time. I have two points of order. Number one is under Rule 238, Clause 3. He has made a very objectionable remark on Kerala Legislature. There was a unanimous Resolution passed by the Kerala Legislature and his comment on that Resolution was quite objectionable. So, you may kindly note it and expunge. That is number one. Number two, we are having a very good and fruitful discussion on a critically important legislation. Why are you allowing such wastage of time?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for all. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: No; it is completely political. ...*(Interruptions)*... ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is for all the Members. This judgement, you are not supposed to give ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANDOSH KUMAR P: Is this a public meeting?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please continue. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: The case was taken against the Bishop because at that time, the PFI was not banned. They were telling that only 20 seconds is needed for slitting your throat and within one second they killed one SFI worker, that is, Abhimanyu in Ernakulam in Maharaja's College. In one second, they stabbed through the heart and killed. Therefore, they were following this. It happened in Palai on 10th September, 2021. I expressed my gratitude to Modi*ji* and Amit Shah*ji* that the PFI was banned and within one year, in September, 2022. That is why they are very sad. These communist and Congress people are very sad. Actually, the people of Kerala and these representatives, want to support this Bill. So many MPs know that their future will be in darkness. But the Prince and the Princess want to be elected from Wayanad. That is the reason, they want to be elected from Wayanad. You might have seen that flag. Which flag is that? That resembles our neighbouring country's flag itself, that is, Muslim League's flag. ...*(Interruptions)*... The same name of the Jinnah's party ...*(Interruptions)*... The same name of Jinnah's party ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. George Kurian. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: Jawaharlal Nehru and Jinnah divided India and they go together in Wayanad ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: These people are compelled to oppose this Bill. ...*(Interruptions)*... What will be the future of other MPs? You think. That is happening. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. George Kurian, please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI GEORGE KURIAN: Yes, Sir. I am concluding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has a point of order. ...*(Interruptions)*... Under which Rule?

DR. V. SIVADASAN: Sir, this is under Rule 240. Here, the hon. Minister has spoken irrelevant repetition and is continuously making the baseless statements. He is also trying to insult the Legislative Assembly of Kerala. Sir, he already said these things and is repeating them. So, it will not be allowed in this august House, Sir.

श्री उपसभापति: आप सही कह रहे हैं, यह रूल सभी माननीय सदस्यों के लिए applicable है, including the Minister. Please conclude.

SHRI GEORGE KURIAN: Yes, Sir. WAMSI data shows that out of 8.72 lakh registered Waqf properties, 1,088 have registered Waqf deeds and only 9,279 are having the ownership establishing documents. In Munambam, they are having nothing. No deed is there. See, the High Court asked them, 'Where were you?' It happened 100 years ago. The High Court asked, 'Where were you? Why are you coming now?' Because, now, the LDF Government and, in between, the UDF government wanted to ...*(Interruptions)*... They want to snatch the property of these Munambam people. They are Christians, Hindus and fishermen. That is why it happened. And, they are opposing them. They want to evict them. That is why? I want to say one thing. Here, the Muslim League leaders telling that, 'our leader, our president want to solve it.' Sir, in 2018 and 2019, some issues were there, 80 per cent and 20 per cent issues. Then, the Muslim League leader told that he will solve. One day, he came out with Hagia Sophia Church in Turkey. He insulted the Christians in Kerala. No problem was there between Christians and Muslims in Kerala. But, he has published a statement in a paper, their paper. It says, 'In Turkey, one Hagia Sophia Church was there. That was converted into Mosque by Muslims. I am proud of that.' There started the issue. That is why ...*(Interruptions)*... I conclude, Sir. I support the Munambam people.

...*(Interruptions)*... You were telling in Malayalam. You were telling in Malayalam. You are insulting! You are insulting Christians!

MR. CHAIRMAN: Please conclude. George Kurian*ji*, please conclude.

SHRI GEORGE KURIAN: Sir, I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Ramji Lal Suman, you have three minutes to speak. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. रामजी लाल सुमन जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है, आप बोलें। ...(**व्यवधान**)... रामजी लाल सुमन जी, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लाल सुमन (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: रामजी लाल सुमन जी, आप बोलें, आपका समय चल रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामजी लाल सुमन: सर, हाउस को व्यवस्थित करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आपका समय जा रहा है।

श्री रामजी लाल सुमन: उपसभापति जी, यह जो वक्फ संशोधन विधेयक है, यह विधेयक सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और खास तौर से मुसलमानों के संबंध में। यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 का उल्लंघन करता है। यह विधेयक संविधान के मूल ढाँचे पर हमला है और हमारे देश के संघीय ढाँचे के खिलाफ है। मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार को इस संशोधन विधेयक को वापस ले लेना चाहिए।

उपसभापति जी, जहाँ तक वक्फ संपत्तियों का सवाल है, ये वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की संपत्तियाँ हैं और इन पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है, जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता।

उपसभापति जी, हमारे तमाम लायक दोस्तों ने कहा और यह बात सही भी है कि विभिन्न वर्गों के या धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं या ट्रस्ट्स हैं, उनमें उन्हीं वर्गों के लोग होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा अन्य लोगों को जोड़ा जाना, यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। महोदय, वक्फ के सवाल पर संयुक्त संसदीय समिति बनी थी। यह हम सब लोगों को मालूम है कि उसके जो तमाम मेंबर्स हैं, उन्होंने उस समिति का बहिष्कार किया, कई बार बहिष्कार किया और विपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, उनमें से एक भी संशोधन का इसमें जिक्र नहीं है।

उपसभापति जी, यह बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। मैं आपके मार्फत एक आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले 11 सालों

से इस देश में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना - यह सिलसिला पिछले 11 महीनों से चल रहा है। ...(**समय की घंटी**)... इनके ऊपर कैसे विश्वास किए जाए?

उपसभापति जी, मैं आपके मार्फत एक यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, मुझे आशंका है कि ये वक्फ संपतियों को भी इसी प्रकार से बेच देंगे। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके मार्फत यह जानना भी चाहूंगा कि जो वक्फ संपतियां सरकार के अधीन हैं, सरकार के नियंत्रण में हैं, उनके बारे में ये क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर ये मुसलमानों के खिलाफ हैं और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुसलमानों के हित में काम करेंगे। ...(**समय की घंटी**)... मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपसभापतिः सुश्री कविता पाटीदार।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश)**:** माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। आज मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं।

महोदय, इस अधिनियम से एक ऐसा विषय जुड़ा हुआ है, जिसने दशकों तक इस देश में समानता और न्याय के सिद्धांतों को चुनौती देने का काम किया है, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस अधिनियम के द्वारा वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में पारदर्शिता, शुचिता और जवाबदारी लाने का साहसपूर्ण कार्य किया जा रहा है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। मैं माननीय मंत्री किरेन जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय महोदय, माननीय मंत्री जी ने सुबह भी कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। यह परिसंपत्ति करीब 9 लाख एकड़ में फैली है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी 2006 में बताया था कि अगर इसका उचित प्रबंधन होता, तो 12,000 करोड़ रुपये की सालाना आय जरूर होती। इतना ही नहीं, आज आप देखिए कि पहले इनके पास जो संपत्ति थी, वो कम थी और इन्होंने उससे 164 करोड़ रुपये की आय बताई थी। बाद में इनकी संपत्ति डबल हो गई, लेकिन उनसे आय इन्होंने जो बताई, वह 9.92 करोड़ बताई है, यानी संपत्ति तो डबल हो गई, लेकिन उससे आय कम हो गई। यह जो कुप्रबंधन हो रहा है, यह जो अन्याय हो रहा है, यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकने का काम इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरे मध्य प्रदेश में भी 15,008 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उनकी इनकम नहीं के बराबर है। तो इतना पैसा जाता कहां है? उस पैसे को, जिससे उनका उत्थान हो सकता है, कल्याण हो सकता है, उसे बचाने के लिए इस प्रकार का बिल लाना इस देश के लिए अति आवश्यक है, इसीलिए इस बिल को लाया गया है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आजकल कांग्रेस इस बिल का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है और उसके सहयोगी दल भी क्यों इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और वोट बैंक की राजनीति के चलते, इन्होंने कभी नहीं चाहा कि उसमें सुधार हो, 'अंधेर नगरी, चौपट राजा' के तौर पर इन्होंने अतिक्रमणों पर आंख मींचने का काम किया और यह अन्याय होते देखा। यह कैसा कानून है, जो लोगों की जमीन छीन ले, गांव के गांव पर कब्जा कर ले; यह कैसा कानून था कि जिसकी अपील नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते थे; यह कैसा कानून था, जिसे इन्होंने संविधान से भी ऊपर मान लिया? इन्होंने तो वही कह दिया कि - 'ना खाता, ना बही, जो वक्फ कह दे, वही सही।' इसी प्रकार की इनकी बातें चलती रहीं, लेकिन अब प्रधान मंत्री जी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि अन्याय अब देश में और नहीं चलेगा। अब भ्रष्टाचार और नहीं चलेगा। अब न्याय की बात होगी, कुप्रबंधन नहीं, सुप्रबंधन की बात होगी। आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में व्यवस्था, भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण राजनीति को समाप्त करने का संकल्प आया है। यह नया विधेयक पारदर्शिता, जवाबदेही और समाजवेशी के विकास की नींव रखेगा।

माननीय महोदय, ये जो कांग्रेस के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं सिंपल-सी एक बात कहना चाहूँगी, कहा भी गया है कि अच्छी किताब और अच्छे इंसान इतनी आसानी से समझ में नहीं आते, इसके लिए उन्हें समझना पड़ता है, इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं, इन्होंने न तो इस अच्छे कानून को ढंग से पढ़ा है, न माननीय मोदी जी की अच्छी भावना को अच्छे से समझा है। अगर समझते, तो इस तरह का न तो विरोध करते, न इस तरह का कोई काम करते। मैं विपक्ष से पूछना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से आपने क्या किया? आपने इन समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान दिया? आपने इसको क्यों नजरअंदाज किया? क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको इस कारवाई को करने से रोकती थी? क्या न्याय करने से आपको रोकती थी? क्या समानता लाने से आपको रोकती थी? जो आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप सुन लीजिए, अब देश में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सशक्त और ताकतवर सरकार है, इसलिए राष्ट्र हित के काम में जितने भी निर्णय लेने होंगे, बिना डरे, बिना भेदभाव के वे निर्णय लिए जाएँगे। माननीय अटल जी की वह कविता की पंक्ति याद आ रही है :

'एक हाथ में सृजन दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं,
सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं।
आँखों में वैभव के सपने पग में तूफानों की गति हो,
राष्ट्र भक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिस की हिम्मत हो।'

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इस बिल के माध्यम से बहुत सारे सुधार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह जो धारा 14 थी, वह कैसी तुगलकी धारा थी, यानी इस धारा में यह प्रावधान था कि अगर बोर्ड ने धारा 40 में कोई भी संपत्ति अपने यहाँ दर्ज कर ली, तो बोर्ड को कारण बताने की बाध्यता नहीं थी, बल्कि जिस पीड़िता की संपत्ति गलत दर्ज हो गई थी, उसको यह सिद्ध करना पड़ता था कि

कैसे उसकी प्रॉपर्टी है। यह तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी। इस बिल के माध्यम से इस प्रावधान को खत्म करने का काम किया गया है। मैं यह बताना चाहूँगी कि इस धारा 40 को ठीक करने के बाद अब किसी व्यक्ति की एक इंच जमीन भी गलत तरीके से इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। ...(**समय की घंटी**)... सदन में बैठे हुए जो लोग हैं, उन्हें मैं नए युग की स्थापना के लिए, इस राष्ट्र हित के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ :

'बाधाएं आती हैं आएं,
घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं,
निज हाथों में हंसते-हंसते,
आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा।'

हम सबको इस राष्ट्र के लिए कदम मिलाकर चलना होगा। मैं पुनः माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय किरेन रिजिजु जी को बहुत-बहुत साधुवाद करते हुए, इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ, जय हिंद, जय भारत!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Masthan Rao Yadav Beedha; three minutes.

SHRI MASTHAN RAO YADAV BEEDHA (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

Respected Deputy Chairman, Sir, I rise today to talk about Waqf (Amendment) Bill, 2025, on behalf of our Telugu Desam Party, and our hon. A.P. Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu *Garu*.

Sir, the Muslim community in our country faces significant socio-economic challenges. Understanding the importance of this legislation, Telugu Desam Party, under the leadership of Chandrababu Naidu *Garu*, took an active role in shaping it. We were at the forefront in advocating for the establishment of a Joint Parliamentary Committee to ensure a fair and transparent review. As part of these efforts, Telugu Desam Party proposed three crucial amendments to safeguard the Muslim interest. First, we ensured the prospective application of the 'waqf by user' clause, which protects all existing waqf properties registered under this provision. Second, we played a pivotal role in strengthening State authority over disputes related to wrongful claims by Waqf Boards, ensuring that such cases are handled by a designated officer above the rank of the District Collector. Third, we successfully advocated for

extending the timeline for uploading waqf property documents on the Central portal, allowing flexibility where valid reasons for delays exist.

(MR. CHAIRMAIN *in the Chair.*)

The Telugu Desam Party has always worked for Muslims' welfare. We have consistently worked for the empowerment of the community, not just in words, but through concrete actions. To ensure their welfare, under the leadership of Shri Nara Chandra Babu Naidu, hon. A.P. Chief Minister, in 1985 started India's first Minorities Finance Corporation and made Urdu Andhra Pradesh's second official language in 1996. We set up Maulana Azad National Urdu University in Hyderabad in 1998 and another in Kurnool, post-bifurcation. We introduced Ramzan Tofa Scheme, benefiting 10 lakh Muslim families annually. Our Party provided honoraria for Muslim religious leaders, with Imams receiving Rs.10,000 per month and Mouzans receving Rs.5,000 per month. Our Party spent Rs.4,000 crore on minority welfare between 2014 and 2019. 'Dulhan Scheme' helped 32,722 minority brides with Rs.163 crore financial support. These initiatives reflect our dedication for the community's progress. Even today, our Party remains committed to inclusive growth. We firmly believe that for effective implementation of Waqf reforms, States must have the autonomy to determine the composition of their Waqf Boards.

Allowing State Governments this flexibility will ensure that the unique needs of each religion are met and that Waqf properties truly serve the welfare of the Muslim community. I urge the Government to consider these recommendations while framing the rules under this Act. With this, I support the Bill on behalf of Telugu Desam Party. Thank you.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा (बिहार): महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सुबह से बैठे-बैठे अब तारीख भी बदल गई। इस सदन में विपक्ष के लोगों के द्वारा इतनी बातें कुतर्क के रूप में प्रस्तुत की गईं कि मैं जितनी बातें सोचकर आया था, उनमें से अधिकांश बातें मेरे मस्तिष्क से निकल गईं। महोदय, विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं और उन्होंने बिल को पढ़ा नहीं होगा, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी ओर से कुछ ऐसी बातें कही गईं, जिनके आधार पर बाहर जो लोग भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने यही अर्थ लगाया होगा कि शायद बिना पढ़े-लिखे, बिना समझे-बुझे उन्होंने यहां आकर कुछ कह दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य हैं, वे बहुत सीनियर सदस्य हैं और कानून के भी बहुत बड़े जानकार हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इस बिल में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि उसमें अब हिंदुओं का बहुमत हो जाएगा और मुसलमान भाई अल्पमत में आ जाएंगे। माननीय मंत्री, किरेन रिजिजु साहब ने शुरुआत में ही बोलते हुए स्थिति

स्पष्ट कर दी और यदि मुझे ठीक-ठीक याद है, तो उन्होंने यह कहा कि जो वक्फ बोर्ड होगा, उसमें not more than 3 Members, including *ex-officio* Member होंगे, यानी उसमें तीन से ज्यादा गैर-मुसलमान मेंबर्स नहीं होंगे। उन्होंने काउंसिल के बारे में कहा कि उसमें not more than 4, including *ex-officio* Member गैर-मुसलमान नहीं होंगे। अब उसके बावजूद अगर कोई माननीय सदस्य सदन में यह कहते हों कि इसमें गैर-मुस्लिम का बहुमत हो जाएगा, तो अब इसको क्या समझा जा सकता है? आप कब तक देश को गुमराह करते रहिएगा? यही करते-करते तो आप कहां से कहां चले आए। अब हम यह चर्चा नहीं करेंगे कि आप महाराष्ट्र से कहां चले गए, हरियाणा से कहां चले गए, दिल्ली से कहां चले गए और आप बिहार से भी तो गए हुए ही हैं, आगे भी आप उसी स्थिति में रहने वाले हैं।

महोदय, विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं है कि सरकार कोई अच्छा भी काम करे, तो आप उसका विरोध कीजिए। सरकार कभी अच्छा काम करे, तो उसकी पीठ थपथपाने का भी काम कीजिए। अभी विपक्ष के एक माननीय नेता ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, जिसका मैं भी समर्थन करता हूँ। जो बोधगया टेंपल ऐक्ट है, उस ऐक्ट के तहत जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बदलाव करने की बात उन्होंने कही। लेकिन साथ ही साथ मैं उनसे जानना भी चाहता हूं - अब इस बिल में गैर-मुसलमान कुछ सदस्यों को लाने की बात हो रही है, तब उस पर इनका गम्भीर ऐतराज़ है और जो Bodhgaya Temple Act है, वह टेंपल एक्ट आज़ादी के बाद 1953 से प्रभावी है। उस वक्त जो एक्ट आया था, वह किसने बनाया था? उस एक्ट में प्रावधान है कि चेयरमैन को छोड़कर आठ सदस्य होंगे। उनमें चार सदस्य हिंदू होंगे और चार सदस्य बौद्धिस्ट होंगे और जो चेयरमैन होंगे, वह कलेक्टर यानी वहां के डीएम होंगे। वह भी तब, जब कलेक्टर साहब खुद हिन्दू होंगे, तब ही वह चेयरमैन होंगे। उस वक्त आपको नहीं लगा था कि बौद्धिस्टों का यह मंदिर है, तो उसमें बौद्धिस्ट लोग ही होने चाहिए? तब आपको यह नहीं लगा था? आज आप सुझाव दे रहे हैं, तो मैं सुझाव का समर्थन करता हूं और किरेन रिजिजु साहब से आग्रह करता हूं कि आपके लोग भी आपसे यही अपेक्षा कर रहे हैं। आज दुनिया भर में यह संदेश जा रहा है कि बोधगया में आंदोलन चल रहा है। आपसे आग्रह है कि जो आंदोलनकारी लोग हैं, उनकी मांगों पर ध्यान दीजिए। बोधगया टेम्पल बौद्धिस्टों का एक मंदिर है, वह कोई वक्फ की तरह पूरे देश भर में फैला हुआ नहीं है और जिस टेम्पल के बारे में डिमांड हो रही है, वह सिर्फ एक टेम्पल की ही बात है और उस टेम्पल से पूरे देश की पहचान बनती है। निश्चित रूप से, मैं भी आपसे अपनी पार्टी की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि इसे बौद्धिस्टों को सौंप दिया जाए ताकि उस टेम्पल के प्रबंधन का काम बौद्धिस्ट लोग अपने हिसाब से कर सकें।

महोदय, विपक्ष के लोगों ने उन कारणों पर बहुत कम चर्चा की है, जिनकी वजह से सरकार यह बिल ला रही है। आखिर सरकार यह बता रही है किन कारणों से वह बिल ला रही है? ठीक है, आपको सरकार की बातों पर भरोसा हो या न हो, लेकिन आपके ही द्वारा बनाई गई सच्चर कमिटी थी, जिस कमिटी ने 2006 में रिपोर्ट दी थी। उस कमेटी ने क्या कहा? उस कमेटी ने वक्फ के बारे में कहा, बोर्ड के बारे में कहा कि वक्फ के कामकाज और प्रबंधन का तौर-तरीका है, वह पूरी तरह अपारदर्शी है और उसमें पारदर्शिता की ज़रूरत है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है - भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताइए। उसने कहा कि इसमें कुछ लोगों का निजी कब्जा है। जो संपत्ति है, उसका उपयोग उस कार्य के लिए नहीं हो रहा, जिसके लिए लोगों

ने उसे दान दिया था। बल्कि, कुछ लोग उस संपत्ति पर अतिक्रमण कर उसे निजी कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। सरकार ने वही कहा, जो उस कमेटी ने कहा था। सरकार ने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा। सरकार ने कहा कि यही कारण हैं, जिनके चलते हम यह बिल ला रहे हैं। तो इन कारणों को दूर करना चाहिए कि नहीं? अगर दूर करना है, तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं और पूरे सदन के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण में इधर-उधर की बात न करें, सब लोग मिलकर इस बिल का समर्थन करें, ताकि हम सबका थोड़ा और समय बच जाए।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कार्तिकेय शर्मा (हरियाणा): जो कही, जो वक्फ कहे, वही बात सही।

MR. CHAIRMAN: What do you want to say, Shri Kartikeya Sharma?

श्री कार्तिकेय शर्मा: सर, वक्फ के बारे में कहा जाता है-

'न खाता, न बही, जो वक्फ कहे, वही सही।'

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Kiran Chaodhry. आपने तुकबंदी कर दी, थोड़ा परिवर्तन कर दिया।

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY (Haryana): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak in this historic debate on this Bill, which is going to bring our most marginalised Muslim brethren on the path to progress, prosperity and emancipation. Sir, I completely support this Waqf (Amendment) Bill, 2025, which is not only progressive and much-needed reform, but it seeks to bring greater transparency, efficiency and inclusivity in the management of Waqf properties across the country.

Sir, a quote comes to my mind of Victor Hugo, a famous British author, "Nothing else in the world is so powerful as an idea whose time has come." Sir, Bharat is poised to grow. It is on the threshold of greatness under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister. We are the world's largest democracy and we have a robust system of law and the Constitution, which reigns supreme. There is a legal maxim, "lex iniusta non est lex" which means that an unjust law is no law at all. That says it all. Laws, which are not for the benefit of the people, which are not in sync with the Constitution and which are not in sync with time should be done away with. The irrelevant portions should be done away with and we have done it. Our hon.

Prime Minister has had the courage to do all those progressive reforms during the past 10 years and we are all very proud of this.

Mr. Chairman, Sir, nobody has had the courage and the willpower to do this. I have listened to the debate today, the whole day. Everybody talked about this Bill being religious. This Bill is not religious. There is no religion in this Bill. I heard the debate in Lok Sabha that happened yesterday, in which hon. Home Minister, Amit Shah ji, very clearly stated that the Waqf trust is based on the Islam faith but the trust functioning is based on administrative work. This is a statutory body and I don't understand why the fear-mongering and why all the time they are bent upon seeing to it that this particular community does not come up.

Sir, all those marginalized Muslims who have not had the Waqf benefits, where will they go? Take the example of women. We have seen that for the first time women have been brought in because our Prime Minister believes in women empowerment.

Sir, I am not going to go into the details because I do not have the time. Hon. Minister, Rijiju ji, very lucidly pointed out all the aspects. I heard him in the morning. He has made it very clear. I think, the common man on the street will understand that this Bill is being brought in only to rectify what ought to have been done a long time ago.

This Bill, Mr. Chairman, Sir, has been brought in because there was rampant corruption in the Waqf properties and it was monopolised by powerful elites amongst the Muslims, while the poorest amongst them, particularly, the Bohras and the Pasmandas and women, had been deprived of their benefits. According to the Sachar Committee Report, in 2006, 4.9 lakh Waqf properties across India remained mismanaged. Seventy per cent of it is unutilised. How criminal can it be? This is what had been happening and it is time to rectify this.

As we know, law is an evolving process, law is never static, law has to change according to time, and, this is what we are seeking to do. This time, Sir, with this Bill, I am sure that the women of this country will have their proper share. And, as the great reformer, Begum Rokeya Sakhawat Hossain once said, "If a woman is educated, an entire family is liberated." Sir, let it be known that true progress cannot exist without gender equality. When women lead, communities thrive. This is a known fact. And, that is why, our hon. Prime Minister believes in the complete empowerment of women.

It is a shame when we see the statistics. According to the National Commission for Women, in 2020, only three per cent of Waqf-funded educational institutions were for girls. As per NSSO, 2019, 87 per cent of Muslim women artisans in U.P. and Bihar live below the poverty line with no access to Waqf-funded skill

centres. (*Time-bell rings.*) Pasmanda Muslims especially, who form 85 per cent of the community, receive less than 5 per cent of the Waqf benefits. And, of course, I should not forget to talk about the Amendment of 2013. The draconian Section 40 is being done away with because it gives ultimate power to decide the nature of the Waqf property. According to Sub-Section 1, the Waqf Board may itself collect information regarding any property which it has reasons to believe it to be a Waqf property. That means, they can go anywhere and put their hand on it and say that this is a Waqf property. Nobody can stop them. Also, there was no provision against the Tribunal. But, now, it has been proposed in the Bill that the appeal will lie to the High Court. Sir, I am not going to take long time. I know I have been allocated only five minutes. In the end, I would only like to say that the time has come to bring in reforms. We have a decisive and strong leader, whose only *mantra* is 'Nation First', and he has the power to implement the reforms in this country. We must be thankful to him.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

SHRIMATI KIRAN CHOUDHRY: Also, Sir, it is only because of the divisive policies followed by the hon. Members of the Opposition that we stand here today and all the benefits which ought to have been given to them have not been given. (*Time-bell rings.*) Sir, I will just finish with these lines. They do all the rumour mongering and fear mongering. I would like to tell them:

'दिलों में हबे वतन है अगर
तो एक रहो
निखारना यह चमन है अगर
तो एक रहो
नहीं तो खत्म हो जाओगे।
बनाना है हमें अब
अपने हाथों अपनी किस्मत को
हमें अपने अपने वतन का आप बेड़ा पार करना है।'

So, let this Bill be a revolution. Let this be the dawn of true secularism. And let this be a real empowerment and complete unity of this country. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju to reply the discussion.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजु): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अभी जब लॉबी से आ रहा था, तो पूरे विपक्ष के सभी साथियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि तारीख बदल गई है, अब कितनी जल्दी वाइंड-अप करना है? मैंने कहा कि इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, इसीलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। मुझ पर दिन में दबाव डाला गया था कि मंत्री जी जब रिप्लाई देंगे, तो इन प्वाइंट्स पर रिप्लाई देना है। ऐसा कहकर हरेक मेम्बर ने सवाल पूछा, मुझ से clarification भी लेना चाहा और इसके साथ-साथ आरोप भी लगाया। मेरी समस्या यह है कि कल को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है और बाहर भी यह नहीं फैलाना चाहिए कि मैंने सबकी बात नहीं सुनी या सरकार सुनती नहीं है – किसी को ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। क्योंकि यह Waqf (Amendment) Bill जब initial draft हुआ था, आप यदि original draft को देखेंगे, तो वह draft, जिसको हम final Amendment Bill के रूप में पास कर रहे हैं, आप पाएंगे कि उसमें कितने चेंजेस लाए गए हैं। अगर हम नहीं सुनते और जो ड्राफ्ट किया है, उसी को पारित करते, किसी के सुझाव को मंजूर नहीं करते, तो बिल का पूरा स्वरुप ही अलग होता। हम सुनने वाले लोग हैं, हम चर्चा करके, सभी के सुझावों को समाहित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए शुरू का ड्राफ्ट बिल और आज, जब फाइनल बिल राज्य सभा में पास कर रहे हैं, तो उसमें कितना अंतर है? इसके साथ-साथ जो लोग जेपीसी में मेम्बर्स हैं, वे खुद जेपीसी में बैठकर आरोप लगाते हैं कि जेपीसी में उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, आप जितना चाहते हैं, उतना एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर जेपीसी ने भी मेजोरिटी से पारित किया है, तो हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र majority से चलता है। यह तो हो नहीं सकता कि जिसको कम सीट्स मिली हैं, उसके हिसाब से सरकार चलेगी। यह लोकतंत्र का ही नियम है कि जिनकी majority है, वही सरकार में होते हैं। जेपीसी या कोई भी कमेटी है, जो majority में होते हैं, वे ही प्रिवेल करते हैं, लेकिन फिर भी कई सुझाव हैं। मैं जेपीसी के मेम्बर्स को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के कहने पर ही existing Waqf by user property को हमने prospective किया है और जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो well-documented है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यह आपके सुझाव पर हुआ है। जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई विवाद होता है, तो उसे कलेक्टर देखता है। फिर भी आपने कहा कि कलेक्टर को मत रखिए। जब सरकारी जमीन का वक्फ बोर्ड के साथ कोई विवाद होता है, तो उसका फैसला कलेक्टर न करे। फिर आपके कहने पर कलेक्टर से ऊपर के अधिकारी को इसमें रखा। यह भी आपके जेपीसी के मेंबर्स की रिक्वेस्ट है। जब आप डिटेल पोर्टल में फाइल करते हैं, तो आपने मांगा था कि इसका एक्सटेंशन टाइम दिया जाना चाहिए और जो आपने सुझाव दिया है, वह हमने माना है। अनरजिस्टर्ड वक्फ को एनफोर्स करने के लिए जो सिक्स मंथ्स का टाइम दिया है, उसको एक्सटेंड करना चाहिए, यह आपने मांग की थी और यह भी हमने मानी है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंट्रिब्यूशन देने के लिए मुतवल्ली का जो रेट फाइनलाइज करना है, उसे फिक्स करने के लिए भी आपने कहा। यह भी हमने किया। Tribunal में तीन मेम्बर्स होने चाहिए, यह भी जेपीसी की रिक्वेस्ट है, जो कि हमने मानी है। इसके अलावा भी कई और हैं, लेकिन मैं समय को बचाने के लिए इतना ज्यादा पढ़कर नहीं बताना चाहता हूं। हमारे बिहार के साथी श्री उपेन्द्र कुशवाहा जी ने आखिरी में जो प्वाइंट कहा, उसको जोड़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने सुबह जब यह बिल पेश किया था, तब मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, हालांकि मैं एक

घंटे से थोड़ा कम ही बोला, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज़ को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था, लेकिन फिर भी वह दोहराया गया। हमने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेम्बर्स रहेंगे, उनमें ex-officio Chairman को मिलाकर चार से ज्यादा नॉन-मुस्लिम्स हो ही नहीं सकते हैं। मेरे बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान majority में हो जाएंगे। मैंने डिटेल पढ़कर ही बताई है। मैंने स्टेट वक्फ बोर्ड के बारे में भी बताया कि 11 मेम्बर्स के बोर्ड में तीन से ज्यादा नॉन-मुस्लिम्स हो ही नहीं सकते हैं। इस पर पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं कि जबरदस्ती नॉन-मुस्लिम को majority देकर कब्जा करने जा रहे हैं। इतनी स्पष्टता के साथ आपके सामने पूरी बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज़ बोलते रहे। मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं? नहीं तो, मैं अपने एक-एक माननीय सदस्य का सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से बैठा हुआ था, लेकिन 12 बजे के बाद धीरे-धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने की क्षमता नहीं होगी, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा ...(**व्यवधान**)... सर, जो दो-तीन बड़े प्वाइंट्स हैं, मैं आज सिर्फ उनके बारे में ही बोलना चाहता हूं। यहां हमारे बड़े-बड़े वकील भी आए हैं और अच्छा लगा कि आज वे सुनने के लिए बैठे हैं। अगर मैं एक-एक तर्क का जवाब देता, तो मुझे भी अच्छा लगता। मल्लिकार्जुन खरगे जी का भी एक बड़ा प्वाइंट था और उसका जवाब देने का मेरा मन था, लेकिन मैं किस-किस इतना जवाब दूं?

मैं सबसे पहले एक बड़े प्वाइंट के बारे में बोलना चाहता हूं। सबने पूछा कि मुसलमान है, यह तय कैसे होगा? How to decide it? Who will decide who is Mussalman? अभी हम लोग जितने यहां बैठे हैं, उनमें कोई नास्तिक हो सकते हैं, अदरवाइज सबने अपने किसी न किसी धर्म का नाम तो लिखा है। जैसे कोई बौद्ध लिखता है, कोई क्रिश्चियन लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई पारसी लिखता है, ऐसे सब लिखते हैं। आप बताइए कि यह तय कैसे होता है? आप तय कैसे करते हैं कि आप किस धर्म के हैं? ...(**व्यवधान**)... इस्लाम का भी वैसे ही होगा। यह इतनी टेंशन लेकर सोचने का विषय ही नहीं है, जैसे अभी तय होता है कि आप किस धर्म के हैं, वैसे ही अपना वक्फ क्रिएट करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के संबंध में तय होगा। ...(**व्यवधान**)...

1.00 **A.M.**

सर, उसके बाद ...(**व्यवधान**)... फिर तो मेरा जवाब लंबा होगा। अगर आपका ऐसा ही रवैया होगा, तो अभी जैसे मुझे आकर समझाया, बिल्कुल जब आप रूल्स में आएँगे, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर आप मत बोलिएगा कि बोलना कम कीजिए। ...(**व्यवधान**)... सर, देखिए।

आज आप लोगों ने बार-बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं और आप बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। क्या आप यह चाहते हैं कि इस सरकार को मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए? आपकी सोच कैसी है, आप खुद सोचिए। आप बोलते हैं कि हमको मुसलमान के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है, मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। आप

कांस्टिट्यूशन की बात करते हैं। भारत की जो सरकार है, किसी धर्म के आधार पर तो वह अपना काम नहीं कर सकती है। सभी नागरिक के भारतीय नागरिक होने के नाते सबको हमें एक दृष्टिकोण से देखना होता है, सबको बराबर देखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि 'सबका साथ, सबका विकास', वही तो संविधान की spirit है। फिर आप बार-बार ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करनी है?

आप बताइए, आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अभी नहीं, आप सोच कर बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर अब तक लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाई, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने। अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो उनको गरीब किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उस समय उत्थान हो जाता, तो हमको इतनी मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं होती। आपने इसे अधूरा छोड़ा है, आप काम नहीं कर पाए, हम काम कर रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ समर्थन माँग रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, ऐसे-ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं सोच रहा था कि इतने वरिष्ठ लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं, वे अपनी ही failure का खुद ही पर्दाफाश कर रहे थे, दिन भर। आपके लिए जो बात हमको कहनी चाहिए, आप खुद ही अपना पर्दाफाश कर रहे थे, अपने आप को expose कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं यहाँ हाउस में इतना तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बाहर जरूर बोलूँगा कि यह आपका जवाब है।

दूसरी बात, यहाँ ट्रस्ट के बारे में कहा गया और किसी ने कहा कि वक्फ religious है, तो यह religious नहीं है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की rulings का भी काफी ज़िक्र किया, मैं दोबारा नाम लेकर repeat नहीं करना चाहता हूँ। हमने बार-बार कहा कि waqf property में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। किसी religious institution में कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है। आपने काशी विश्वनाथ के बारे में कहा, तिरुपति के बारे में कहा, किसी चर्च के बारे में कहा। यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह हो सकती है, हमारी जामा मस्जिद हो सकती है। क्या उसमें कोई गैर मुसलमान जाकर उसकी कमिटी में मेम्बर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वह religious body है। यह बार-बार बताया गया कि जैसे ट्रस्ट की निगरानी करने के लिए Charity Commissioner होता है, तो Charity Commissioner तो एक सरकारी बोर्ड ही होता है। उसी प्रकार जो वक्फ बोर्ड है, वह एक Statutory Body होता है। आप Statutory Body के लिए कहते हैं कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहने चाहिए! अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होंगे और अगर वक्फ बोर्ड की जमीन के विवाद में एक हिंदू और वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद होगा, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? ऐसा विवाद तो सिर्फ मुसलमान और मुसलमान के बीच आपस में नहीं होता है। वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है, वह गैर मुसलमान के साथ भी होता है। क्या आप यह चाहते हैं कि इसके निर्णय के लिए ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठें? अगर किसी हिंदू के साथ विवाद होगा, बाकी किसी दूसरे धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो यह कैसे तय होगा! यह जो गवर्नमेंट की Statutory Body होती है, यह secular होनी चाहिए। इसमें सब लोगों को बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि इसमें restriction किया है कि यहाँ इतने ही गैर-मुस्लिम हो सकते हैं। Majority की बात देखें, तो 22 मेंबर्स में से अगर मैक्सिमम चार रहते

हैं, तो वे चार मेंबर्स क्या वहां निर्णय बदल सकते हैं? वे सिर्फ वहाँ योगदान कर सकते हैं, वहां अपना expertise दे कर, उसके काम करने के value को बढ़ा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझदार नहीं हैं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि समझदार ही हैं, लेकिन आपके कहने का जो तरीका है या सोचने का जो तरीका है, उसमें और हमारे सोचने के तरीके में अंतर है। Otherwise, मल्लिकार्जुन खरगे जी ने तो कितनी ही बातें कहीं। लेकिन वे वरिष्ठ नेता हैं। सुबह भी बड़े दुःख के साथ उन्होंने कहा। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन एक साथी ने मुझे डिस्टर्ब किया, इसलिए मैं नहीं बोला। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरे किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर आपके पॉइंट का जवाब दूं, तो बहुत लंबा हो जाएगा।

सर, मैं सिर्फ important points कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आपको कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है, तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। Once a Waqf, always a Waqf. इसीलिए जब किसी प्रॉपर्टी को कोई वक्फ डिक्लेयर करता है, तो उसे सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक बार वक्फ डिक्लेयर हो जाने के बाद, आप उसके स्टेटस को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यह आप एक pious, charitable and religious purpose के लिए वक्फ डिक्लेयर करते हैं, जो रिवर्स हो नहीं सकता। आप सोचते हैं कि उसे ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा। आप यह विचार कैसे कर सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसमें status irreversible हो जाता है, तो ऐसे पोजीशन में आने से पहले हर तरीके से apply करना पड़ता है, ताकि कोई चूक नहीं हो जाए।

उसमें बहुत गरीब लोग हैं। अगर मैं आपको पूरा पढ़ कर बताऊं, तो हजारों लोग, डेलिगेशंस मेरे पास आए। गरीब मुसलमान, पसमांदा लोग, आगाखानी लोग, सुन्नी, शिया - सब लोग मेरे पास आए। सबने यह कहा कि यह जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं, यह जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग - मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन चंद लोगों ने पूरा दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। वे यह इल्जाम मेरे सामने बताते हैं। तो क्या मुझे मूकदर्शक बन कर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने जब यह फैसला किया, तो बहुत ही सोच समझ कर फैसला किया है। आप देखिएगा कि कल से इसका कितना स्वागत होता है। यह आप देखिएगा। आप हमें इतना बोलते हैं कि डराया, मुसलमानों को डराया, लेकिन हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप मुसलमानों को डरा-डरा करके हमारी मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।

सर, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब सीएए की चर्चा हुई थी, तब जो-जो सदस्य, चाहे वे इस सदन के सदस्य हों या बाहर के हों, जिन्होंने यह कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीन जाएगा, नागरिकता छीन जाएगी, तो अभी दो साल होने को हैं, क्या किसी एक मुसलमान की नागरिकता छीनी है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। हम बड़े दिल के साथ, आज आपसे माफी भी मांगने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन और आगे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। यह बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है।

सभापति महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुक है। मेरे पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन सदन का सेंस, समय की पाबंदी, इन सबको ध्यान में रखते हुए, मैं इस सदन से, इस महान सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ। कल भी लोक सभा में हम लोगों ने 3 बजे के बाद तक बैठ करके काम किया है और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं, जब हम लोग इस ऐतिहासिक वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से भी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय की गहराइयों से जितने भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। हम लोगों ने मिल करके, नए सवेरे, नए दिन, नई उम्मीद के साथ, इतनी देर रात तक काम किया है। देश के लोग भी देखेंगे कि हमारे संसद सदस्य देर रात तक बैठ करके देश के लिए काम करते हैं। यहां से यह अच्छा संदेश जाएगा।

सभापति महोदय, मैं सारे मेंबर्स से अनुरोध करता हूँ कि आज गलती हो गयी, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा करके इस अच्छे काम के लिए, इस बिल को पारित करने में सर्वसम्मति से सपोर्ट करने की मांग करते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I shall first put the motion regarding consideration of the Wakf (Amendment), 2025 to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Waqf Act, 1995, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there is one Amendment (No.153) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving the Amendment?

DR. SYED NASEER HUSSAIN (Karnataka): Sir, I move:

153. That at page 1, lines 6 to 8, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 3, there are four Amendments. Amendment (No.1) by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.46) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; and Amendments (Nos. 104 and 105) by Shri Haris Beeran. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

1. That at page 2, *for* line 3 to 8, the following be *substituted,* namely:—

"Provided further that nothing in this Act shall apply to a trust (by whatever name called) established before the commencement of this Act or statutorily regulated by any statutory provision pertaining to public charities, by a Muslim for purpose similar to a waqf under any law for the time being in force.".

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

46. That at page 2, *for* the lines 3 to 8, the following be *substituted*, namely,—

"Provided further that nothing in this Act shall, notwithstanding any judgement, decree or order of any court, apply to a trust (by whatever name called) or Waqf established before or after the commencement of this Act or statutorily regulated by any statutory provision pertaining to public charities, by a Muslim for purpose similar to a Waqf under any law for the time being in force.".

MR. CHAIRMAN: Shri Harris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN (Kerala): Sir, I move:

104. That at page 2, lines 3 and 4, the words ", notwithstanding any judgement, decree or order of any court," be *deleted*.

105. That at page 2, after line 8, the following proviso be *inserted*, namely:-

"Provided also that Mosque, Graveyard and Eid-Gah shall not be exempted from the application of this Act even if they form part of any trust."

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendment moved by Shri A. A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Sandosh Kumar P to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Shri Harris Beeran to vote.

The motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 4, there are twenty-eight Amendments. Amendments (Nos. 2 to 12) Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendments (Nos. 47 and 48) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.64) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendments (Nos. 75 to 77) by Dr. Fauzia Khan; Amendments (No. 97) by Shri Abdul Wahab; Amendments (Nos. 106 and 107) by Shri Haris Beeran; Amendments (Nos. 132 and 133) by Dr. Kanimozhi NVN Somu; Amendments (Nos. 140 and 141) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos. 154 to 157) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri A.A. Rahim, are you moving the Amendments?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

2. That at page 2, line 10, *for* the word "after", the word "before", be *substituted.*

3. That at page 2, lines 15 to 18, be *deleted.*

4. That at page 2, line 28 be *deleted.*

5. That at page 2, line 31, *for* the words "Central Government", the words "State Government", be *substituted.*

6. That at page 2, line 33, *for* the words "Central Government", the words "State Government", be *substituted.*

7. That at page 2, line 35, *after* the words "rules made", the words "by the State Government", be *inserted.*

8. That at page 2, line 36, be *deleted*.

9. That at page 2, *for* the lines 38 to 43, the following be *substituted*, namely—

"*(a)* in the opening portion, for the words "any person, of any movable or immovable property", the words "any person practising Islam, of any movable or immovable property, having ownership of such property," shall be substituted."

10. That at page 2, line 44, be *deleted*.

11. That at page 2, lines 47 and 48, *for* the words "Central Government", the words "State Government", be *substituted*.

12. That at page 3, lines 7 and 8, the words "is in dispute", be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendments?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

47. That at page 2, *for* the lines 38 to 43, the following be *substituted*, namely,—

"*(a)* in the opening portion, for the words "any person, of any or immovable property", the words "any person practising Islam, of any property and movable or immovable property, having ownership of such property," shall be substituted.

48. That at page 3, *for* the lines 4 to 8, the following be *substituted*, namely,—

"Provided that the existing waqf by user properties registered on or before the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 as waqf by user will remain as waqf properties.

Provided further that if the property, wholly or in part, is in dispute, the dispute shall be settled before the concerned High Court subject to appeal."

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

64. That at page 2, line 40, the words "at least five years", be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

75. That at page 2, line 36, be *deleted.*

76. That at page 2, lines 38 to 44, be *deleted.*

77. That at page 3, *for* the lines 4 to 8, the following be *substituted*, namely,—
"Provided that the existing waqf by user properties, recognized on or before the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 as waqf by user will remain as waqf properties;".

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving the Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I move:

97. That at page 2, line 40, the words "practising Islam for at least five years,", be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

106. That at page 2, lines 38 to 43, be *deleted.*

107. That at page 3, lines 7 and 8, the words "except that the property, wholly or in part, is in dispute or is a government property;", be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos.132 and 133) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Are you moving the Amendments?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I move:

132. That at page 2, lines 38 to 44, b *deleted.*

133. That at page 3, lines 3 to 8, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos.140 and 141) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving the Amendments?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

140. That at page 2, lines 38 to 41, be *deleted.*

141. That at page 3, *after* lines 8, the following be *inserted*, namely—
"*(x)* after clause *(r)*, the following clause shall be inserted, namely:-
"*(rr)* "Waqf by User" means a property that has been in continuous religious use for the benefit of the Muslim community for over fifty years, irrespective of the absence of formal documentation or a registered deed;"

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 154 to 157) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

154. That at page 2, lines 10 to 14, be *deleted.*

155. That at page 2, line 26, *after* the words "or any part thereof", the words, "title of which vests in a Government organisation" be *inserted.*

156. That at page 2, lines 38 to 44, be *deleted.*

157. That at page 3, lines 3 to 8, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendments (Nos. 2 to 12) moved by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 47 and 48) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.64) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 75 to 77) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 97) moved by Shri Abdul Wahab to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 106 and 107) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 132 and 133) moved by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.140 and 141) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 154 to 157) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 4 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 5, there are 22 Amendments. Amendments (Nos. 13 to 17) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V.Sivadasan; Amendments (Nos.49 to 52) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer; Amendment (No.65) by Prof. Manoj Kumar Jha; Amendment (Nos. 78 to 80) by Dr. Fauzia Khan; Amendment (Nos. 108 to 1 12) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 142) by Shri Tiruchi Siva; and Amendments (Nos.158 to 160) by Dr. Syed Naseer Hussain.

Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendments?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

13. That at page 3, lines 14 and 15, *for* the words "or any other rights of persons with lawful claims.", the words "or lawful rights of any other persons.", be *substituted.*

14. That at page 3, lines 35, *after* the words "waqf properties", the words ", subject to the extant rules regarding applicability of exemption of income tax or such other taxes on the income from waqf properties being used for religious and charitable purposes" be *substituted.*

15. That at page 3, lines 45 and 46, *for* the words "Central Government", the words "State Government", be *substituted.*

16. That at page 4, *for* lines 4 to 14, the following be *substituted,* namely—
"*(2)*If any question arises as to whether any such property is a Government property, the State Government may apply to the Tribunal having jurisdiction in relation to such property, for the decision of the question."

17. That at page 4, lines 15 and 16, *for* the words "on receipt of the report of the designated officer", the words "on receipt of the decision of the Tribunal", be *substituted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendments?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

49. That at page 3, lines 13 to 15, be *deleted.*

50. That at page 3, *for* the lines 16 to 24, the following be *substituted*, namely,—

"3B. (1) Every waqf registered under this Act, prior to the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025, shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf on the portal and database, within a period of two years from such commencement:

Provided that the Tribunal may, on an application made to it by the mutawalli, extend such period of two years under this section for a further period not exceeding six months as it may consider appropriate, if he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filing the details of the waqf on the portal within such period."

51. That at page 3, lines 29 to 30, be *deleted*.

52. That at page 4, *for* the lines 1 to 16, the following be *substituted*, namely,—

"3(C)(*1*) In matters where a property is disputed after the decision of the Survey Commissioner, the dispute shall be settled before the concerned High Court subject to appeal.
(*2*) If any question arises as to whether any such property is a Government property, the State Government may, by notification, designate an officer, who is or has been a district Judge, who shall conduct an inquiry as per law, and determine whether such property is a Government property or not and submit his report to the State Government.
(*3*) The designated officer shall arrange to make necessary corrections to land records by reporting it to the State Government upon inquiry, whether the property is Government or waqf."

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

65. That at page 3, line 19, *for* the words "within a period of six months from such commencement", the words "within a prescribed period from such commencement which shall not be less than five years", be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

78. That at page 3, line 19, *for* the words "six months", the words "five years", be *substituted*.

79. That at page 3, for lines 20 to 24, the following be *substituted*, namely, —
"Provided that the Tribunal may, on an application made to it by the mutawalli, extend the period of five years under this section for such period as it may consider appropriate, if he satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filing the details of the waqf on the portal within such period."

80. That at page 4, lines 1 to 16, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

108. That at page 3, lines 14 and 15, the words "or any other rights of persons with lawful claims.", be *deleted*.

109. That at page 3, line 19, *for* the word "six", the word "twelve", be *substituted*.

110. That at page 3, line 21, *for* the word "six", the word "twelve", be *substituted*.

111. That at page 4, line 21, *after* the words "Remains Act, 1958, at the time of such declaration or notification", the words "and is upheld by the competent court" be *inserted*.

112. That at page 4, line 25, *after* the words "Constitution shall be declared or deemed to be waqf property", the words ", except the properties of those persons belonging to SC / ST but connected to Islam" be *inserted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

142. That at page 3, for lines 16 to 46, the following be *substituted,* namely——

"3B. *(1)* Any property that has been in uninterrupted use as a mosque, dargah, graveyard, or any other religious institution for at least 50 years shall be deemed to be a waqf property.

(2) Such properties shall not require re-registration or approval from district authorities and shall be automatically protected under this Act.

(3) No government, municipal, or private entity shall claim ownership of such properties unless conclusive evidence is provided proving otherwise."

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

158. That at page 3, *after* line 12, the following be *inserted*, namely:-

"Provided that nothing in the above clause shall be deemed to require proof of ownership or competency to transfer in case of a waqf by user"

159. That at page 3, lines 13 to 46, be *deleted.*

160. That at page 4, lines 1 to 16, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I shall first put the Amendments moved by Shri A.A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.78 to 80) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.108 to 112) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 142) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.158 to 160) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 6, there are eleven Amendments. Can I, for the sake of brevity, say: Are you moving all the eleven Amendments; or, do I take them separately?

SHRI JAIRAM RAMESH: Take them separately, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay, I knew! You would make it a point. I will go by it. Amendments (Nos.18 and 19) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan, Amendment (No. 53) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer, Amendments (Nos. 81 and 82) by Dr. Fauzia Khan, Amendments (Nos. 113 and 114) by Shri Haris Beeran, Amendment (No. 143) by Shri Tiruchi Siva and Amendments (161 to 163) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendments?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

18. That at page 4, lines 29 to 39, be *deleted*.

19. That at page 4, line 42, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

53. That at page 4, lines 29 to 36, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

81. That at page 4, *for* lines 29 to 39, the following be *substituted*, namely,—

"*(b)* after sub-section *(1A)*, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"*(1B)* The Survey Commissioner appointed under sub-section *(1)* shall be assisted in the conduct of the survey by relevant authorities including, but not limited to, the National Sample Survey Office (NSSO), State Revenue Authorities, and such other technical, statistical or land survey agencies as the State Government may, by order, designate for the purpose.".

82. That at page 4, line 42, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

113. That at page 4, lines 31 to 36, be *deleted*.

114. That at page 4, line 37, brackets, words and figures "(2) and (3)", be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

143. That at page 4, lines 38 and 39, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Syed Naseer Hussain, are you moving the Amendments?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

161. That at page 4, lines 29 to 36, be *deleted.*

162. That at page 4, line 37, the brackets, figures and words, "*(2)* and *(3)*", be *deleted.*

163. That at page 4, lines 38 to 42, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.18 and 19) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 53) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 81 and 82) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 113 and 114) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No. 143) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (161 to 163) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 7, there are only four Amendments; Amendment (No.54) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.115) by Shri Haris Beeran; Amendments (No.164 and 165) by Dr. Syed Naseer Hussain; Shri Sandosh Kumar P, are you moving?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

54. That at page 5, *for* the lines 6 to 10, the following be *substituted*, namely,—

"(*2B*)The details of each waqf shall contain the identification, boundaries of waqf properties, their use and occupier, purpose of waqf, their present mutawallis and management in such manner as may be prescribed by the State Government."

MR. CHAIRMAN: Then, Amendment (No.115) by Shri Haris Beeran. Are you moving?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

115. That at page 5, line 4, *for* the word "ninety", the word ""thirty" be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: Amendments (No.164 and 165) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

164. That at page 4, lines 46 and 47, be *deleted*.

165 That at page 5, lines 1 to 19, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments (No.54) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.115) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos.164 and 165) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there are four Amendments: Amendment (No.55) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.83) by Dr. Fauzia Khan; Amendment (No.144) by Shri Tiruchi Siva; and Amendment (No.166) by Dr. Syed Naseer Hussain. Shri Sandosh Kumar P, are you moving?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

55. That at page 5, lines 34 to 35 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.83) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

83. That at page 5, lines 34 and 35 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.144) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

144. That at page 5, lines 34 and 35 be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No.166) by Dr. Syed Naseer Hussain. Are you moving?

DR. SYED NASEER HUSSAIN: Sir, I move:

166. That at page 5, lines 20 to 35 be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.55) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.83) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.144) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.166) moved by Dr. Syed Naseer Hussain to vote.

The motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 10, there are 19 Amendments: Amendment (Nos. 20 to 25) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No. 56) by Shri Sandosh Kumar P. and Shri P. P. Suneer; Amendment (No. 66) by Prof. Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 84) by Dr. Fauzia Khan Amendments (Nos. 98 and 99) by Shri Abdul Wahab; Amendments (Nos. 116 to 121) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 134) by Dr. Kanimozhi NVN Somu and Amendment (No. 145) by Shri Tiruchi Siva. Shri A. A. Rahim, are you moving?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

20. That at page 6, line 5, *after* the words "three Members of Parliament", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

21. That at page 6, line 15, *for* the symbol and brackets "(d)", the symbol and brackets "(v)" , be *substituted*.

22. That at page 6, line 17, *for* the symbol and brackets "(e)", the symbol and brackets "(vi)", be *substituted*.

23. That at page 6, line 18, *for* the symbol and brackets "(f)", the symbol and brackets "(vii)", be *substituted*.

24. That at page 6, line 24, *after* the words "Provided that", the words "at least" be *inserted*.

25. That at page 6, lines 26 and 27, be *deleted*.

श्री नीरज शेखर: सर, 46 क्लॉजेज हैं, एक साथ क्यों नहीं ले रहे हैं?

MR. CHAIRMAN: I made that suggestion. *...(Interruptions)...*

श्री नीरज शेखर: मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विपक्ष से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Neerajji, ...(Interruptions)... This is a historic legislation. After this is passed, as listed, we will discuss it in Business Advisory Committee. But today, we will go exactly as it is listed. So, Amendment (No. 56) by Shri Sandosh Kumar P. and Shri P. P. Suneer.

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

56. That at page 6, *for* the lines 3 to 27, the following be *substituted*, namely,

"*(2)* The Council shall consist of —

(*a*) the Union Minister in charge of waqf Chairperson, *ex officio*;

(*b*) four Members of Parliament, belonging to the Muslim community, of whom two shall be from the House of the People and two from the Council of States.

(*c*) the following members to be appointed by the Central Government from amongst Muslims, namely:-

(i) persons to represent Muslim organisations having all India character;
(ii) Chairpersons of three Boards by rotation;
(iii) one person to represent the mutawallis of the waqf;
(iv) three persons who are eminent scholars in Muslim law;

(*d*) two persons who have been Judges of the Supreme Court or a High Court, belonging to the Muslim community;

(*e*) one Advocate of national eminence, belonging to the Muslim community;

(*f*) four persons of national eminence, one each from the fields of administration or management, financial management, engineering or architecture and medicine, belonging to the Muslim community.

(*g*) Additional Secretary to the Government of India dealing with waqf matters in the Union ministry or department - member, *ex officio*:

Provided that two of the members appointed under clauses (*c*) to (*f*) shall be women."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 66) by Prof. Manoj Kumar Jha.

प्रो. मनोज कुमार झा: सभापति जी, मेरे पास विकल्प नहीं है, मैं मूव कर रहा हूं।

श्री सभापति: आपके पास विकल्प है, आप यह गलत कह रहे हैं।

प्रो. मनोज कुमार झा: महोदय, मैं मूव कर रहा हूं।

श्री सभापतिः आपसे यह विकल्प कोई नहीं छीन सकता है। अगर आपको मूव नहीं करना है, तो the Chair will protect you.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

66. That at page 6, lines 26 and 27, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 84) by Dr. Fauzia Khan.

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

84. That at page 6, lines 1 to 27, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 98 and 99) by Shri Abdul Wahab.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I move:

98. That at page 6, *for* line 17, the following be *substituted,* namely—

"*(e)* one Advocate or national eminence, who has great knowledge and intellectual capacity in Islamic jurisprudence:"

99. That at page 6, lines 26 and 27, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments (Nos. 116 to 121) by Shri Haris Beeran.

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

116. That at page 6, line 4, *after* the word "*ex officio*", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

117. That at page 6, line 6, *after* the words "Council of States", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

118. That at page 6, line 16, *after* the words "High Court", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

119. That at page 6, line 17, *after* the word "eminence", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

120. That at page 6, line 120, *after* the word "medicine", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

121. That at page 6, *for* the lines 26 and 27, the following be *substituted*, namely,—

"Provided further that only members of Muslim community with certain expertise in various fields shall be considered for appointment."

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 134) by Dr. Kanimozhi NVN Somu.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, I move:

134. That at page 6, lines 1 to 27, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendment (No. 145) by Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

145. That at page 6, lines 26 and 27, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. First, I shall put to vote Amendment (No.56) moved by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan to vote. ...(Interruptions)...

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Undoubtedly, the 'Noes' have it. ...(Interruptions)... The amendments are negatived. ...(Interruptions)... It was occurring to me that when you say 'yes or no' ... ...(Interruptions)... Why are you raising hands? Give rest to your hands. Use only your decibel level.

I shall now put the Amendment (No.56) moved by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.66) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.84) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (No.98 and 99) moved by Shri Abdul Wahab to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (No.116 to 121) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion wase negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.134) moved by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the amendment (No. 145) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I want division. 'Provided further that two members appointed under this sub-section, excluding ex-officio members, shall be non-Muslims.' This I seek this for division.

MR. CHAIRMAN: Okay, division.

The House divided.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members.

Ayes: 92

Noes: 125

AYES— 92

Abdul Wahab, Shri
Abdulla, Shri M. Mohamed
Ahmad, Dr. Faiyaz
Alla, Shri Ayodhya Rami Reddy
Baburao, Shri Golla
Bachchan, Shrimati Jaya Amitabh
Banerjee, Shri Ritabrata
Baraik, Shri Prakash Chik
Beeran, Shri Haris
Bhattacharyya, Shri Bikash Ranjan
Brittas, Dr. John
Chadha, Shri Raghav
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chidambaram, Shri P.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dangi, Shri Neeraj
Deo, Shrimati Sulata
Dev, Ms. Sushmita
Divakonda, Shri Damodar Rao
Elango, Shri N.R.
Gandhi, Shrimati Sonia
Ghose, Shrimati Sagarika
Girirajan, Shri R.
Gohil, Shri Shaktisinh
Gokhale, Shri Saket
Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Prem Chand
Handore, Shri Chandrakant Damodar
Haque, Shri Mohammed Nadimul
Hussain, Dr. Syed Naseer
Islam, Shri Samirul
Jha, Shri Manoj Kumar
Kalyanasundaram, Shri S.

Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Khuntia, Shri Subhasish
Makan, Shri Ajay
Maliwal, Ms. Swati
Mandadi, Shri Anil Kumar Yadav
Mani, Shri Jose K.
Mather Hisham, Shrimati Jebi
Mittal, Dr. Ashok Kumar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Noor, Shrimati Mausam B
O' Brien, Shri Derek
P, Shri Sandosh Kumar
Pathak, Shri Sandeep Kumar
Patil, Shrimati Rajani Ashokrao
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Pratapgarhi, Shri Imran
Rahim, Shri A. A.
Rajeshkumar, Shri K.R.N.
Ramesh, Shri Jairam
Ranjan, Shrimati Ranjeet
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri B. Parthasaradhi
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri Meda Raghunadha
Reddy, Shri S Niranjan
Reddy, Shri Yerram Venkata Subba
Sahney, Shri Vikramjit Singh
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Shanmugam, Shri M.
Shukla, Shri Rajeev
Sibal, Shri Kapil
Singh, Shri A. D.
Singh, Shri Akhilesh Prasad

Singh, Shri Ashok
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Sanjay
Singh, Shri Sant Balbir
Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Somu, Dr. Kanimozhi NVN
Suman, Shri Ramji Lal
Suneer, Shri P. P.
Surjewala, Shri Randeep Singh
Tankha, Shri Vivek K.
Thakur, Shrimati Mamata
Tiwari, Shri Pramod
Tulsi, Shri K.T.S.
Vaddiraju, Shri Ravichandra
Vaiko, Shri
Wasnik, Shri Mukul Balkrishna
Wilson, Shri P.
Yadav, Prof. Ram Gopal
Yadav, Shri Sanjay

NOES—125

Agrawal, Dr. Radha Mohan Das
Ali, Shri Gulam
Amin, Shri Narhari
Athawale, Shri Ramdas
Babu, Shri Sana Sathish
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajpayee, Dr. Laxmikant
Balmik, Shrimati Sumitra
Balwant, Dr. Sangeeta
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Barala, Shri Subhash
Beedha, Shri Masthan Rao Yadav

Bhandage, Shri Narayanasa K.
Bhatt, Shri Mahendra
Bhattacharjee, Shri Rajib
Bhattacharya, Shri Samik
Bishi, Shri Niranjan
Bonde, Dr. Anil Sukhdeorao
Brijlal, Shri
Chaudhary, Shri Jayant
Chavan, Shri Ashokrao Shankarrao
Choudhry, Shrimati Kiran
Das, Shri Mission Ranjan
Deora, Shri Milind Murli
Devegowda, Shri H.D.
Dholakia, Shri Govindbhai Laljibhai
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shrimati Seema
Garasiya, Shri Chunnilal
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Gogoi, Shri Ranjan
Gopchade, Dr. Ajeet Madhavrao
Goswami, Ms. Indu Bala
Gupta, Shrimati Dharmshila
Gurjar, Shri Banshilal
Harivansh, Shri
Heggade, Dr. Dharmasthala Veerendra
Jaggesh, Shri
Jain, Shri Naveen
Jangra, Shri Ram Chander
Jesangbhai, Shri Desai Babubhai
Jha, Shri Sanjay Kumar
Jhala, Shri Kesridevsinh
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karad, Dr. Bhagwat
Konyak, Shrimati S. Phangnon
Koragappa, Shri Narayana

Krishnaiah, Shri Ryaga
Kulkarni, Dr. Medha Vishram
Kumar, Dr. Sikander
Kumar, Shri Mithlesh
Kumar, Shri Sujeet
Kurian, Shri George
Kushwaha, Shri Upendra
Laxman, Dr. K.
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lepcha, Shri Dorjee Tshering
Mahadik, Shri Dhananjay Bhimrao
Mahajan, Shri Harsh
Mahto, Shri Khiru
Mangaraj, Shri Manas Ranjan
Margherita, Shri Pabitra
Maurya, Shri Amar Pal
Mishra, Shri Manan Kumar
Mohanta, Shrimati Mamata
Murty, Shrimati Sudha
Murugan, Dr. L.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Naroliya, Shrimati Maya
Narzary, Shri Rwngwra
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Shri Mayank kumar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Baburam
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Shambhu Sharan
Patidar, Ms. Kavita
Patil, Shri Dhairyashil Mohan
Patil, Shri Nitin Laxmanrao Jadhav
Patra, Dr. Sasmit
Pawar, Shrimati Sunetra Ajit
Prakash, Shri Deepak
Prasad, Shri Aditya

Prasad, Shri V. Vijayendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rambhai, Shri Mokariya
Rathore, Shri Madan
Ray, Shri Nagendra
Rebia, Shri Nabam
Saini, Dr. Kalpana
Salamsinh, Dr. Parmar Jashvantsinh
Sandhu, Shri Satnam Singh
Selvaganabathy, Shri S.
Seth, Shri Sanjay
Sharma Dr. Dinesh
Sharma, Shri Kartikeya
Sharma, Shrimati Rekha
Shekhar, Shri Neeraj
Singh, Dr. Bhim
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Devendra Pratap
Singh, Shri Kunwar Ratanjeet Pratap Narayan
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Tejveer
Singh, Shrimati Darshana
Singh, Shrimati Sadhna
Siroya, Shri Lahar Singh
Solanki, Dr. Sumer Singh
Tanavade, Shri Sadanand Mhalu Shet
Teli, Shri Rameswar
Thakur, Shri Ram Nath
Tiwari, Shri Ghanshyam
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Umeshnath, Shri Balyogi
Usha, Shrimati P. T.
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vanlalvena, Shri K.
Varma, Shri Pradip Kumar
Vasan, Shri G.K.
Verma, Shri B.L.

Yadav, Shrimati Sangeeta

The motion was negatived.

Clause 10 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 11, there are five Amendments; Amendments (Nos.26 to 28) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.57) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; and Amendment (No.146) by Shri Tiruchi Siva. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendments?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

26. That at page 6, line 28, *for* the word "for", the word "after", be *substituted.*

27. That at page 6, line 29, *for* the word "substituted", the word "inserted", be *substituted.*

28. That at page 6, line 30, *for* the word, figure and brackets "(2A)", the word, figure and brackets "(2B)", be *substituted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

57. That at page 6, lines 28 to 32, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

146. That at page 6, after lines 32, the following be *inserted*, namely——

"*(2B)*The composition of waqf boards shall remain predominantly Muslim to ensure representation and protection of waqf interests."

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments moved by Shri A. A. Rahim to vote. ...*(Interruptions)*... हमने तो पहले गुजारिश की थी कि एक साथ ही ले लो। Hon. Members, I am now putting Amendments (Nos.26 to 28) by Shri A. A. Rahim, Amendment (No.57) by Shri Sandosh Kumar P and Amendment (No.146) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 11 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 12, there are 22 Amendments. Do we take all the 22 Amendments together? ...*(Interruptions)*... Let me take the sense of the House. ...*(Interruptions)*... On this point also, there is heavy division. In Clause 12, there are 22 Amendments; Amendments (Nos.29 to 37) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No.58) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendment (No.67) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendments (Nos.85 and 86) by Dr. Fauzia Khan; Amendments (Nos.122 to 127) by Shri Haris Beeran; and Amendments (Nos.135 to 137) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendments?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

29. That at page 6, lines 37 and 38, *for* the words "not more than eleven members, to be nominated by the State Government", the words "the following members", be *substituted.*

30. That at page 6, line 41, *after* the words "National Capital Territory of Delhi", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of Parliament from the State or the National Capital Territory of Delhi, as the case may be", be *inserted.*

31. That at page 6, line 42, *after* the words "State Legislature", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of the State Legislature or the National Capital Territory of Delhi, as the case may be", be *inserted.*

32. That at page 6, line 44, *after* the word "community", the words "to be nominated by the State Government", be *inserted*.

33. That at page 7, line 6, *for* the symbol and brackets "(*d*)", the symbol and brackets "(*iv*)", be *substituted*.

34. That at page 7, line 12, *after* the words "Union territory", the words "to be elected from the electoral college consisting of Muslim Members of the Bar Council of the concerned State or the Union territory", be *inserted*.

35. That at page 7, lines 15 to 17, be *deleted*.

36. That at page 7, line 30, *after* the words "to be nominated", the words "or appointed", be *inserted*.

37. That at page 7, line 42, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

58. That at page 6, *for* the lines 36 to 47 and at page 7, for the lines 1 to 31, the following be *substituted*, namely,—

"*(1)*The Board for a State and the National Capital Territory of Delhi shall consist of, not more than fifteen members, to be nominated by the State Government,—

(*a*) Chairperson;

(*b*) (i) Two Members of Parliament from the State, one from the House of the People and one from the Council of States or, as the case may be, the National Capital Territory of Delhi, belonging to the Muslim community.

(ii) one Member of the State Legislature, belonging to the Muslim community;

(*c*) the following members belonging to Muslim community, namely:-

(*i*) one mutawalli of the waqf;
(*ii*) one eminent scholar of Islamic law;
(*iii*) two or more elected members from the Municipalities or Panchayats;

(d) two persons who have professional experience in business management, social work, finance or revenue, agriculture or development activities, belonging to the Muslim community;

(*e*) Joint Secretary to the State Government dealing with the waqf matters, Ex Officio;

(*f*) one Member of the Bar Council of the concerned State or Union territory, belonging to the Muslim community:

Provided that two members of the Board appointed under clauses (*a*) to (*e*) shall be women:

Provided further that the Board shall have at least one member each from Shia, Sunni and other backward classes among Muslim Communities:

Provided also that one member each from Bohra and Aghakhani communitics shall be nominated in the Board in case they have functional auqaf in the State or Union territory.

Provided also that the elected members of Board holding office on the commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2025 shall continue to hold office as such until the expiry of their term of office.

(2) No Minister of the Central Government or, as the case may be, a State Government, shall be nominated as a member of the Board.

(3) In case of a Union territory, the Board shall consist of not less than five and not more than eleven members to be nominated by the Central Government under sub-section (*1*)."*;*"

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

67. That at page 7, lines 15 to 17, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendments?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

85. That at page 6, lines 34 to 47, be *deleted.*

86. That at page 7, lines 1 to 31, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendments?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

122. That at page 6, line 39, *after* the word "Chairperson", the words ", belonging to Muslim community", be *inserted*.

123. That at page 6, line 41, *after* the words "National Capital Territory of Delhi", the words ", belonging to Muslim community", be *inserted*.

124. That at page 6, line 42, *after* the words "State Legislature", the words "belonging to Muslim community", be *inserted*.

125. That at page 7, line 8, *after* the word "activities", the words ", belonging to Muslim community", be *inserted*.

126. That at page 7, line 12, *after* the words "Union territory", the words ", belonging to Muslim community", be *inserted*.

127. That at page 7, lines 15 to 17, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Kanimozhi NVN Somu, are you moving the Amendments?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, I move:

135. That at page 6, line 34, the figure and brackets *(1)*, be *deleted*.

136. That at page 6, lines 36 to 47, be *deleted*.

137. That at page 7, lines 1 to 26, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall first put the Amendments moved by Shri A. A. Rahim. ...*(Interruptions)*... Our good friend, Shri Jairam Ramesh, always has a problem. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, please follow the procedure.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I am now putting Amendments (Nos.29 to 37) by Shri A. A. Rahim, Amendment (No.58) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.67) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendments (Nos.85 and 86) by Dr. Fauzia Khan, Amendments (Nos.122 to 127) by Shri Haris Beeran and Amendments (Nos.135 to 137) by Dr. Kanimozhi NVN Somu to vote.

The motions were negatived.

Clause 12 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 13, there are two Amendments (Nos.138 and 139) by Dr. Kanimozhi NVN Somu. Dr. Kanimozhi, are you moving the Amendments?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, I move:

138. That at page 7, line 45, after the word "he", the words, "is not a muslim and", be *deleted*.

139. That at page 7, lines 46 and 47, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

2.00 **A.M.**

MR. CHAIRMAN: In Clause 15, there are two Amendments. Amendment (No. 38) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendment (No. 87) by Dr. Fauzia Khan. Now, Amendment (No.38) by Shri A. A. Rahim, are you moving?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

38. That at page 8, line 3, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.87) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

87. That at page 8, line 3, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.38) by Shri A. A. Rahim and Amendment (No.87) by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motions were negatived.

Clause 15 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 16, there are three Amendments; Amendments (Nos. 39 and 40) Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; and Amendment (No. 100) by Shri Abdul Wahab. Shri A. A. Rahim, are you moving your Amendment?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

39. That at page 8, line 7, *after* the words "State Government", the words "who shall be a Muslim", be *inserted.*

40. That at page 8, line 8, *after* the words "State Government", the words "or of equivalent rank", be *inserted.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.100) by Shri Abdul Wahab. Are you moving?

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I move:

100. That at page 8, lines 7 and 8, the words "and who shall be not below the rank of Joint Secretary to the State Government.", be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (Nos.39 and 40) by Shri A. A. Rahim and Amendment (No.100) by Shri Abdul Wahab to vote.

The motions were negatived.

Clause 16 was added to the Bill.
Clauses 17 and 18 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment (No. 101) by Shri Abdul Wahab. Are you moving?

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I move:

101. That at page 8, lines 19 and 20, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 19 was added to the Bill.
Clause 20 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 21, there are seven Amendments. Amendment (No. 41) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan; Amendments (Nos. 59 and 60) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer; Amendments (Nos. 68 and 69) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 128) by Shri Haris Beeran; Amendment (No. 147) by Shri Tiruchi Siva. Now, Amendment (No.41) by Shri A. A. Rahim, are you moving?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

41. That at page 8, lines 37 to 44, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.59 and 60) by Shri Sandosh Kumar P. Are you moving?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

59. That at page 8, lines 28 to 32, be *deleted*.

60. That at page 9, *for* the lines 5 to 8, the following be *substituted*, namely,—
"*(7A)*Where the Survey Commissioner in his report mentions that the property, wholly or in part, is in dispute or is a Government property, the dispute is decided by a competent court.".

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos.68 and 69) by Shri Manoj Kumar Jha. Are you moving?

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

68. That at page 8, line 36, *after* the words "portal and database", the words "and in addition, in such form and manner as provided by regulations of the Board", be *inserted*.

69. That at page 8, *for* lines 47 to 50, the following be *substituted*, namely—
"*(7)*On receipt of an application for registration, the Board may, before the registration of the waqf make such inquiries as it thinks fit in respect of the genuineness and validity of the application and correctness of any particulars therein:"

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (No.128) by Shri Haris Beeran. Are you moving?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

128. That at page 8, *for* the lines 30 to 32, the following be *substituted*, namely,—
"(1A) Waqf creation may be evidenced by a deed or customary oral declaration with witnesses, validated by the Board."

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.147) by Shri Tiruchi Siva. Are you moving?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

147. That at page 8, line 44, the following be *inserted*, namely——
"*(ca)* after sub-section *(5)*, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that any waqf property recorded in the previous three waqf surveys shall not require re-establishment of its status as waqf.""

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 41) by Shri A. A. Rahim; Amendments (Nos. 59 and 60) by Shri Sandosh Kumar P; Amendments (Nos. 68 and 69) by Shri Manoj Kumar Jha; Amendment (No. 128) by Shri Haris Beeran; and Amendment (No. 147) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 21 was added to the Bill.
Clause 22 was added to the Bill.

...(Interruptions)...

श्री सभापति: मैंने कई बार कहा है कि मेरा दिल तो आपके साथ है। आप appreciate नहीं करते हो।

श्री प्रमोद तिवारी: सर, हम लोग appreciate करते हैं।

श्री सभापति: आप करते हैं!

MR. CHAIRMAN: In Clause 23, there are five Amendments; Amendment (No. 42) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan, Amendment (No. 70) by Prof. Manoj Kumar Jha, Amendment (No. 88) by Dr. Fauzia Khan, Amendment (No. 129) by Shri Haris Beeran and Amendment (No. 148) by Shri Tiruchi Siva. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

42. That at page 9, line 37, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving your Amendment?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

70. That at page 9, line 37, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving your Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

88. That at page 9, line 37, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving your Amendment?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

129. That at page 9, line 37, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving your Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

148. That at page 9, lines 37, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No. 42) moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 70) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 88) moved by Dr. Fauzia Khan to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 129) moved by Shri Haris Beeran to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 148) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24 to 29 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 30, there is one Amendment; Amendment (No. 89) by Dr. Fauzia Khan. Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

89. That at page 11, lines 10 to 17, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 30 was added to the Bill.

Clause 31 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 32, there are two Amendments; Amendment (No. 71) by Prof. Manoj Kumar Jha and Amendment (No. 102) by Shri Abdul Wahab. Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

71. That at page 11, *for* line 35, the following be *substituted,* namely—

"*(ii)* carry out the directions of the Board;"

MR. CHAIRMAN: Shri Abdul Wahab, are you moving your Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I move:

102. That at page 11, lines 30 to 42, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.71) by Prof. Manoj Kumar Jha and Amendment (No.102) by Shri Abdul Wahab to vote.

The motions were negatived.

Clause 32 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 33, there is one Amendment; Amendment (No. 103) by Shri Abdul Wahab. Shri Abdul Wahab, are you moving the Amendment?

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I move:

103. That at page 12, lines 6 to 9, be *deleted*.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 33 was added to the Bill.
Clauses 34 to 36 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 37, there are two Amendments; Amendment (No. 90) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No. 149) by Shri Tiruchi Siva. Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

90. That at page 12, lines 31 to 33, be *deleted*.

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving your Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

149. That at page 12, line 32, *for* the words, "five per cent.", the words, "eleven per cent.", be *substituted*.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 90) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No. 149) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 37 was added to the Bill.
Clause 38 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 39, there is one Amendment (No.91) by Dr. Fauzia Khan. Are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

91. That at page 12, *for* the lines 41 and 42, the following be *substituted*, namely,—

"Provided that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court, authority, or tribunal other than the Tribunal constituted under sub-section *(1)* shall have or exercise any jurisdiction, powers, or authority in respect of any matter which is required by or under this Act to be determined by a Tribunal so constituted."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 39 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 40, there is one Amendment (No.72) by Shri Manoj Kumar Jha. Are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

72. That at page 13, lines 43 to 46, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 40 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 41, there are four Amendments. Amendment (No.61) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer. Amendment (No.73) by Shri Manoj Kumar Jha. Amendment (No.92) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.150) by Shri Tiruchi Siva. Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

61. That at page 13, lines 47 to 48, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

73. That at page 13, lines 47 and 48, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

92. That at page 13, lines 47 and 48, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

150. That at page 13, lines 47 and 48, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.61) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.73) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendment (No.92) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.150) by Shri Tiruchi Siva to vote. This time, it was louder.

The motions were negatived.

Clause 41 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 42, there are four Amendments. Amendment (No.62) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P.P. Suneer. Amendment (No.74) by Shri Manoj

Kumar Jha. Amendment (No.93) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.151) by Shri Tiruchi Siva. Shri Sandosh Kumar P, are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

62. That at page 14, lines 2 to 4, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Manoj Kumar Jha, are you moving the Amendment?

SHRI MANOJ KUMAR JHA: Sir, I move:

74. That at page 14, lines 2 to 4, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

93. That at page 14, lines 1 to 8, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Tiruchi Siva, are you moving the Amendment?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I move:

151. That at page 14, lines 2 to 4, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.62) by Shri Sandosh Kumar P, Amendment (No.74) by Shri Manoj Kumar Jha, Amendment (No.93) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.151) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 42 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 43, there are three Amendments. Amendment (No.43) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.94) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.152) by Shri Tiruchi Siva. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

43. That at page 14, line 9, be *deleted.*

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I move:

94. That at page 14, line 9, be *deleted.*

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

152. That at page 14, lines 9, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Amendments moved. I now put Amendment (No.43) by Shri A. A. Rahim, Amendment (No.94) by Dr. Fauzia Khan and Amendment (No.152) by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motions were negatived.

Clause 43 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 44, there are three Amendments. Amendment (No.44) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.95) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.130) by Shri Haris Beeran. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

44. That at page 14, lines 10 to 14, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

95. That at page 14, lines 10 and 14, *be deleted.*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendment?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

130. That at page 14, lines 10 to 14, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I now put Amendment (No.44) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.95) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.130) by Shri Haris Beeran to vote.

The motions were negatived.

Clause 44 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 45, there are three Amendments. Amendment (No.45) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.96) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.131) by Shri Haris Beeran. Shri A. A. Rahim, are you moving the Amendment?

SHRI A. A. RAHIM: Sir, I move:

45. That at page 14, line 15, be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: Dr. Fauzia Khan, are you moving the Amendment?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I move:

96. That at page 14, line 15, the words "Sections 108 and 108A" the words "Section 108", *be substituted".*

MR. CHAIRMAN: Shri Haris Beeran, are you moving the Amendment?

SHRI HARIS BEERAN: Sir, I move:

131. That at page 14, line 15 be *deleted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.45) by Shri A. A. Rahim, Dr. John Brittas and Dr. V. Sivadasan. Amendment (No.96) by Dr. Fauzia Khan. Amendment (No.131) by Shri Haris Beeran to vote.

The motions were negatived.

Clause 45 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 46, there is one Amendment (No.63) by Shri Sandosh Kumar P and Shri P. P. Suneer. Are you moving the Amendment?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move the final one.

MR. CHAIRMAN: Is it the final one?

SHRI SANDOSH KUMAR P: Sir, I move:

63. That at page 15, *for* the lines 1 to 11, the following be *substituted*, namely,—

"*(3)* Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 46 was added to the Bill.
Clauses 47 and 48 were added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Kiren Rijiju to move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the frequent intervention of Shri Jairam Ramesh again betrays his ignorance. Lobbies are already cleared. The procedure is known to you. Secretary-General. Division.

Hon. Members, please be on your seats. ...*(Interruptions)*... You are required to be on your seats. Mr. Bajpayee, you have to be on your seat. All the Members be on your seats. Yes, Secretary-General.

The House divided.

Ayes: 127
Noes: 95
Abstention: 00

AYES— 127

Agrawal, Dr. Radha Mohan Das
Ali, Shri Gulam
Amin, Shri Narhari
Athawale, Shri Ramdas
Babu, Shri Sana Sathish
Baishya, Shri Birendra Prasad
Bajpayee, Dr. Laxmikant
Balmik, Shrimati Sumitra
Balwant, Dr. Sangeeta
Bansal, Shri Naresh
Bara, Shrimati Ramilaben Becharbhai
Barala, Shri Subhash
Beedha, Shri Masthan Rao Yadav
Bhandage, Shri Narayanasa K.
Bhatt, Shri Mahendra
Bhattacharjee, Shri Rajib
Bhattacharya, Shri Samik
Bishi, Shri Niranjan
Bonde, Dr. Anil Sukhdeorao
Brijlal, Shri
Chaudhary, Shri Jayant
Chavan, Shri Ashokrao Shankarrao

Choudhry, Shrimati Kiran
Das, Shri Mission Ranjan
Deo, Shrimati Sulata
Deora, Shri Milind Murli
Devegowda, Shri H.D.
Dholakia, Shri Govindbhai Laljibhai
Dubey, Shri Satish Chandra
Dwivedi, Shrimati Seema
Garasiya, Shri Chunnilal
Geeta alias Chandraprabha, Shrimati
Gehlot, Shri Rajendra
Gogoi, Shri Ranjan
Gopchade, Dr. Ajeet Madhavrao
Goswami, Ms. Indu Bala
Gupta, Shrimati Dharmshila
Gurjar, Shri Banshilal
Harivansh, Shri
Heggade, Dr. Dharmasthala Veerendra
Jaggesh, Shri
Jain, Shri Naveen
Jangra, Shri Ram Chander
Jesangbhai, Shri Desai Babubhai
Jha, Shri Sanjay Kumar
Jhala, Shri Kesridevsinh
Kadadi, Shri Iranna
Kalita, Shri Bhubaneswar
Karad, Dr. Bhagwat
Khuntia, Shri Subhasish
Konyak, Shrimati S. Phangnon
Koragappa, Shri Narayana
Krishnaiah, Shri Ryaga
Kulkarni, Dr. Medha Vishram
Kumar, Dr. Sikander
Kumar, Shri Mithlesh
Kumar, Shri Sujeet
Kurian, Shri George
Kushwaha, Shri Upendra

Laxman, Dr. K.
Leishemba, Shri Maharaja Sanajaoba
Lepcha, Shri Dorjee Tshering
Mahadik, Shri Dhananjay Bhimrao
Mahajan, Shri Harsh
Mahto, Shri Khiru
Mangaraj, Shri Manas Ranjan
Margherita, Shri Pabitra
Maurya, Shri Amar Pal
Mishra, Shri Manan Kumar
Mohanta, Shrimati Mamata
Murty, Shrimati Sudha
Murugan, Dr. L.
Nadda, Shri Jagat Prakash
Nagar, Shri Surendra Singh
Naroliya, Shrimati Maya
Narzary, Shri Rwngwra
Nathwani, Shri Parimal
Nayak, Shri Mayank kumar
Nirmala Sitharaman, Shrimati
Nishad, Shri Baburam
Patel, Shri Praful
Patel, Shri Shambhu Sharan
Patidar, Ms. Kavita
Patil, Shri Dhairyashil Mohan
Patil, Shri Nitin Laxmanrao Jadhav
Patra, Dr. Sasmit
Pawar, Shrimati Sunetra Ajit
Prakash, Shri Deepak
Prasad, Shri Aditya
Prasad, Shri V. Vijayendra
Puri, Shri Hardeep Singh
Rambhai, Shri Mokariya
Rathore, Shri Madan
Ray, Shri Nagendra
Rebia, Shri Nabam
Saini, Dr. Kalpana

Salamsinh, Dr. Parmar Jashvantsinh
Sandhu, Shri Satnam Singh
Selvaganabathy, Shri S.
Seth, Shri Sanjay
Sharma Dr. Dinesh
Sharma, Shri Kartikeya
Sharma, Shrimati Rekha
Shekhar, Shri Neeraj
Singh, Dr. Bhim
Singh, Shri Arun
Singh, Shri Devendra Pratap
Singh, Shri Kunwar Ratanjeet Pratap Narayan
Singh, Shri Ravneet
Singh, Shri Tejveer
Singh, Shrimati Darshana
Singh, Shrimati Sadhna
Siroya, Shri Lahar Singh
Solanki, Dr. Sumer Singh
Tanavade, Shri Sadanand Mhalu Shet
Teli, Shri Rameswar
Thakur, Shri Ram Nath
Tiwari, Shri Ghanshyam
Trivedi, Dr. Sudhanshu
Umeshnath, Shri Balyogi
Usha, Shrimati P. T.
Vaishnaw, Shri Ashwini
Vanlalvena, Shri K.
Varma, Shri Pradip Kumar
Vasan, Shri G.K.
Verma, Shri B.L.
Yadav, Shrimati Sangeeta

NOES— 95

Abdul Wahab, Shri
Abdulla, Shri M. Mohamed
Ahmad, Dr. Faiyaz

Alla, Shri Ayodhya Rami Reddy
Baburao, Shri Golla
Bachchan, Shrimati Jaya Amitabh
Banerjee, Shri Ritabrata
Baraik, Shri Prakash Chik
Beeran, Shri Haris
Bhattacharyya, Shri Bikash Ranjan
Brittas, Dr. John
Chadha, Shri Raghav
Chandrashekhar, Shri G.C.
Chandrasegharan, Shri N.
Chaturvedi, Shrimati Priyanka
Chidambaram, Shri P.
Chowdhury, Shrimati Renuka
Dangi, Shri Neeraj
Dev, Ms. Sushmita
Dharmar, Shri R.
Divakonda, Shri Damodar Rao
Elango, Shri N.R.
Gandhi, Shrimati Sonia
Ghose, Shrimati Sagarika
Girirajan, Shri R.
Gohil, Shri Shaktisinh
Gokhale, Shri Saket
Gupta, Shri Narain Dass
Gupta, Shri Prem Chand
Handore, Shri Chandrakant Damodar
Haque, Shri Mohammed Nadimul
Hussain, Dr. Syed Naseer
Islam, Shri Samirul
Jha, Shri Manoj Kumar
Kalyanasundaram, Shri S.
Khan, Dr. Fauzia
Khan, Shri Javed Ali
Khan, Shri Muzibulla
Kharge, Shri Mallikarjun
Makan, Shri Ajay

Maliwal, Ms. Swati
Mandadi, Shri Anil Kumar Yadav
Mani, Shri Jose K.
Mather Hisham, Shrimati Jebi
Mittal, Dr. Ashok Kumar
Netam, Shrimati Phulo Devi
Noor, Shrimati Mausam B
O' Brien, Shri Derek
P, Shri Sandosh Kumar
Pathak, Shri Sandeep Kumar
Patil, Shrimati Rajani Ashokrao
Pilli, Shri Subhas Chandra Bose
Pratapgarhi, Shri Imran
Rahim, Shri A. A.
Rajeshkumar, Shri K.R.N.
Ramesh, Shri Jairam
Ranjan, Shrimati Ranjeet
Raut, Shri Sanjay
Ray, Shri Sukhendu Sekhar
Reddy, Shri B. Parthasaradhi
Reddy, Shri K.R. Suresh
Reddy, Shri Meda Raghunadha
Reddy, Shri S Niranjan
Reddy, Shri Yerram Venkata Subba
Sahney, Shri Vikramjit Singh
Selvarasu, Shri Anthiyur P.
Sen, Ms. Dola
Shanmugam, Shri M.
Shanmugam, Shri C. Ve.
Shukla, Shri Rajeev
Sibal, Shri Kapil
Singh, Shri A. D.
Singh, Shri Akhilesh Prasad
Singh, Shri Ashok
Singh, Shri Digvijaya
Singh, Shri Sanjay
Singh, Shri Sant Balbir

Singhvi, Dr. Abhishek Manu
Siva, Shri Tiruchi
Sivadasan, Dr. V.
Somu, Dr. Kanimozhi NVN
Suman, Shri Ramji Lal
Suneer, Shri P. P.
Surjewala, Shri Randeep Singh
Tankha, Shri Vivek K.
Thakur, Shrimati Mamata
Thambidurai, Dr. M.
Tiwari, Shri Pramod
Tulsi, Shri K.T.S.
Vaddiraju, Shri Ravichandra
Vaiko, Shri
Wasnik, Shri Mukul Balkrishna
Wilson, Shri P.
Yadav, Prof. Ram Gopal
Yadav, Shri Sanjay

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Let the lobbies be cleared. I shall now put the motion regarding consideration of the Mussalman Wakf (Repeal) Bill, 2025, to vote. The question is:

That the Bill to repeal the Mussalman Wakf Act, 1923, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Kiren Rijiju to move that the Bill be passed.

SHRI KIREN RIJIJU: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.